

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	अभियान के आदेश	1—30
2.	अधिसूचनाएँ	31—53
3.	स्वच्छ भारत मिशन	55—108
4.	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	109—132
5.	सबके लिए आवास योजना	133—135
6.	मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान	137—144
7.	सूचना प्रेषित करने हेतु ऑनलाईन पोर्टल	145—157
8.	स्वायत्त शासन विभाग नियन्त्रण कक्ष	158

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एंव स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.2 (30) / नविवि / 3 / 2016—पार्ट / 1516—30

जयपुर, दिनांक : 25.04.2017

आदेश

विषय :- शहरी क्षेत्रों में आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु “मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना” बाबत दिशा-निर्देश।

आमजन की कठिनाईयों के निवारण के लिये राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के क्रम में अब शहरी क्षेत्रों में आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के निस्तारण में आने वाले व्यवधानों और अवरोधों को दूर करते हुये प्रक्रिया का सरलीकरण कर त्वरित समाधान हेतु “मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना” दिनांक 10.05.2017 से प्रारम्भ की जा रही है। दिनांक 10.05.2017 से दिनांक 10.07.2017 तक नगरीय निकायों में योजना की क्रियान्वयन हेतु शिविरों का आयोजन किया जायेगा। दिनांक 10.07.2017 के पश्चात भी इस योजना में दी गई सुविधाये एवं रियायते यथावत रहेगी जिसके अन्तर्गत अग्रिम आदेश तक कार्यवाही की जायेगी। योजना के विभिन्न बिन्दुओं पर सभी आवश्यक तैयारियाँ/प्रशिक्षण की कार्यवाही इससे पूर्व पूर्ण की जायेगी। इस संबंध में FAQs व प्रशिक्षण हेतु “प्रस्तुतीकरण” (Presentation) अलग से भेजा जा रहा है। इस योजना में समस्त नगरीय निकायों के द्वारा कार्यों के समयबद्ध निस्तारण हेतु निरन्तर और नियमित रूप से नगर निकायों द्वारा कार्यवाही सम्पादित की जावेगी, जिनकी प्रगति की मासिक रूप से समीक्षा की जायेगी। सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

इस योजना में सम्पादित कार्यों के अधिकांश बिन्दुओं पर विद्यमान मापदण्डों को ही आधार माना जायेगा। कुछ बिन्दुओं पर व्यापक जनहित को देखते हुये वर्तमान मापदण्डों में शिथिलन भी किया जा रहा है, जिनका विवरण आगे है। यह भी उल्लेखनीय है कि नगरीय निकायों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के संबंध में न्यायालयों के आदेश/स्थगन आदेश हो तो उनका भी ध्यान रखा जावें। योजना में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के बिन्दु निम्न प्रकार है :—

1. दिनांक 17.06.99 से पूर्व कृषि भूमि पर विकसित आवासीय योजनाओं के नियमन के सम्बन्ध में –

- (i) 10 प्रतिशत या इससे कम निर्माण वाली योजनाओं के नियमन अधिकार नगरीय निकायों को दिये जाने बाबत :—

दिनांक 17.06.99 से पूर्व कृषि भूमि पर विकसित आवासीय योजनाओं में विक्रय योग्य क्षेत्रफल 70 प्रतिशत से अधिक होने के कारण नियमन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। प्रचलित

परिपत्रों के प्रावधानानुसार 10 से 50 प्रतिशत तक निर्माण की स्थिति में 70 प्रतिशत तक विक्रय योग्य क्षेत्रफल वाली योजनाओं का नियमन सम्बन्धित नगरीय निकाय स्तर पर किया जा सकता है। 70 प्रतिशत से अधिक विक्रय योग्य क्षेत्रफल वाली योजनाएँ एवं 10 प्रतिशत से कम निर्माण वाली आवासीय योजनाओं का नियमन राज्य सरकार की पूर्वानुमति के पश्चात् किये जाने का प्रावधान है।

उपरोक्त योजनाओं में 70 प्रतिशत से अधिक लेकिन 75 प्रतिशत तक के विक्रय योग्य क्षेत्रफल वाली योजना का नियमन केवल उसी स्थिति में किया जायेगा यदि अन्य कोई विकल्प नहीं बचा हो। अतः राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रेषित करते समय सभी बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट की जावे।

उक्त परिप्रेक्ष्य में परिपत्र 5(3)नविवि/3/99 दिनांक 06.09.2007 एवं परिपत्र क्रमांक 3(50) नविवि/3/2012 पार्ट दिनांक 06.01.2016 के आदेश में वर्णित मापदण्डों की पालना की जावें। संबंधित योजना दिनांक 17.06.99 के पूर्व अस्तित्व में आयी है अथवा नहीं इसके साक्ष्य के रूप में उक्त परिपत्र दिनांक 06.01.2016 के पैरा सं0 25 के उप-पैरा (3) (xi) में उल्लेखित दस्तावेज मान्य होंगे। इसके अलावा राशनकार्ड भी ऐसे साक्ष्य के रूप में मान्य होगा।

केवल उन्हीं योजनाओं का नियमन किया जावेगा, जो मास्टर प्लान में दर्शाये गये भू-उपयोग के अनुरूप है एवं नियमानुसार सड़क की चौड़ाई उपलब्ध है। यदि किन्हीं प्रकरणों में सड़क की न्यूनतम चौड़ाई उपलब्ध नहीं हो तो न्यूनतम चौड़ाई सुनिश्चित करते हुये शेष भूमि का पट्टा जारी किया जा सकता है। यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है क्योंकि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा।

(ii) **सड़क की चौड़ाई :-**

दिनांक 17.06.1999 से पूर्व अस्तित्व में आयी योजनाओं के सम्बन्ध में भी योजना के नियमन हेतु न्यूनतम 30 फीट की सड़क चौड़ाई आवश्यक है। यदि मौके पर सड़क की चौड़ाई इससे कम पायी जाती है तो भूखण्ड का पट्टा जारी करते समय नक्शे में न्यूनतम 30 फीट सड़क चौड़ाई रखते हुये भूखण्ड के शेष क्षेत्रफल का पट्टा जारी किया जावे। परन्तु यदि किसी कॉलोनी में पूर्व में सड़क की चौड़ाई निर्धारित कर पट्टे दिये जा चुके हैं व कुछ पट्टे देने शेष हैं तो सड़क की उपलब्ध चौड़ाई व पूर्व में जारी पट्टों के अनुसार शेष मकानों के पट्टे भी दिये जा सकेंगे।

(iii) **धारा 90—बी (1) अथवा धारा 90ए (8) के निर्णय के पश्चात् नामान्तरण निकाय के पक्ष में खोलने बाबत :-**

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90ए एवं इसके अधीन बने राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के

नियम 7(3) एवं नियम 13(7) के अनुसार खातेदारी अधिकार समाप्त होने एवं भूमि के नगर निकाय के व्ययाधीन माना जाने के आदेश के साथ ही भूमि का नामांतरकरण संबंधित तहसीलदार द्वारा नगर निकाय के पक्ष में 7 दिवस के भीतर किये जाने के प्रावधान है। उक्त नियम में यह भी प्रावधान है कि नामान्तरण नहीं किये जाने की स्थिति में भी नियमन की कार्यवाही नहीं रोकी जायेगी। इस अवधि में नामांतरण की कार्यवाही नहीं किये जाने पर संबंधित दोषी कर्मचारी एवं अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(iv) 17.06.99 से पूर्व अस्तित्व में आयी योजनाओं के मध्य स्थित राजकीय भूमि/राजकीय भूमियों पर बसी कॉलोनियों का नियमन:-

राजकीय भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ या वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नियमन करने के लिए विभागीय आदेश क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 21.09.2012, जो वित्त विभाग से अनुमोदित है, के द्वारा दरें निर्धारित की हुई है। इस योजना के दौरान उक्त अनुमोदित दरों के आधार पर राजकीय भूमि का नियमन किया जायेगा। नियमन के लिए आवश्यक होगा कि भूमि का उपयोग एवं सड़कें मास्टर प्लान के अनुरूप है।

कतिपय प्रकरणों में योजनाओं के मध्य आयी भूमियाँ, छोटे-छोटे भूखण्ड के रूप में परिवर्तित हो चुकी हैं। ऐसे भूखण्डों का नियमन भी उपरोक्त दरों के आधार पर किया जायेगा। विभागीय परिपत्र दिनांक 06.01.2016 में वर्णित मापदण्डों के अनुसार इस योजना के दौरान कार्यवाही की जावेगी व इससे अधिक क्षेत्रफल की भूमि के नियमन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जावेगे। इसी प्रकार राजकीय भूमियों पर दिनांक 17.06.99 से पूर्व बसी कॉलोनियों के नियमन हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही स्थानीय स्तर पर की जायेगी तथा स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र से अधिक क्षेत्रफल होने पर प्रकरण राज्य सरकार को आवश्यक अनुमति हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

(v) 17.06.99 से पूर्व की योजनाओं के हस्तान्तरित भूखण्डों की नियमन प्रक्रिया व शुल्क:-

प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012 में ऐसे भूखण्डों, जिनका दिनांक 31.03.2012 तक अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर बेचान/हस्तान्तरण हो चुका था, का नियमन करने के निर्देश दिये गये थे। दस्तावेजों की उक्त कट-ऑफ-डेट को उक्त अभियान में बाद में 30.09.2012 के बजाय दिनांक 31.05.2013 निर्धारित कर दिया गया था। अब दस्तावेजों की वैधता तिथि को 31.10.2016 तक किया जाता है। इस आधार पर नियमन किये जाने हेतु समस्त नगरीय निकायों को अधिकृत किया जाता है ताकि दिनांक 17.06.99 के पूर्व अस्तित्व में आयी योजनाओं के ऐसे भूखण्ड जिनका दिनांक 31.10.2016 तक जितनी भी बार पंजीकृत अथवा अपंजीकृत बेचानों या इकरारनामें के आधार पर हस्तान्तरण किया जा चुका है का नियमन किया जा सके। पंजीकृत इकरारनामें के मामले में

प्रचलित दर पर केवल प्रीमियम राशि का शुल्क लिया जाकर नियमन किया जा सकेगा, और अपंजीकृत इकरारनामों के मामलों में प्रचलित दर पर प्रीमियम तथा इसके अतिरिक्त प्रीमियम की 15 प्रतिशत राशि शुल्क के रूप में वसूल की जाकर नियमन किया जा सकेगा।

इसी प्रकार नियमन पश्चात् पट्टा जारी करने से पूर्व उस भूखण्ड के संबंध में निष्पादित अपंजीकृत/अमुद्रांकित मध्यवर्ती दस्तावेजों पर वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। अधिसूचनायें वित्त विभाग द्वारा पृथक से जारी की जायेगी।

(vi) ले—आउट प्लान तैयार किये जाने बाबत :—

नगरीय निकायों के स्तर पर योजनाओं का सर्वे कर खसरा मानचित्र से सुपर इम्पोर्ज्ड ले—आउट प्लान तैयार करने हेतु नगरीय निकाय को संबंधित राजस्व ग्राम की जमाबंदी एवं राजस्व मानचित्र की प्रति, यदि स्थानीय निकाय में उपलब्ध ना हो तो, संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा उच्च प्राथमिकता से नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावेगी, ताकि नगरीय निकाय द्वारा ले—आउट प्लान तैयार करवाये जाकर संबंधित ले आउट प्लान समिति से स्वीकृत करवाये जा सके। जिन राजस्व ग्रामों में राजस्व मानचित्र उपलब्ध नहीं है अथवा राजस्व मानचित्र उपलब्ध है, परन्तु प्रमाणित नहीं है वहां सुपर इम्पोजिशन की अनिवार्यता समाप्त कर मौके की स्थिति के अनुसार नियमन किया जा सकेगा। स्थानीय निकाय द्वारा अपने स्तर पर ले—आउट तैयार करा कर योजना के नियमन हेतु सार्वजनिक नोटिस दे कर आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे तथा उनका निस्तारण करते हुए ले—आउट प्लान का अनुमोदन करेंगे। इस कार्यवाही के लिये निकाय की संबंधित समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी, निकाय के वरिष्ठतम् अभियन्ता, नगर नियोजक अधिकारी (यदि पदस्थापित है) संयुक्त रूप से प्लान अनुमोदित कर सकेंगे।

जहां स्थानीय निकाय अपने स्तर पर ले—आउट प्लान बनायेंगे, तो उसका खर्चा संबंधित योजना के उन सभी भूखण्डधारियों, जिनका नियमन होना है, से क्षेत्रफल के अनुसार समानुपातिक रूप से लिया जाएगा।

(vii) पूर्व में जारी पट्टों का पंजीयन :—

जिन प्रकरणों में भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर भूखण्डों का नियमन कर पड़े मय स्टाम्प शुल्क जारी किये जा चुके हैं किन्तु किसी कारणवश इन पट्टा विलेखों का संबंधित उप पंजीयक से पंजीयन नहीं करवाया गया है। ऐसे पट्टों के नवीनीकरण की कार्यवाही कर एवं शास्ति इत्यादि में छूट दी जाकर इस योजना के दौरान पंजीयन करवाने की व्यवस्था की जायेगी। इस सम्बन्ध में नगरीय निकाय द्वारा पूर्व में जारी पट्टा—विलेख को दिनांक 31.12.2017 तक इस योजना अवधि में पुनः निष्पादित कर पुनर्वैध (रिवेलिडेटेड) किया

जाकर पंजीयन करवाया जा सकेगा ताकि राज्य के राजस्व में पट्टों के पंजीयन से आय प्राप्त हो सके तथा पट्टेधारी को भी राहत प्राप्त हो सके। पंजीयन की कार्यवाही दिनांक 31.12.2017 तक की जा सकेगी।

(viii) पट्टों के पंजीयन पर देय मुद्रांक शुल्क में छूट :—

दिनांक 17.06.1999 से पूर्व अस्तित्व में आयी हुयी आवासीय कॉलोनियों में नियमन पर नगरीय निकाय द्वारा इस योजना के दौरान यदि नियमन पश्चात् पट्टा स्वयं खातेदार के पक्ष में या खातेदार से भिन्न व्यक्ति के पक्ष में पंजीकृत एवं पूर्ण मुद्रांकित दस्तावेज के आधार पर जारी किया जाता है तो स्टाम्प ड्यूटी सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर प्रीमियम, विकास शुल्क, प्रतिफल के रूप में देय अन्य कोई शुल्क, ब्याज एवं शास्ति तथा 2 वर्ष के औसत किराये की राशि को जोड़कर कुल राशि पर कन्वेन्स की दर से देय होगी। अपंजीकृत एवं अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित दस्तावेजों के आधार पर नियमन पश्चात् पट्टा जारी करने की स्थिति में वित्त विभाग द्वारा रियायत दी जा रही है जिसकी अधिसूचना वित्त विभाग द्वारा जारी की जायेगी। इसी प्रकार वित्त विभाग द्वारा मध्यवर्ती दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की रियायत प्रदान की जा रही है। जिसकी अधिसूचना पृथक से वित्त विभाग द्वारा जारी की जायेगी। स्टाम्प ड्यूटी पर यह छूट दिनांक 31.12.2017 तक जारी रहेगी।

(ix) दिनांक 17.06.99 के पूर्व अस्तित्व में आई विभिन्न योजनाओं के नियमन हेतु पूर्व के कैम्पों में जिन भूखण्डों के पट्टे जारी नहीं हुये उनके पट्टे जारी करने की प्रक्रिया :—

दिनांक 17.06.99 के पूर्व अस्तित्व में आई विभिन्न योजनाओं के नियमन हेतु पूर्व में कैम्प आयोजित किये गये थे किन्तु इन योजनाओं में निजी खातेदारी भूमि/सहकारी समिति की योजना की भूमि में राजकीय भूमि स्थित होने या किसी अन्य खातेदार/राजकीय भूमि पर ओवर लेप होने या सहकारी समिति द्वारा विक्रय पत्र/विक्रय इकरार पत्र/सदस्यता सूची/ले-आउट प्लान इत्यादि प्रस्तुत नहीं करने या दोहरे विक्रय का प्रकरण होने या मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तित नहीं होने या नियमन राशि अधिक होने या न्यायालय में वाद लम्बित होने के कारण भूखण्डों का नियमन इन कैम्पों में नहीं हो सका था। निकायों के द्वारा प्रथम नियमन कैम्प में जारी पट्टे पर सामान्य नियमन दर के आधार पर नियमन शुल्क वसूल किया जाता रहा है तथा प्रथम कैम्प के उपरान्त नियमन शुल्क पर प्रथम कैम्प की दिनांक से 15 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जाता है। अतः योजना के दौरान आम जनता को राहत पहुंचाने की दृष्टि से केवल सामान्य प्रीमियम दर के आधार पर प्रीमियम राशि तथा प्रीमियम की 25 प्रतिशत राशि के समान शास्ति वसूल की जायेगी। लेकिन दोहरे पट्टों के मामलों में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। दोहरे पट्टों एवं न्यायालय में लम्बित मामलों को छोड़कर अन्य प्रकार के सभी प्रकरणों में नियमितिकरण हेतु कार्यवाही की जायेगी।

(x) योजना के दौरान पट्टा नहीं लेने पर अतिरिक्त राशि :-

योजना के दौरान दिनांक 31.12.2017 के बाद दो माह तक की अवधि में पट्टा नहीं लिये जाने की स्थिति में ऐसे समस्त भूखण्डधारियों का योजना अवधि के पश्चात् नियमन किये जाने पर नियमन शुल्क की राशि सामान्य नियमन शुल्क से दोगुनी राशि शास्ति एवं ब्याज के साथ वसूल की जायेगी।

(xi) दिनांक 17.06.99 के पूर्व की योजनाओं के नियमन हेतु यदि खातेदार/सहकारी समिति द्वारा विक्रय पत्र/विक्रय इकरारनामा/ सदस्यता सूची/ले-आउट प्लान इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये हो, उनमें ले आउट प्लान अनुमोदन एवं नियमन की प्रक्रिया :-

दिनांक 17.06.99 के पूर्व अस्तित्व में आई योजनाओं के नियमन हेतु यदि खातेदार/सहकारी समिति द्वारा विक्रय पत्र/विक्रय इकरारनामा/सदस्यता सूची/ले-आउट प्लान इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तो ऐसी योजना के नियमन बाबत् स्थानीय स्तर पर समाचार पत्रों में आपत्तियां आमंत्रित कर सूचना प्रकाशित कराते हुये और आपत्तियों, यदि कोई प्राप्त हो, का निस्तारण करते हुये नगरीय निकाय द्वारा नियमन की कार्यवाही की जायेगी। इस कार्यवाही हेतु नगरीय निकाय द्वारा स्व-विवेक से योजना में कार्यरत विकास समिति अथवा भूखण्डधारियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं मौके की वास्तविक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये कार्यवाही की जायेगी। मास्टर प्लान के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये ऐसी योजनाओं का ले आउट प्लान एवं सदस्यता सूची निर्धारण एवं अनुमोदन कर नियमन किया जा सकेगा। यह अनुमोदन इस आदेश के बिन्दु संख्या 5(2) के अन्तर्गत गठित नगरीय निकाय एम्पार्ड कमेटी से करवाया जायेगा।

(xii) दिनांक 17.06.99 से पूर्व की योजनाओं में आपसी रजामंदी से कृषि भूमि के तकास्मा (विभाजन) का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी को दिये जाने बाबत :-

दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की कृषि भूमि पर आवासीय योजनाओं में धारा 90-बी की कार्यवाही भूमि का तकास्मा (विभाजन) नहीं होने के कारण संभव नहीं हो पायी है और भूखण्डधारियों को पट्टा एवं लीज डीड जारी करना भी संभव नहीं हो सका है। ऐसी कृषि भूमियों के लिए इस योजना अवधि के दौरान तकास्मा के अधिकार राजस्व विभाग द्वारा 90-ए के लिए नियुक्ति किये गये प्राधिकृत अधिकारियों को दिये जा रहे हैं, ताकि मौके पर ही तकास्मा किया जाकर 90-ए की कार्यवाही संभव हो सके एवं भूखण्डधारियों को पट्टा व लीज डीड जारी की जा सके।

(xiii) दिनांक 17.06.99 से पूर्व विकसित हुयी आवासीय कॉलोनियों जिनके ले—आउट प्लान अब अनुमोदित हो रहे हैं अथवा हो चुके हैं, में सैक्टर रोड़ में संशोधन बाबत :—

दिनांक 17.06.99 से पूर्व विकसित हुयी आवासीय कॉलोनियों के ले—आउट प्लान अब तैयार किये किये गये हैं या किये जा चुके हैं एवं अनुमोदित हो चुके हैं, उनमें मौके पर कई निर्माण हो चुके हैं और सेक्टर रोड़ पूर्व स्वीकृति के अनुसार विकसित किया जाना संभव नहीं है। अतः मास्टर प्लान के प्रावधानों एवं मापदण्डों की पालना करते हुए मौके के अनुसार सड़क की जो चौड़ाई उपलब्ध है उसी के अनुरूप सड़क की चौड़ाई निर्धारित की जा सकती है। किसी भी सड़क की चौड़ाई 30 फीट से कम नहीं होगी। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गुलाब कोठारी प्रकरण में पारित आदेश एवं अन्य न्यायिक प्रकरणों में पारित आदेशों को भी ध्यान में रखा जावें। इस प्रकार के ले—आउट प्लान अनुमोदन अथवा संशोधन हेतु विकास प्राधिकरणों की जेडएलसी एवं अन्य न्यासों एवं स्थानीय निकायों के लिये एम्पावर्ड कमेटी अधिकृत रहेगी।

(xiv) परिधीय क्षेत्र के गांवों में खातेदारी/सह—खातेदारी भूमि पर बने हुये निवास गृहों का नियमन:—

नगरीय क्षेत्रों एवं उनके परिधिय क्षेत्रों में सम्मिलित गांव के खातेदारों द्वारा अपनी खातेदारी/सहखातेदारी की भूमि पर निवास गृह बनाये हुए हैं। नगरीय क्षेत्रों में शामिल होने से पहले इन गांव के खातेदार आसामियों को राजस्थान भू—राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन) नियम 2007 के अन्तर्गत 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के निवास गृह या पशुशाला या भण्डार गृह के निर्माण के लिए बिना कोई सम्परिवर्तन शुल्क दिये सम्परिवर्तन कराने का अधिकार था। अतः शहरी क्षेत्र के परिधिय क्षेत्रों में भी खातेदार/सहखातेदार द्वारा प्रत्येक को खातेदारी की कृषि भूमि पर अधिकतम 500 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल पर निर्मित आवास का नियमितिकरण निःशुल्क किया जाकर पट्टा दिया जा सकेगा। उक्त पट्टे के लिए बाह्य विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क देय नहीं होगा। उक्त भूखण्ड के लिए ले—आउट प्लान अनुमोदन की आवश्यकता भी नहीं होगी। भविष्य में यदि उक्त खातेदार के आवास के आस—पास के खसरा नम्बरों पर कोई आवासीय योजना विकसित की जाती है तो उक्त आवास का समायोजन उस आवासीय योजना के ले—आउट प्लान में किया जायेगा। अर्थात् उक्त आवास गृह आवासीय योजना का भाग बन जायेगा।

इसके अलावा शहरी क्षेत्र में भी खातेदारी भूमि पर बने हुये मकानों को वर्तमान प्रचलित नियमों एवं देय राशि के प्रावधानों के तहत पट्टा/नियमन की कार्यवाही की जायेगी।

ऐसे नियमों में भी मास्टर प्लान के प्रावधानों की पालना की जावें अर्थात् मास्टर प्लान में अनुज्ञेय उपयोग के अनुसार ही नियम हो सकेगा तथा सड़कों के मापदण्ड की पूर्ति होना भी आवश्यक है। भवन विनियमों के मापदण्डों के अनुसार मकानों का निर्माण होने पर ही नियमन किया जा सकेगा।

(xv) धारा 90 बी के अन्तर्गत आवेदित मामलों में मांगपत्र जारी होने के बाद भी राशि जमा नहीं होने के प्रकरणों का नियमन :—

धारा 90 बी के प्रकरणों में नगरीय निकाय के द्वारा मांगपत्र जारी किये जा चुके हैं लेकिन राशि संबंधित आवेदक द्वारा जमा नहीं करवायी गयी है तो ऐसे मामलों में मांगपत्र जारी होने की तिथि से 90 दिवस के पश्चात् देरी की अवधि पर देय राशि का 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज वसूलनीय होगा।

(xvi) धारा 90—ए के अनुरूप धारा 90 बी (3) के अन्तर्गत आवेदित मामलों में प्रतिवर्तन (**Reversion**) बाबत् :—

वर्ष 2012 के धारा 90—ए के नियमों के नियम 24 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जिसे धारा 90 ए के अन्तर्गत भूमि आवंटित कर दी गई है लेकिन पट्टा जारी नहीं हुआ है उस भूमि को आवेदक के आवेदन पर मूल स्थिति में प्रतिवर्तित यानि बहाल किया जा सकता है और उस स्थिति में आवेदक द्वारा जमा करायी गयी कोई भी राशि वापिस नहीं दी जायेगी। लेकिन धारा 90—बी के अन्तर्गत ऐसे प्रावधान नहीं थे। कई मामलों में धारा 90—बी (3) के अन्तर्गत भूमि को रूपान्तरित कराने के आदेश जारी होने के पश्चात् आवेदक अब उसका उपयोग नहीं कर पाया है और पुनः कृषि उपयोग ही करना चाहता है उसके लिये कोई प्रावधान नियमों में नहीं है।

अतः यह निर्णय लिया गया है कि उक्त नियम 24 के प्रावधानों के अनुरूप ही धारा 90—बी (3) के लम्बित मामलों जिनमें पट्टा जारी नहीं हुआ है उनमें आवेदक के आवेदन पर भूमि को पुनः कृषि भूमि के रूप में दर्ज करने एवं उसके खातेदारी अधिकार बहाल करने की अनुमति दी जा सकती है लेकिन ऐसे व्यक्ति से प्रकरण में जारी मांगपत्र में वर्णित नियमन राशि की 10 प्रतिशत राशि के समान राशि वसूल की जायेगी, और यदि आवेदक द्वारा कोई राशि जमा करायी गयी है उसे इसमें समायोजित कर लिया जायेगा। यदि जमा करायी गयी राशि इससे भी अधिक है तो उसे वापिस नहीं किया जायेगा।

(xvii) धारा 90 बी के अन्तर्गत जारी पट्टों के हस्तांतरण पर शुल्क :—

वर्ष 2012 के धारा 90—ए के नियमों के नियम 27 में पट्टे में नाम के अन्तरण का प्रावधान है जिसके अनुसार अन्तरण शुल्क (मृत्यु के मामलों को छोड़ते हुये) निर्धारित किया हुआ है लेकिन धारा

90—बी के अन्तर्गत आवेदित मामलों में जारी पट्टों के नाम अन्तरण के बाबत् कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जिसके अभाव में पृथक—पृथक निकाय भिन्न—भिन्न प्रक्रिया अपनाते हुये स्वेच्छा से राशि वसूल कर रहे हैं।

अतः उक्त नियमों के नियम 27 में बतायी गयी प्रक्रिया एवं निर्धारित शुल्क के अनुसार ही धारा 90—बी में जारी पट्टों के मामलों में भी वही प्रक्रिया अपनाते हुए शुल्क वसूली की कार्यवाही की जावें।

2. दिनांक 17.06.1999 के पश्चात् के मामलों में धारा 90—ए अन्तर्गत कृषि भूमि के गैर—कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग की अनुमति एवं पट्टा वितरण :-

(i) **पट्टा वितरण :-** राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90—ए एवं इसके अधीन बने राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर—कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 17.06.1999 के पश्चात् कृषि भूमि को गैर—कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुमति एवं ऐसी अनुमति पर पट्टे के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण भी प्राधिकृत अधिकारी एवं संबंधित नगर निकायों के द्वारा विहीत प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा। धारा 90—ए के अन्तर्गत देय प्रीमियम की दरें निर्धारित की हुयी हैं। धारा 90ए के तहत अनुमति मास्टर प्लान के अंतर्गत अनुमत उपयोग के लिए ही दी जा सकती है।

यहां भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 17.06.1999 के पश्चात् के मामलों में जहाँ दिनांक 27.05.2011 से पूर्व धारा 90—बी (3) के अन्तर्गत अन्तिम निर्णय होकर आदेश पारित हो चुके हैं वहां धारा 90—ए की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहेगी।

वर्ष 2012 के धारा 90—ए के नियमों के नियम 9(2) अन्तर्गत यह प्रावधान है कि यदि आवेदक छः माह तक मांगपत्र की राशि जमा नहीं कराता है तो उसे धारा 90—ए के अन्तर्गत दी गई अनुमति निरस्त मानी जायेगी। इन प्रावधानों में शिथिलन देते हुये यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 31.12.2017 तक आवेदन करने की स्थिति में ऐसे सभी मामलों में उक्त नियम में निर्धारित व्याज वसूल करते हुये निस्तारण किया जावे।

(ii) **स्व—विवेक से कार्यवाही एवं अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर नियमन की प्रक्रिया:-**

दिनांक 17.06.99 के बाद यदि खातेदार ने या उसके हस्तांतरिती/हस्तांतरितियों (Transferees) ने भूमि का गैर—कृषिक उपयोग कर लिया है और खातेदार धारा 90ए के तहत आवेदन नहीं करता है तो प्राधिकृत अधिकारी विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 3(54)नविवि/3/2011/पार्ट दिनांक 02.05.2016 में वर्णित प्रक्रिया अपनाते हुये नियमन की कार्यवाही कर सकेगा

जिसके लिये प्राधिकृत अधिकारी को तहसीलदार की धारा 91 की शक्तियां राजस्व विभाग द्वारा प्रत्यायोजित की जा रही है। इस प्रक्रिया में शास्ति की राशि वह होगी जो इस निमित राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन आदेशों के तहत् निर्धारित की गई हो।

अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर हस्तान्तरण के मामलों में उक्त विभागीय आदेश दिनांक 02.05.2016 के अनुसार अपंजीकृत दस्तावेजों की वैधता की कट-ऑफ-डेट दिनांक 31.05.2013 निर्धारित की हुई है और ऐसे दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करने की कट-ऑफ-डेट दिनांक 30.09.2016 निर्धारित की हुई है। अब लिये गये निर्णय के अनुसार अपंजीकृत दस्तावेजों की वैधता की कट-ऑफ-डेट दिनांक 31.05.2013 के बजाय दिनांक 30.06.2016 तथा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अवधि 30.09.2016 के बजाय 30.09.2017 तक रहेगी।

उपरोक्त कार्यवाही के आधार पर नियमन पश्चात् जारी पट्टों के पंजीयन पर तथा अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर किये गये हस्तान्तरण के मामलों में मध्यवर्ती दस्तावेजों के पंजीयन बाबत अपेक्षित कार्यवाही एवं स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान की कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं के आधार पर सुनिश्चित करनी होगी। वित्त विभाग द्वारा रियायते भी प्रदान की जा रही है।

- (iii) पंजीयन पर देय मुद्रांक शुल्क में छूट :— दिनांक 17.06.1999 के बाद की आवासीय कॉलोनियों या भूखण्डों के कृषि भूमि से गैर-कृषिक उपयोग हेतु अनुमति/नियमन की स्थिति में नगरीय निकाय द्वारा इस योजना के दौरान भूखण्डधारी को पट्टा जारी किया जायेगा। नगरीय निकाय द्वारा इस योजना के दौरान यदि नियमन पश्चात् पट्टा स्वंय खातेदार के पक्ष में या खातेदार से भिन्न व्यक्ति के पक्ष में पंजीकृत एवं पूर्ण मुद्रांकित दस्तावेज के आधार पर जारी किया जाता है तो स्टाम्प ड्यूटी सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर प्रीमियम, विकास शुल्क, प्रतिफल के रूप में देय अन्य कोई शुल्क, ब्याज एवं शास्ति तथा 2 वर्ष के औसत किराये की राशि को जोड़कर कुल राशि पर कन्वेन्स की दर से देय होगी। यह छूट पट्टा जारी होने के दो माह के भीतर पंजीयन कराने की शर्त पर दी जायेगी। अपंजीकृत एवं अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित दस्तावेजों के आधार पर नियमन पश्चात् पट्टा जारी करने की स्थिति में भी वित्त विभाग द्वारा स्टाम्प ड्यूटी में रियायत दी जा रही है एवं मध्यवर्ती दस्तावेजों पर भी स्टाम्प ड्यूटी में रियायत दी जा रही है। वित्त विभाग द्वारा अधिसूचनायें अलग से जारी की जा रही है। जिनमें यह छूट दिनांक 31.12.2017 तक जारी रहेगी।
- (iv) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90—ए के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्रों के सलंगन शपथ-पत्र के बजाय स्व-घोषणा लिये जाने बाबत:— राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,

1956 की धारा 90—ए के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर—कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 के अन्तर्गत भू उपयोग परिवर्तन अनुज्ञा हेतु नियम 4 के उप नियम (1) या नियमितिकरण के लिये नियम 16 के उप नियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र प्राप्त किये जाने का प्रावधान है।

अब उक्त शपथ—पत्र के स्थान पर आवेदक से स्व—घोषणा पत्र लिया जाना प्रस्तावित है। घोषणा—पत्र पर राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 4 के अनुसार शपथ पत्र/घोषणा पत्र पर 50/- रुपये ड्यूटी देय होती है, जिसमें वित्त विभाग द्वारा 10/-रुपये की रियायत प्रदान करने की सहमति दी गई है। फलस्वरूप घोषणा पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी 40/-रुपये देय होगे।

3. सिवाय चक भूमियों पर दिनांक 15.08.2009 तक 300 वर्गगज तक अनाधिकृत आवासीय निर्माणों का नियमन :—

- (i) नगरीय निकायों में निहित भूमि पर ओर ऐसी सिवाय चक भूमियों पर जो राजस्व विभाग से नगरीय निकायों को हस्तान्तरित हुई है, पर दिनांक 31.12.1991 पर 300 वर्गगज तक अनाधिकृत आवासीय निर्माण के नियमन हेतु जारी विभागीय परिपत्र क्रमांक प.1(ग) () /डी.एल.बी./2001/01 दिनांक 01.01.2002 में अतिक्रमण के नियमन हेतु निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1991 के स्थान पर दिनांक 15.08.2009 तक निर्धारित की जाती है।
- (ii) राजकीय भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन करने के लिए आवासीय दरें विभागीय आदेश क्रमांक प.3(50) नविवि/03/2012 दिनांक 21.09.2012 के द्वारा निर्धारित हैं, जो वित्त विभाग से अनुमोदित है। उक्त अनुमोदित दरों के आधार पर और उक्त कट ऑफ डेट 15.08.2009 के आधार पर तथा परिपत्र क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012/पार्ट दिनांक 06.01.2016 में वर्णित शेष मापदण्डों के अनुसार राजकीय भूमि का नियमन किया जायेगा।
- (iii) जयपुर शहर के संदर्भ में जयपुर विकास प्राधिकरण एवं जयपुर नगर निगम द्वारा नगर निगम जयपुर बनाम लेखराज सोनी से संबंधित विशेष अनुमति याचिका के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
- (iv) उक्त नियमन केवल मास्टर प्लान के अनुसार अनुज्ञेय उपयोग तथा सङ्क चौड़ाई के मापदण्डों के अनुरूप ही हो सकेगा। भवन विनियमों में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप किये गये निर्माणों का ही नियमन हो सकेगा।
- (v) सरकारी भूमि पर नियमित किये जाने वाले भूखण्डों को यदि भविष्य में जनहित में सङ्क चौड़ी करने के लिए अवाप्त किया जाता है तो मुआवजा राशि के रूप में नियमन के पेटे जमा

करायी गई राशि एवं 6 प्रतिशत ब्याज दिये जाने की आवंटी से अण्डरटेकिंग लिये जाने की शर्त तथा पट्टे पर भी उक्त शर्त का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जायेगा। यदि कोई निर्माण कर लिया गया हो तो उसके लिए प्रचलित पी.डब्ल्यू.डी. बीएसआर के अनुसार राशि भी देय होगी।

(vi) राजकीय भूमि के नियमन में स्टाम्प ड्यूटी में कोई छूट देय नहीं होगी।

4. योजना की अवधि के दौरान पटवारी/गिरदावर की स्थानीय निकाय में प्रतिनियुक्ति :-

स्थानीय निकाय से सम्बन्धित पटवार सर्किल के पटवारी एवं गिरदावर की स्थानीय निकाय में प्रतिनियुक्ति/अतिरिक्त कार्यभार दिया जायेगा जिससे एकाग्र होकर वे नगरीय निकाय का कार्य सम्पादित कर सके। राजस्व विभाग के नियमित कार्य भी इनके द्वारा किये जा सकेंगे। जहाँ पद सृजित है व उसके विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है तो प्रतिनियुक्ति के तहत देय वेतन व भत्ते देय होगे। जहाँ प्रतिनियुक्ति नहीं की जा रही है व जहाँ पद सृजित नहीं है मूल पद के साथ अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है वहाँ इस योजना के दौरान राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 35 एवं 50 में दोहरे कार्य के लिए निर्धारित विशेष वेतन दरों के समान राशि भुगतान की जायेगी। पटवारी राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे की प्रति उपलब्ध कराने एवं अन्य तस्दीक सम्बन्धी कार्य नगरीय निकाय के चाहे जाने पर निःशुल्क उपलब्ध करवा सकेंगे। प्रतिनियुक्ति/अतिरिक्त कार्यभार हेतु एवं अतिरिक्त कार्य भत्ता बाबत् सम्बन्धित जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश प्रसारित किये जायेंगे। राजस्व संबंधी कार्यों के त्वरित निस्तारण को दृष्टिगत रखते हुए योजना के दौरान नायब तहसीलदार को तहसीलदार की शक्तियाँ प्रदान की जा रहीं हैं। इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जा रहे हैं।

5. निकायों में शक्तियों के प्रत्यायोजन बाबत् :-

- (1) विभिन्न प्रकरणों जैसे मानचित्र अनुमोदन, भू पट्टी आवंटन, पट्टा जारी करने आदि के लिये इस योजना की अवधि के दौरान राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 71, 73, 118, 131, 189, 194, 202, 207, 242, 243, 244, 245, 254, 258, 259, 269, 282, 287, 288, 299 एवं 306 की शक्तियाँ स्थानीय एम्पावर्ड कमेटी को प्रत्यायोजित की जाती हैं।
- (2) योजना की अवधि के दौरान मानचित्र अनुमोदन, भू-पट्टी आवंटन एवं निर्माणों के नियमन आदि कार्यों के त्वरित निस्तारण हेतु नगरीय निकायों के लिए एम्पावर्ड कमेटी का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

(अ) जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण –

- i. प्राधिकरण के अध्यक्ष — अध्यक्ष
- ii. प्राधिकरण के आयुक्त — सदस्य
- iii. प्राधिकरण के सचिव — सदस्य
- iv. प्राधिकरण के निदेशक (अभियांत्रिकी) — सदस्य
- v. प्राधिकरण के निदेशक, नगर नियोजन — सदस्य सचिव

(ब) नगर विकास न्यास :-

- i. न्यास के अध्यक्ष — अध्यक्ष
- ii. न्यास के सचिव — सदस्य
- iii. न्यास का वरिष्ठतम अभियंता — सदस्य
- iv. न्यास का तहसीलदार — सदस्य
- v. न्यास का वरिष्ठतम नगर नियोजक — सदस्य सचिव

(स) नगर निगमों हेतु :-

- 1. उपायुक्त (संबंधित) अध्यक्ष/संयोजक
- 2. अधिशासी/सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता सदस्य
- 3. उप/सहायक नगर नियोजक सदस्य
- 4. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार सदस्य
- 5. विधि शाखा का संबंधित अधिकारी सदस्य

(द) नगर निगमों के अतिरिक्त अन्य निकायों हेतु :-

- 1. आयुक्त/अधिशासी अधिकारी अध्यक्ष/संयोजक
- 2. अधिशासी/सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता सदस्य
- 3. उप/सहायक नगर नियोजक/नगर नियोजन सदस्य
सहायक/वरिष्ठ प्रारूपकार
- 4. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार सदस्य सदस्य
- 5. विधि शाखा का संबंधित अधिकारी सदस्य

एम्पावर्ड कमेटी द्वारा निर्णय बहुमत के आधार पर किये जायेगें। किसी कारणवश उपरोक्त एम्पावर्ड समिति के अध्यक्ष द्वारा बैठक में भाग नहीं लिया जाता है तो उस स्थिति में न्यास में सचिव एवं जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण में “आयुक्त” इस समिति की अध्यक्षता करेंगे एवं नियमानुसार प्रकरणों का निस्तारण किया जावेगा। उपरोक्त समिति का कार्यकाल इस योजना की अवधि तक ही रहेगा।

(3) विकास प्राधिकरणों एवं नगर विकास न्यासों में कृषि भूमि पर बसी योजनाओं के ले—आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में :—

(अ) विकास प्राधिकरणों में उक्त कार्य हेतु प्राधिकरण की जोन स्तरीय समिति को अधिकृत किया जाता है। अनुमोदित ले—आउट प्लान पर संबंधी उपायुक्त एवं उप नगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर कर जारी किया जावेगा।

प्राधिकरण में जोन स्तरीय कमेटी का गठन :—

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| (i) संबंधित जोन उपायुक्त | —संयोजक |
| (ii) उप/सहायक नगर नियोजक | —सदस्य सचिव |
| (iii) तहसीलदार | —सदस्य |
| (iv) संबंधित सहायक/अधिशासी अभियंता | —सदस्य |

(ब) नगर विकास न्यासों में उक्त कार्य हेतु समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है, जिसके द्वारा अनुमोदित ले—आउट प्लान पर संबंधी सचिव/उप सचिव/विशेषाधिकारी एवं उप नगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर कर जारी किया जावेगा। नगर नियोजक की उपलब्धता नहीं होने पर संबंधित सहायक/कनिष्ठ अभियंता द्वारा ले—आउट प्लान पर हस्ताक्षर किये जायेगे।

नगर सुधार न्यासों के लिये गठित कमेटी

सचिव/उप सचिव/विशेषाधिकारी — संयोजक

उप/सहायक नगर नियोजक — सदस्य सचिव

तहसीलदार — सदस्य

संबंधित सहायक/कनिष्ठ अभियंता — सदस्य

(स) नगर पालिका संस्थाओं में कृषि भूमि पर बसी योजनाओं के ले—आउट प्लान नगर नियोजन विभाग के संबंधित क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा तकनीकी अनुमोदन किये जाने के पश्चात् एम्पावर्ड कमेटी में उप/सहायक नगर नियोजक की उपस्थिति आवश्यक नहीं रहेगी।

6. मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में :-

भू-उपयोग परिवर्तन/मास्टर प्लान के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डीबी सिविल (पीआईएल) संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2017 की पालना में जारी विभागीय परिपत्र क्रमांक प.12(103)नविवि/2004/पार्ट-दिनांक 08.02.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी। भू-उपयोग परिवर्तन स्थानीय स्तर पर नहीं हो सकेगा। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए व्यापक जनहित में भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता होने पर इस प्रकार के प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जायेंगे। राज्य सरकार के स्तर पर ही इस प्रकार के प्रकरणों का निर्णय किया जायेगा।

7. स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टे जारी किये जाने बाबत्

- (i) राजस्थान स्टेट गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट, 1961 के तहत नजूल लैण्ड/सभी प्रकार की भूमियाँ जैसा कि सिवाय चक/कस्टोडियन भूमि आदि पर कच्चा/पक्का निर्माण बाबत सामान्य व्यक्ति के लिए 01.01.1965 से पूर्व तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का कब्जा 01.01.1985 से पूर्व का प्रमाणित होने की स्थिति में 300 वर्गमीटर के भूखण्ड का पट्टा राशि 1/- रुपये पर दिये जाने का प्रावधान है किन्तु प्रतिबंधित भू-भाग का नियमन नहीं किया जायेगा। जैसा कि पूर्व में निर्धारित है कि वक्फ, देवस्थान, वन एवं वह क्षेत्र जो जन सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है, का नियमन नहीं किया जायेगा। उक्त कट ऑफ अवधि गत अभियान में सामान्य वर्ग के लिए दिनांक 01.01.85 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये दिनांक 01.01.91 की गयी थी जिसे अब सामान्य वर्ग के लिये 01.01.90 व अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 01.01.96 किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- (ii) स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत हस्तान्तरित भूमियों में 300 वर्ग मीटर तक पूर्व में निर्धारित एक रुपये ठोकन रेट पर पट्टा जारी किया जायेगा। यदि भूखण्ड पर नीचे दुकान ऊपर मकान है या भूखण्ड का आंशिक रूप से व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है, तो उसके आवासीय/मिश्रित का पट्टा जारी किया जावेगा।
- (iii) उक्त नियमन केवल मास्टर प्लान के अनुसार अनुज्ञेय उपयोग तथा सड़क चौड़ाई के मापदण्डों के अनुरूप ही हो सकेगा। भवन विनियमों में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप किये गये निर्माणों का ही नियमन हो सकेगा।

8. नगरीय क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों के नियमन के संबंध में :-

शहरों में कच्ची बस्तियां मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों में औपचारिक आवासों की अनुपलब्धता के कारण बनती हैं। केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस कमी को दूर करने की

दृष्टि से प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारम्भ की गयी है, इस योजना की प्रभावी क्रियान्विति हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना—2015 लागू की गयी है, जिससे आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर व अल्प आयवर्ग के परिवारों को सस्ते आवास नियमित कॉलोनियों में सभी मूल नागरिक सुविधाओं यथा बिजली, पानी, सड़क, पार्क आदि के उपलब्ध कराये जा सके।

अतएव कच्ची बस्तियों के नियमन हेतु राज्य सरकार द्वारा Slum Redevelopment Policy-2012 बनायी हुयी है, जिसके तहत कच्ची बस्तियों के पुर्नविकास के प्रावधान किये गये हैं। केन्द्र सरकार द्वारा कच्ची बस्ती मुक्त शहरों की अवधारणा तैयार की गयी है तथा समय—समय पर माननीय न्यायालयों द्वारा भी कच्ची बस्तियों के नियमन के संबंध में आदेश प्रदत्त किये गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत कच्ची बस्तियों का पुर्नविकास किया जाकर उन्हें नियमित आवासीय इकाईयों का निर्माण दिया जाना प्रस्तावित है तथा राज्य सरकार Slum Redevelopment Policy-2012 के अन्तर्गत वर्तमान में बसी हुई कच्ची बस्तियों के पुर्नविकास के साथ—साथ इस श्रेणी के परिवारों के लिये आवश्यक आवासीय इकाईयों का निर्माण मुख्यमंत्री जन आवास योजना—2015 के तहत नगरीय निकायों/निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से पुनर्वास कराया जावेगा, ताकि कच्ची बस्ती की समस्या का निराकरण करते हुये शहरों को कच्ची बस्ती मुक्त करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

मंत्रीमण्डल की आज्ञा दिनांक 09.07.2005 की अनुपालना में कच्ची बस्ती एवं अन्य अतिक्रमण के नियमन के संबंध में एक मंत्रीमण्डलीय उप समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा नगरीय क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों के नियमन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसके अनुसार राज्य के नगरीय क्षेत्रों में दिनांक 01.04.2004 तक राजकीय भूमि पर अनियमित/अनाधिकृत रूप से बसी हुयी कच्ची बस्तियों के नियमन की कार्यवाही हेतु सिफारिश की गयी थी। इन दिशा—निर्देशों के तहत दिनांक 01.04.2004 तक सर्वधारी बसे हुये परिवारों को सर्वे के पश्चात् अधिकतम 110 वर्गगज आवासीय एवं रोजगार हेतु प्रयुक्त व्यवसायिक कार्य के लिये अधिकतम 15 वर्गगज तक भूमि के पट्टे देने की सिफारिश की गयी थी। नगरीय क्षेत्रों में दिनांक 01.04.2004 से पूर्व राजकीय/राजकीय संस्थान की भूमि पर अनियमित/अनाधिकृत रूप से बसी हुयी कच्ची बस्तियों में शेष रहे लाभार्थियों को राज्य सरकार के पूर्व निर्णय के प्रावधानों के अन्तर्गत पट्टे दिये जायेंगे।

उक्त नियमन केवल मास्टर प्लान के अनुसार अनुज्ञेय उपयोग तथा सड़क चौड़ाई के मापदण्डों के अनुरूप ही हो सकेगा। भवन विनियमों में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप किये गये निर्माणों का ही नियमन हो सकेगा।

9. भूपट्टी (खांचा भूमि) आवंटन के संबंध में :-

राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि का निष्पादन) नियम, 1975 के तहत किसी भी भूखण्ड से लगती हुई भू—पट्टी (स्ट्रीप ऑफ लैण्ड) जिसका अधिकतम क्षेत्रफल 100 वर्गगज हो का आवंटन

आरक्षित दर की दोगुनी दर से किये जाने का प्रावधान है। अधिक क्षेत्रफल के लिये प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाते हैं। उक्त प्रावधानों में शिथिलता देते हुए योजना अवधि में 150 वर्गगज क्षेत्रफल तक भू-पट्टी के रूप में नियमन के अधिकार नगरीय निकायों/नगर विकास न्यास/प्राधिकरणों को दिये जाते हैं। भू-पट्टी आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खांचा भूमि को किसी प्रकार से स्वतंत्र भूखण्ड के रूप में सृजित किया जाना संभव नहीं हो।

10. भूखण्डों के बढ़े हुए क्षेत्रफल के नियमन/ आवंटन के सम्बन्ध में

अनेक योजनाओं में आवंटित/विक्रय किये गये भूखण्डों का वास्तविक क्षेत्रफल योजना मानचित्र में दर्शाये गये भूखण्डों की नाप से मौके पर अधिक पाया जाता है। इसका मुख्य कारण योजना बनाते समय किये गये सर्वे तथा डिमार्केशन में भिन्नता होना है। ऐसे बढ़े हुए क्षेत्रफल पर कोई पृथक पहुँच मार्ग भी उपलब्ध ना होने के कारण इसका पृथक भूखण्ड के रूप में निष्पादन किया जाना संभव नहीं होता है। इस प्रकार बढ़े हुए क्षेत्रफल जो मूल क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत या 100 वर्गगज, जो भी कम हो, को आवंटित किये हुये भूखण्डों के मामले में प्रचलित आरक्षित दर की दुगुनी दर या वर्तमान डी.एल.सी. दर, जो भी अधिक हो, पर नियमन किया जायेगा तथा नीलामी में विक्रय किये गये भूखण्डों के मामलों में बढ़े हुये क्षेत्रफल को नीलामी दर मय ब्याज राशि जमा कराने पर नियमन किया जायेंगा।

11. भवन मानचित्र अनुमोदन :-

- (i) वर्तमान में भवन मानचित्र अनुमोदन नगरीय निकायों में गठित भवन मानचित्र समिति द्वारा किये जाते हैं, परन्तु नगरीय निकायों में भवन मानचित्र समितियों की नियमित बैठक नहीं होने के कारण भवन मानचित्र अनुमोदन के प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब होता है। मानचित्र अनुमोदन को गति प्रदान करने हेतु भवन मानचित्र समिति की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा। बैठक इस प्रकार आयोजित की जावें कि किसी भी प्रकरण का 30 दिवस में निष्पादन हो सके। यदि किसी निकाय द्वारा भवन मानचित्र समिति की बैठक आयोजित नहीं की जाती है, तो इस योजना के तहत गठित नगरीय निकायों की एम्पावर्ड कमेटी द्वारा आवेदित प्रकरणों का निष्पादन 30 दिवस में सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) भवन निर्माण के संबंध में मानचित्र अनुमोदन शुल्क व भवन निर्माण जांच शुल्क की राशि प्रस्तावित निर्मित क्षेत्रफल पर नियमानुसार ली जायेगी।
- (iii) योजना के दौरान शैक्षणिक संस्थानों द्वारा बिल्डिंग प्लान अनुमोदन से पूर्व भवन विनियमों के तहत बनाये गये निर्माण कार्य पर लगाई जाने वाली शारित (Penalty) को माफ किया जायेगा।

12. दिनांक 31.12.2015 से पूर्व 90 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर बने हुये आवासों के सैटबैक के नियमन के संबंध में – भवन विनियमों व सैटबैक के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के भूखण्डों पर बने आवासों के नियमन की कार्यवाही की जावेगी।
13. भूखण्डों के पुनर्गठन/उपविभाजन के प्रकरणों की स्वीकृति बाबत :-

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भूखण्डों का उप-विभाजन, पुनर्गठन एवं विकास) नियम, 1975 के अन्तर्गत इस अवधि के दौरान 1500 वर्गगज तक के जो प्रकरण प्राप्त हो या लम्बित चले आ रहे हो उनका निस्तारण नगरीय निकाय के द्वारा 30 दिवस के भीतर किया जावें। जिसमें नियमों में वर्णित सभी मापदण्डों की पूर्ण पालना की जायेगी। विलम्ब किये जाने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी निकाय द्वारा भवन मानचित्र समिति की बैठक आयोजित नहीं की जाती है तो इस योजना के तहत प्रस्तावित नगरीय निकायों की एम्पावर्ड कमेटी द्वारा आवेदित प्रकरणों का निष्पादन 30 दिवस में सुनिश्चित किया जायेगा। पुनर्गठन के बाद चाहे जाने वाली ऊर्चाई के प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल (पी.आई.एल.) संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में प्रदत्त निर्देश दिनांक 12.01.2017 को ध्यान में रखा जायेगा।

14. लीज राशि व नगरीय विकास कर पर ब्याज एवं शास्ति की छूट-

- (i) बजट वर्ष 2017–18 में माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गई घोषणा की अनुपालना में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5(3)नविवि/3/99 पार्ट दिनांक 15.03.2017 के द्वारा बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा करायी जाने पर ब्याज में शत प्रतिशत की छूट दी गई है। यह छूट दिनांक 01.04.2017 से 30.09.2017 तक प्रभावी रहेंगी।
- (ii) बजट वर्ष 2017–18 में माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गई घोषणा के क्रम में जारी आदेशों के तहत बकाया नगरीय विकास कर एक मुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज व पेनल्टी में छूट प्रदान की जावेगी। उक्त छूट दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 30.09.2017 तक प्रभावी रहेगी।

15. सिवायचक भूमि का स्थानीय निकायों को आवंटन –

स्थानीय निकायों को नगरीयकरण सीमा में स्थित सिवायचक भूमि का आवंटन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। नगरीय निकायों को आवंटित भूमि का सर्वे कार्य पूर्ण कर शहर की आवश्यकता के अनुरूप योजना तैयार करायी जायेगी एवं भूखण्ड आवंटन/नीलामी हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की कार्यवाही की जायेगी। मुख्यमंत्री जन आवास योजना एवं अन्य योजनाओं को

विकसित करने के लिये भी तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जिला कलेक्टर द्वारा उक्त कार्यवाही की सुनिश्चितता की जायेगी।

16 आवासीय क्षेत्रों/कृषि भूमि पर अनुमोदित योजनाओं में गैर आवासीय उपयोगों का नियमितिकरण:-

आवासीय क्षेत्रों/योजना क्षेत्रों/कृषि भूमि पर अनुमोदित आवासीय योजनाओं में गैर-आवासीय उपयोग/गतिविधियां संचालित हो रही है, जिनके निर्माणों को नियमितिकरण के लिये अनुज्ञेय उपयोग के अनुरूप उपलब्ध प्रावधानों एवं मास्टर प्लान के मध्यनजर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के अध्यधीन नियमितिकरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

17. सीलिंग अधिनियम, 1973, अल्सर अधिनियम, 1976 आदि से प्रभावित योजनाओं में नियमन-

- (i) राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.5(3)नविवि/3/99 दिनांक 09.03.2000 को जारी आदेश के अध्यधीन राजस्थान भू-स्वामियों की सम्पदा अर्जन अधिनियम, 1963 (राजा-महाराजाओं की भूमि), राजस्थान कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973, नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम, 1976 तथा बेरी आयोग से प्रभावित योजनायें जहां आबादी विकसित हो चुकी है और जिस पर न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है, के संबंध में नियमन की कार्यवाही भूमि को राजकीय भूमि मानते हुए किये जाने के निर्देश थे। सिवायचक भूमियों के नियमन के लिये राजकीय भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन करने के लिये ऊपर वर्णित विभागीय अधिसूचना दिनांक 21.09.2012 (वित्त विभाग से अनुमोदित) के द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर तथा ऊपर वर्णित परिपत्र दिनांक 06.01.2016 में बताये गये मापदण्डों के आधार पर इन योजनाओं में राजकीय भूमि के नियमन का कार्य किया जावे। ऐसी भूमियों को राजकीय मानकर नियमन किये जाने की स्थिति में स्टॉम्प ड्यूटी में कोई रियायत देय नहीं होगी।
- (ii) जयपुर रीजन के संदर्भ में नगर निगम जयपुर बनाम लेखराज सोनी से सम्बन्धित विशेष अनुमति याचिका के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (iii) जो प्रकरण न्यायालय में लम्बित है एवं स्थगन आदेश प्रभावी है उनके प्रकरण/स्थगन न्यायालय से विझ्ञा होने के उपरान्त ही नियमन की कार्यवाही की जायेगी।
- (iv) मास्टर प्लान में अनुज्ञेय भू-उपयोग के अनुरूप मौके पर भू-उपयोग पाये जाने पर और निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सङ्केत उपलब्ध होन पर ही नियमन किया जावे। जो निर्माण

भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप हो तो ही ऐसे भूखण्ड का पट्टा जारी किया जा सकता है।

18. राजस्थान आवासन मण्डल की अवाप्तशुदा भूमि, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सिचांई विभाग की भूमियों पर बसी आवासीय योजनाओं का नियमितिकरण:-

कई स्थानों पर आवासन मण्डल की अवाप्तशुदा भूमि पर आवासीय योजनाएँ विकसित हो गयी हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सिचांई विभाग की भूमियों पर भी आवासों का निर्माण किया जा चुका है। इन क्षेत्रों में मौके पर आवासीय कॉलानियाँ विकसित की जा चुकी हैं, जिसको अवाप्त किया जाना व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं है एवं आवासों का निर्माण हो चुका है। इन आवासों का नियमन इनमें निवास करने वाले परिवारों को राहत देने के लिए आवश्यक है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि उक्त विभागों द्वारा कब्जे में ली जा चुकी भूमि को छोड़कर, शेष भूमि अवाप्ति से मुक्त मानी जाकर उन पर बसी कॉलोनियों का नियमन विभागीय अधिसूचना दिनांक 21. 09.2012 के अनुसार राजकीय भूमि के नियमन के लिये निर्धारित दर पर तथा निम्नांकित शर्तों के पूर्ण होने पर किया जावे :—

- (i) नियमन से पूर्व संबंधित विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जायेगी।
- (ii) अधिकतम 300 वर्गगज तक के भूखण्ड का नियमन किया जा सकेगा।
- (iii) नियमन केवल वही किया जायेगा जहां संबंधित विभाग का कब्जा नहीं है, अवाप्तशुदा भूमि पर कम से कम 50 प्रतिशत क्षेत्र पर आवासीय बसावट हो चुकी हो और नियमित किये जाने वाले भूखण्ड पर भूखण्डधारी का कब्जा दिनांक 15.08.2009 तक होना प्रमाणित होता हो।
- (iv) सरकारी भूमि पर नियमित किये जाने वाले भूखण्डों को यदि भविष्य में जनहित में सङ्क चौड़ी करने के लिए अवाप्त किया जाता है तो मुआवजा राशि के रूप में नियमन के पेटे जमा करायी गई राशि एवं 6 प्रतिशत ब्याज दिया जायेगा और इस आशय की अण्डर टेकिंग आवंटी से ली जायेगी और पट्टे पर भी उक्त शर्त का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जायेगा। यदि कोई निर्माण कर लिया गया हो तो उसके लिए प्रचलित पी.डब्ल्यू.डी. बीएसआर के अनुसार राशि भी देय होगी।
- (v) ऐसी किसी भूमि पर नियमन नहीं किया जायेगा जो अब्दुल रहमान प्रकरण या अन्य किसी भी प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियमन/आवंटन के लिये निषिद्ध की गयी हो।
- (vi) किसी सङ्क एवं मार्गाधिकार में नियमन नहीं किया जा सकेगा।
- (vii) पार्क एवं अन्य सुविधा क्षेत्रों में नियमन नहीं किया जा सकेगा।

- (viii) दिनांक 15.08.2009 को कब्जे का साक्ष्य के रूप में विभागीय परिपत्र क्रमांक प. 3(50)नविवि/3/2012 पार्ट दिनांक 06.01.2016 के पैरा संख्या 25 के उप—पैरा (3)(xi) मे उल्लेखित दस्तावेज मान्य होगे। इनके अतिरिक्त आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं राशन कार्ड भी दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मान्य होगे।
- (ix) मास्टर प्लान में अनुज्ञेय भू—उपयोग के अनुरूप मौके पर भू—उपयोग पाये जाने पर और निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सङ्केत उपलब्ध होने पर ही नियमन किया जावे। जो निर्माण भवन विनियमों के प्रावधानो के अनुरूप हो तो ही ऐसे भूखण्ड का पट्टा जारी किया जा सकता है।
- (x) इन प्रकरणों में नियमन पर स्टॉम्प ड्यूटी में कोई रियायत देय नहीं होगी।
19. न्यायालयों के निर्णय से प्रभावित भूमि का नियमन निषेध – सुविधा क्षेत्र के भूखण्डों के नियमन तथा नदी, नाले, तालाब, नहर, झील, कैचमेन्ट एवं आदि में नियमन किया जाना माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार निषेध किया गया है। अतः ऐसे प्रकरणों का नियमन निषेध रहेगा।
20. ग्राम पंचायतों को पट्टा देने की अधिकारिता :-

न्यास/प्राधिकरण व नगरपालिकाओं के मास्टर प्लान में दर्शाये गये परिधीय क्षेत्र में अवस्थित ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले ग्राम में वर्तमान आबादी क्षेत्र, जैसा कि राजस्व नक्शे में दर्शाया हुआ है, की 500 मीटर तक की परिधि में तथा पंचायत के अन्य ग्रामों में आबादी क्षेत्र, जैसा की राजस्व नक्शे में दर्शाया हुआ है, से 200 मीटर तक की सीमा में सार्वजनिक सुविधाओं यथा राजकीय विद्यालय, राजकीय चिकित्सालय, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र, उप—स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पानी की टंकी, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रॉक्वर, आबादी विस्तार आदि के लिए सिवायचक भूमि आवंटित की जायेगी। इन ग्राम पंचायतों में आबादी भूमि/हस्तान्तरित सिवाय चक भूमियों पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत पट्टे दिये जाने की अधिकारिता इस योजना की अवधि में ग्राम पंचायतों की रहेगी। ग्राम पंचायतों के द्वारा रिक्त आबादी भूमि/हंस्तान्तरित सिवायचक भूमि के आवंटन में सार्वजनिक उपयोग एवं सार्वजनिक सुविधाओं के लिये आवश्यक भवनों हेतु भूमि आवंटन को प्राथमिकता दी जायेगी। जिला कलेक्टर ग्राम पंचायतों को भू—आवंटन कार्यवाही की मॉनिटरिंग भी करेगे। भूमि आवंटन ग्राम पंचायत की आवश्यकता के आंकलन के आधार पर ही किया जायेगा।

उक्त प्रयोजनार्थ पंचायतों को जयपुर रीजन में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा, जोधपुर रीजन में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा, अजमेर रीजन में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा तथा अन्य क्षेत्रों में जिला कलेक्टर द्वारा पंचायतों को भूमि उपलब्ध कराई जायेगी।

21. ई0 डब्ल्यू0 एस0/एल0 आई0 जी0/60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/ आवासों का आवंटन बहाल करने बाबत :- नगरीय निकायों के द्वारा आवंटित या नीलामी में बेचे गये भूखण्डों/आवासों की बकाया राशि समय पर जमा नहीं कराने से उनका आवंटन/नीलामी निरस्त मानी जाती है। जिनकी लम्बी अवधि व्यतीत होने पर उनका आवंटन/नीलामी बहाल करने की अनुमति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्राप्त होते हैं। ऐसे मामलों में गरीब वर्ग के व्यक्तियों को राहत देने के उद्देश्य से ई0डब्ल्यू0एस0/एल0आई0जी0/60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों जो नगरीय निकायों द्वारा आवंटित/नीलाम किये गये थे किन्तु आवंटियों ने निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं करायी और इस कारण आवंटन निरस्त हो गया तथा लम्बी अवधि व्यतीत हो चुकी है, उनके नियमन की राज्य सरकार की शक्तियां निकाय स्तर पर दी जाती हैं। अतः नगरीय निकाय ऐसे प्रकरणों का निस्तारण अपने स्तर पर ही करें।

बजट वर्ष 2017–18 में माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गई घोषणा के क्रम में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3 (1201)नविवि/3/2012 दिनांक 09.03.2017 से ई.डब्ल्यू. एस./एल. आई.जी. के आवंटित आवासों के दिनांक 01.01.2001 से बकाया राशि दिनांक 31.12.2017 तक एक मुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट दी गई है।

22. गाड़िया लुहारों, राजस्थान राज्य विमुक्त, घूमन्तु एवं अर्द्धघूमन्तु जातियों को 50 वर्गगज भूमि का निःशुल्क आवंटन :- गाड़िया लुहारों, राजस्थान राज्य विमुक्त, घूमन्तु एवं अर्द्धघूमन्तु जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु इन जातियों के प्रत्येक परिवार को 50 वर्गगज तक निःशुल्क भूखण्ड आवंटन नगरीय निकायों के द्वारा किया जायेगा। लेकिन ऐसे किसी परिवार को निःशुल्क भूखण्ड आवंटन नहीं किया जायेगा, जिनके पास पूर्व से ही आवासीय मकान अथवा आवासीय भूमि उपलब्ध है और ऐसे परिवार को भी निःशुल्क भूखण्ड आवंटन नहीं किया जायेगा, जिसको पूर्व में निःशुल्क भूखण्ड आवंटन किया गया था और बाद में उसे बेच दिया हो। उक्त आवंटन की कार्यवाही दिनांक 31.12.2017 तक की जा सकेगी।

23. भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में विकसित भूमि का विकल्प प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाने और ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किये जाने बाबत :- विभागीय परिपत्र क्रमांक प.6(29)नविवि/3/2004/पार्ट दिनांक 03.02.2015 के द्वारा राज्य सरकार ने भूमि अवाप्ति के लम्बित प्रकरणों, जिनमें खातेदारों द्वारा मुआवजे की राशि नहीं ली गई है अथवा मुआवजे की राशि न्यायालय में जमा है ऐसे खातेदारों को अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि देने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने की समयावधि कुछ शर्तों के साथ दिनांक 30.04.2015 निर्धारित की गई थी जिसे विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 04.06.2015 के द्वारा दिनांक 31.08.2015 तक बढ़ाया गया था। अब उक्त कट-ऑफ-डेट दिनांक 31.08.2015 को 30.09.2017 तक बढ़ाया जाता है।

इस अवधि में जो भी आवेदन पत्र प्राप्त हो, उन सबका शत प्रतिशत निस्तारण कर राज्य सरकार को प्रगति से अवगत कराया जायेगा। यदि किसी प्रकरण में विकसित भूमि दिये जाने का आवेदन अस्वीकार किया जाता है, तो ऐसे प्रकरणों की सूची मय ठोस कारण 15 दिवस में नगरीय निकाय के द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें।

24. नगरीय निकायों के द्वारा अन्य नियमित कार्य जो कानूनी प्रावधानों/योजनाओं/निर्देशों के तहत् सम्पादित किया जाना अपेक्षित है उन्हें भी विशेष तत्परता एवं समयबद्ध रूप से सम्पादित किया जायेगा।
25. योजना अवधि के दौरान नगर निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध में शिथिलन :-

योजना की अवधि में विभिन्न कार्यों की आवश्यकता को देखते हुए नगरीय निकायों के स्टाफ/कर्मचारियों को अपरिहार्य परिस्थितियों में एक दूसरे नगर निकायों में भेजने की आवश्यकता रहेगी। अतः स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध पर शिथिलन देते हुए विभाग स्तर पर (मंत्री स्तर पर) यह शक्तियां रहेगी कि स्टाफ/अधिकारियों को एक नगर निकाय से दूसरे नगर निकाय में स्थानान्तरित कर सके।

26. जिला कलेक्टरों को लघु शास्ति की शक्तियां—

इस योजना के दौरान नगरीय निकायों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा लापरवाही/उदासीनता बरतने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये लघु शास्ति आरोपित करने की शक्तियां जिला कलेक्टरों को प्रदत्त की जा रही हैं।

27. समस्त नगरीय निकायों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति —

(i) योजना के दौरान प्रतिदिन सम्पादित किये गये कार्यों की नगरीय निकाय की साप्ताहिक एवं पाक्षिक रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु प्रत्येक नगरीय निकाय में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी। साप्ताहिक एवं पाक्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये एवं संकलित सूचनाएँ तैयार करने हेतु स्थानीय निकाय निदेशालय में एक मुख्य नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा। नियंत्रण कक्ष में प्रभारी अधिकारी एवं उनके सहयोग के लिए समुचित कार्मिकों की नियुक्ति निदेशक स्थानीय निकाय विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। एक पृथक नियंत्रण कक्ष मुख्य नगर नियोजक कार्यालय में भी स्थापित किया जायेगा जिसमें विकास प्राधिकरणों एवं नगर विकास न्यासों से अभियान की सूचनायें उपरोक्तानुसार प्रेषित की जायेगी और इन सूचनाओं की एक प्रति निदेशालय स्थानीय निकाय में स्थापित मुख्य नियंत्रण कक्ष में भी प्रेषित की जायेगी। मुख्य नगर नियोजक कार्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय), नगरीय विकास विभाग होंगे। मुख्य नगर नियोजक कार्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष

में स्टाफ एवं अन्य सुविधायें मुख्य नगर नियोजक द्वारा उपलब्ध करवायी जावेगी। योजना के दौरान प्राप्त होने वाले संदर्भों का त्वरित निस्तारण निदेशक स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय) नगरीय विकास विभाग के सहयोग से कराया जायेगा।

- (ii) नगरीय निकायों में नियुक्त नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि इस योजना का पर्याप्त प्रचार-प्रसार जन सामान्य में करेगे, जनप्रतिनिधियों से भी बैठक कर उनको योजना की जानकारी देंगे और इसके सफल क्रियान्वयन हेतु उनका सहयोग भी प्राप्त करेगे। अपने कार्यालय स्टाफ को योजना की आवश्यक जानकारी एवं कानूनी प्रावधानों/निर्देशों आदि के संबंध में प्रशिक्षित भी करेंगे तथा योजना के विभिन्न बिन्दुओं के क्रियान्वयन की व्यूह रचना करेंगे। मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी उक्त कार्यों के लिये उत्तरदायी होंगे। जिला कलेक्टर भी उक्त कार्यवाही की सुनिश्चितता करेंगे जिससे वे लगातार नगरीय निकाय के अधिकारियों के साथ सम्पर्क में रहेंगे।
- (iii) योजना की क्रियान्विति के लिये संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों, परिपत्रों, आदेशों तथा प्रक्रिया का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिये जिसके लिये नगरीय निकाय अपने स्तर पर प्रशिक्षण व्यवस्था करेगे। नगरपालिका एवं नगर परिषदों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण सम्बन्धित क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा और उनकी देखरेख में कराया जावेगा एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण अन्य स्तरों पर भी कराया जायेगा। प्रशिक्षण के लिये FAQs व प्रशिक्षण हेतु “प्रस्तुतिकरण” (Presentation) अलग से प्रेषित किये जा रहे हैं। प्रशिक्षण एवं अन्य तैयारियों की कार्यवाही दिनांक 09.05.2017 से पूर्व सम्पूर्ण हो जानी चाहिये।
- (iv) जिलों में इस योजना का जिला कलक्टर द्वारा समन्वय (Co-ordination) किया जायेगा। योजना के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला कलक्टर की रहेगी। जिला कलक्टर एवं जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/ सहायक कलक्टर आदि द्वारा विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय का कार्य सुनिश्चित किया जायेगा और योजना में बताये गये कार्यों का नियमित रूप से निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग की जायेगी। स्थानीय निकाय में यदि कोई पद रिक्त हो जाता है तो कलक्टर द्वारा जिले में कार्यरत् किसी अन्य अधिकारी को तत्काल उसका अतिरिक्त कार्यभार सौपा जाकर कार्य को नियमित रूप से चालू रखा जावेगा।
- (v) सम्भागीय आयुक्तों द्वारा भी नगरीय निकाय द्वारा सम्पादित कार्यों का नियमित निरीक्षण किया जायेगा एवं उचित मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश प्रदान कर सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की क्रियान्विति सुनिश्चित की जायेगी।

- (vi) जिलो के प्रभारी मंत्री एवं प्रभारी सचिव अपने आवंटित जिलो के भ्रमण के समय इस योजना के बिन्दुओं की प्रगति पर भी समीक्षा करेगे। जिला कलेक्टर इस विषय में प्रभारी मंत्री एवं प्रभारी सचिव को समय-समय पर प्रगति से अवगत करायेगे। प्रभारी मंत्री एवं प्रभारी सचिव जिलों के भ्रमण के पश्चात् अपना फीड बैक एवं सुझावों से अवगत करायेगे।
28. कठिनाईयों के निराकरण हेतु विभागीय एम्पावर्ड कमेटी का गठन एवं उसे अधिकृत किया जाना:-
- इस योजना के दौरान विभागीय निर्देशों/नियमों के प्रावधानो एवं प्रक्रिया से संबंधित कई व्यावहारिक कठिनाईयां एवं इससे संबंधित मार्गदर्शन के बिन्दु आ सकते हैं जिनका निराकरण तत्काल करना आवश्यक होगा। जिन प्रकरणों में विभाग निर्णय लेने में सक्षम है उनमें विभाग स्तर पर निर्णय लिया जा सकेगा और अन्य मामलों में निर्णय लेने हेतु विभाग के माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया हैं जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे:-
- (i) अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
 - (ii) प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
 - (iii) प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग एवं
 - (iv) प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
- वित्त विभाग एवं राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव उक्त समिति में भाग लेते समय उनके विभाग के संबंधित निर्णय लेने में सक्षम होंगे।
29. योजना की प्रगति रिपोर्ट :— प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा इस योजना के प्रत्येक बिन्दु पर साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट निदेशक स्थानीय निकाय के कार्यालय में स्थित नियंत्रण कक्ष में प्रेषित की जायेगी। विकास प्राधिकरणों एवं नगर विकास न्यासों के द्वारा प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्रों में दो प्रतियों में प्रेषित की जायेगी जिसकी एक प्रति मुख्य नगर नियोजक कार्यालय में स्थित नियंत्रण कक्ष में एवं दूसरी प्रति निदेशालय स्थानीय निकाय में स्थापित मुख्य नियंत्रण कक्ष में प्रेषित की जायेगी। प्रगति रिपोर्ट के लिये निर्धारित प्रपत्र निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा समस्त नगरीय निकायों को प्रेषित किये जायेगे। नगरीय निकाय में नियुक्त नोडल अधिकारी इस कार्य के लिये उत्तरदायी रहेगे। योजना के प्रत्येक बिन्दु पर प्राप्त सूचनाओं को संकलित करते हुये मासिक रिपोर्ट राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्षों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा स्वायत्त शासन विभाग को प्रस्तुत की जायेगी जिसकी समीक्षा राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

अतः उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार “मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना” की क्रियान्विति की आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली जावें। प्रत्येक नगरीय निकाय में स्थापित नियंत्रण कक्ष एवं प्रभारी अधिकारी/नोडल अधिकारी की सूचना निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को एवं संयुक्त शासन

सचिव—द्वितीय, नगरीय विकास विभाग को दिनांक 30.04.2017 तक आवश्यक रूप से प्रेषित की जावें। योजना से संबंधित जिन बिन्दुओं पर राजस्व विभाग/वित्त विभाग/कार्मिक विभाग के आदेश अपेक्षित हैं, वे पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम
नगरीय विकास विभाग

(पवन अरोड़ा)
संयुक्त शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग/नगरीय विकास एवं आवासन विभाग/ग्रामीण विकास एवं पंचायती विभाग/जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन/वित्त/राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. आयुक्त, अजमेर/जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
9. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव—प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.), राजस्थान, जयपुर।
12. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त), राजस्थान।
13. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग (समस्त), राजस्थान।
14. आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका (समस्त), राजस्थान।
15. रक्षित पत्रावली।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम
नगरीय विकास विभाग

(पवन अरोड़ा)
संयुक्त शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत आयोजित किये जाने वाले शिविरों में किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः—

1. कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं का नियमन।
2. सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत आवासीय निर्माणों का नियमन।
3. आवासीय क्षेत्रों/कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनियों के भीतर गैर-आवासीय गतिविधियों का नियमतिकरण।
4. सीलिंग अधिनियम, अल्सर अधिनियम, भू-स्वामियों की सम्पदा अर्जन अधिनियम, बेरी आयोग, दवे आयोग एवं कस्टोडियन भूमियों से प्रभावित योजनाओं में नियमन।
5. विभिन्न विभागों यथा राजस्थान आवासन मण्डल, सार्वजनिक निर्माण विभाग एंव अन्य विभागों द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का नियमितिकरण।
6. स्टेट ग्रान्ट एकट के अन्तर्गत पट्टे जारी करना।
7. कच्ची बस्ती नियमन के संबंध में।
8. खांचा भूमि का आवंटन।
9. निकायों के द्वारा नीलाम/आवंटन किये गये भूखण्डों के बढ़े हुये क्षेत्रफल का नियमन।
10. भवन मानचित्र अनुमोदन।
11. दिनांक 31.12.2015 से पूर्व 90 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर बने आवासों के सेटबेक का नियमन।
12. भूखण्डों के पुर्नगठन/उप विभाजन की स्वीकृति।
13. बकाया लीज व एक मुश्त लीज जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करना एवं नगरीय विकास कर की ब्याज एवं शास्ति की राशि में छूट देकर वसूली करना।
14. सिवाय चक भूमि का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण।
15. प्राधिकरणों/न्यासों के क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों को आबादी हेतु भूमि आवंटन।
16. ई० डब्ल्य०० एस०/एल० आई० जी०/६० वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों का आवंटन बहाल करना।
17. गाडिया लुहारों, राजस्थान राज्य विमुक्त, घूमन्तु एवं अर्द्धघूमन्तु जातियों को 50 वर्गगज भूमि का निःशुल्क आवंटन।
18. भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में विकसित भूमि का विकल्प प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाने और ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किये जाने बाबत।
19. भूखण्डों के नाम हस्तान्तरण।
20. जन्म—मृत्यु पंजीयन एवं जन्म—मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाना।

21. स्वच्छता अभियान के लिये जनजागरूकता एवं विकास कार्य तथा शहर को खुले में शौच मुक्त किये जाने हेतु व्यक्तिगत शौचालय हेतु घरेलू ईकाई एवं सामुदायिक शौचालय स्थल का चिन्हिकरण एवं स्वीकृति जारी करना।
22. सीवरेज कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना, स्वीकृति जारी करना एवं कनेक्शन किया जाना।
23. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह का गठन, कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु युवाओं का चयनिकरण एवं आवेदन प्राप्त करना, स्व-रोजगार हेतु ऋण दिलवाने बाबत् आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना।
24. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की क्रियान्विति हेतु बावड़ियों/जल स्त्रोतों का चयन तथा वर्षा जल संग्रहण संरचना निर्माण हेतु राजकीय भवनों का चयन एवं आवश्यक स्वीकृति जारी करना।
25. मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को सस्ते मकान उपलब्ध करवाने हेतु आय प्रमाण-पत्र जारी करना एवं योजनाये तैयार करना।
26. हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग श्रेणी के भूखण्डधारी से लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु अनुदान/ऋण से जुड़ा ब्याज अनुदान योजना हेतु आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना। वार्ड में बेघर व्यक्तियों/परिवारों की पहचान कर आवास/आश्रय स्थल हेतु प्रस्ताव तैयार करना।
27. सड़क मार्गाधिकार निर्धारण।
28. पार्कों एवं अन्य सुविधा क्षेत्रों का सीमांकन करना।
29. राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अन्य कार्य।

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

(जी-३, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, २२ गोदाम, जयपुर)

क्रमांक : ५२९२

दिनांक : २६.४.२०१७

आदेश

शहरी जन कल्याण शिविर-२०१७ के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित जिलों का जिला प्रभारी नियुक्त किया जाता है:-

क्र.सं.	अधिकारी	आवंटित जिले
०१.	अतिरिक्त निदेशक	जयपुर, दौसा
०२.	उप निदेशक (प्रशासन)	करौली, सवाई माधोपुर
०३.	सहायक निदेशक (सतर्कता)	टोंक, अजमेर
०४.	सचिव, भर्ती आयोग	सीकर
०५.	अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत)	झूंगरपुर, प्रतापगढ़
०६.	वरिष्ठ नगर नियोजक	चित्तौडगढ़, राजसमंद
०७.	परियोजना निदेशक	पाली, सिरोही
०८.	मुख्य अभियन्ता	बून्दी, झालावाड़
०९.	मुख्य लेखाधिकारी	हनुमानगढ़, चूरू
१०.	अधिशाषी अभियन्ता (श्री सैनी)	बाड़मेर, जालौर
११.	उप निदेशक (क्षेत्रीय), अजमेर	भीलवाड़ा, नागौर
१२.	उप निदेशक (क्षेत्रीय), जोधपुर	जोधपुर, जैसलमेर
१३.	उप निदेशक (क्षेत्रीय), बीकानेर	बीकानेर, श्रीगंगानगर
१४.	उप निदेशक (क्षेत्रीय), जयपुर	अलवर, झुन्झुनू
१५.	उप निदेशक (क्षेत्रीय), कोटा	कोटा, बारां
१६.	उप निदेशक (क्षेत्रीय), उदयपुर	उदयपुर, बांसवाड़ा
१७.	उप निदेशक (क्षेत्रीय), भरतपुर	भरतपुर धौलपुर

उपरोक्त अधिकारीगण आवंटित जिलों की नगरीय निकायों से प्रभावी समन्वय रखते हुए जन कल्याण शिविरों का आयोजन करवाएंगे। इस हेतु शिविरों के आयोजन की पूर्व तैयारी की व्यवस्था करवायेंगे, साथ ही प्रतिदिन शिविरों की कार्य की समीक्षा कर निर्धारित प्रपत्र में सूचना संकलित कर मुख्यालय पर इस कार्य हेतु गठित प्रकोष्ठ में उपलब्ध करवायेंगे एवं आवश्यकतानुसार शिविरों का निरीक्षण करने के लिये इन जिलों का भ्रमण भी करेंगे।

ह0/-

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : 5293-5343

दिनांक 26.4.2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
4. अतिरिक्त निदेशक/उप निदेशक (प्रशासन)/सहायक निदेशक (सतर्कता)/सचिव, भर्ती आयोग/अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत)/वरिष्ठ नगर नियोजक/परियोजना निदेशक/मुख्य अभियन्ता/मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. सुरक्षित पत्रावली।

ह0/-

(मुकेश कुमार मीणा)

अतिरिक्त निदेशक

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.8 (ग)(15)नियम / डीएलबी / 17 /

जयपुर दिनांक 27.4.2017

अधिसूचना

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना (दिनांक 10.05.17 से 10.07.17) के दौरान विभिन्न प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की दृष्टि से राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 23 संपर्कित नियम 32 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा अभियान अवधि के लिए योजनाओं में आवंटित/विक्रय किये गये भूखण्डों का वास्तविक क्षेत्रफल योजना मानचित्र में दर्शाये गये भूखण्डों की नाप से मौके पर अधिक पाया जाता है, तो इस प्रकार बढ़े हुए क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत या 100 वर्गगज जो भी कम हो, को आवंटित किये हुये भूखण्डों के मामले में प्रचलित आरक्षित दर की दुगुनी दर या वर्तमान डी.एल.सी. दर, जो भी अधिक हो, पर आवंटन/नियमन किये जाने तथा नीलामी में विक्रय किये गये भूखण्डों के मामलों में बढ़े हुये क्षेत्रफल को नीलामी दर मय व्याज राशि जमा कराने पर आवंटन/नियमन करने की शक्तियां एम्पार्वड कमेटी को प्रत्यायोजित की जाती है।

यह छूट मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना (दिनांक 10.05.17 से 10.07.17) के दौरान तथा दिनांक 10.07.17 के पश्चात भी इस योजना में दी गई सुविधाएं एवं रियायतें यथावत रहेगी, जिसके अन्तर्गत अग्रिम आदेश तक कार्यवाही की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0/-
(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: प.8(ग)(15)नियम / डीएलबी / 17 /

जयपुर, दिनांक: 27.4.2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर
02. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
04. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
05. महापौर / सभापति / अध्यक्ष नगर निगम / परिषद / पालिकायें समस्त राजस्थान

06. आयुक्त / उपायुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिकायें समस्त राजस्थान।
07. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान, जयपुर
09. समस्त अधिकारी, निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
10. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु
11. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
12. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली

ह0/-
(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामशी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

प. 8(ग)(3)नियम / डीएलबी / 10 / 2823

जयपुर दिनांक 10.02.17

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का राजस्थान अधिनियम संख्या 18) की धारा 107 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा इस विभाग की पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)(3)/नियम / डीएलबी / 10 / 8884 दिनांक 24.08.2016 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. बिन्दु संख्या 1 में निम्नानुसार परन्तुक जोड़ा जाता है:-

“परन्तु गेस्ट हाऊस/पेईग गेस्ट होस्टल भवन को जो 100 वर्गगज से कम क्षेत्रफल में संचालित है नगरीय विकास कर के दायित्व से मुक्त होगे।”

2. बिन्दु संख्या 2 में निम्नानुसार परन्तुक जोड़ा जाता है:-

“परन्तु संस्थानिक परिसर तथा शैक्षणिक संस्थान एवं अस्पताल, डाइग्नोस्टिक सेन्टर (संस्थानिक भवन) जो 100 वर्गगज से कम क्षेत्रफल में संचालित है कर दायरे से मुक्त होगे।”

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0/-
(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प. 8(ग)(3)नियम / डीएलबी / 10 / 2428—3285

जयपुर दिनांक 10.02.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
04. महापौर / सभापति / अध्यक्ष नगर निगम / परिषद / पालिकायें समस्त राजस्थान
05. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिकायें समस्त राजस्थान।
06. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर

07. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर
08. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
09. सीएमएआर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु
10. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु
11. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
12. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज0जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली

ह0 /—
(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

प.8(ग)(11)नियम / डीएलबी / 17 / 4415

जयपुर दिनांक 20.02.17

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का राजस्थान अधिनियम संख्या 18) की धारा 102 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)(3)/नियम/डीएलबी/10/9356 दिनांक 24.08.2016 की निरन्तरता में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः—

“पुराने सिनेमा घर सिंगल स्क्रीन (मल्टीप्लेक्स को छोड़कर) में निर्मित क्षेत्रफल पर व्यावसायिक दर से नगरीय विकास कर देय होगा तथा शेष खाली भूमि पर व्यावसायिक दर का 25 प्रतिशत नगरीय विकास कर देय होगा।”

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0/-
(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
जयपुर दिनांक 20.02.17

प. 8(ग)(11)नियम / डीएलबी / 17 / 4416—4877

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

01. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
04. महापौर / सभापति / अध्यक्ष नगर निगम / परिषद / पालिकायें समस्त राजस्थान।
05. आयुक्त / अधिशासी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिकायें समस्त राजस्थान।
06. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
07. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर।
08. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान।
09. सीएमएआर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
10. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु।
11. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
12. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

ह0/-
(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: प.8(ग)(32)नियम / डीएलबी / 16 / 8730

जयपुर दिनांक: 11.04.17

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.8(ग)()नियम / डीएलबी / 10 / 4836–5026 दिनांक 16.05.2013 द्वारा कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण किये जाने के समय सडक की चौड़ाई बढ़ाई जाने हेतु भू–पट्टी समर्पण के पश्चात् शेष रही भूमि/भूखण्ड पर ही भू–उपयोग परिवर्तन राशि एवं लीजमनी देय होने के निर्देश जारी किये गये थे। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 16.05.2013 के प्रकरणों में ही उक्त छूट प्रदान की जा रही है। इस संबंध में कतिपय स्थानीय निकायों तथा क्रेडाई राजस्थान द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया है कि उक्त आदेश दिनांक 16.05.2013 प्रभावशील होने के पूर्व के ऐसे मामलों में सडक की चौड़ाई बढ़ाई जाने हेतु भू–पट्टी समर्पण के पश्चात् शेष रही भूमि/भूखण्ड पर ही भू–उपयोग परिवर्तन राशि एवं लीजमनी देय होने के संबंध में स्पष्ट निर्देश नहीं होने के कारण उक्त छूट प्रदान नहीं की जा रही है।

अतः राज्य सरकार एतद्द्वारा व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुये निर्देश प्रदान करती है कि आदेश क्रमांक प.8(ग)()नियम / डीएलबी / 10 / 4836–5026 दिनांक 16.05.2013 के पूर्व के प्रकरणों में भी सडक की चौड़ाई बढ़ाई जाने हेतु भू–पट्टी समर्पण के पश्चात् शेष रही भूमि/भूखण्ड पर ही भू–उपयोग परिवर्तन राशि एवं लीजमनी देय होगी। समर्पित भूमि पर समर्पण की तिथी के पश्चात् कोई लीज मनी व भू–उपयोग परिवर्तन राशि देय नहीं होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0/-
(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प.8(ग)(32)नियम / डीएलबी / 16 / 8731–9123

जयपुर दिनांक: 11.04.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राज0।
04. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
05. उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान।
06. सीएमएआर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।

ह0/-
(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.8 (ग)()नियम /डीएलबी /15 /9400

जयपुर दिनांक 24.04.17

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का राजस्थान अधिनियम संख्या 18) की धारा 107 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह मत रखते हुए कि ऐसा करने को लिए समुचित कारण विद्यमान है, एतद्वारा राजस्थान राज्य के समस्त नगर निगम, नगर परिषदों एवम् नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित भूतपूर्व सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं, वीरगति प्राप्त सैनिकों की वीरांगनाओं/विधवाओं एवं उन पर आश्रित माता/पिता/नाबालिग बच्चे तथा जिनका राजस्थान में केवल एक ही रिहायशी मकान है तथा जिनमें वे निवास करते हैं एवं मकान का आंशिक भाग किराये पर दिया गया हो, को दिनांक 24.08.16 से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 102 उप-धारा (1) के खण्ड (1) के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0/-
(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: प.8(ग)()नियम /डीएलबी /15 /9401—9865
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

जयपुर, दिनांक: 24.04.17

01. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर
02. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
04. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान
06. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
07. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर
09. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
10. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु
11. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
12. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली

ह0/-
(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: प.8(ग)()नियम/डीएलबी/17/5371

जयपुर दिनांक: 07.03.17

परिपत्र

स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)(3)नियम/डीएलबी/10/267 दिनांक 04.01.2017 के बिन्दु 1 में निम्न प्रावधान है:-

“बजट होटल व 1, 2 व 3 स्टार होटलों पर निर्मित क्षेत्रफल पर औद्योगिक दर से कर उदग्रहित किया जावेगा तथा रिक्त भूमि पर औद्योगिक दर का 50 प्रतिशत कर उदग्रहित किया जावेगा।

परन्तु 4 व 5 स्टार होटलों पर निर्मित क्षेत्र पर व्यावसायिक दर से कर उदग्रहित किया जावेगा तथा रिक्त भूमि पर उक्त दर का 50 प्रतिशत कर उदग्रहित किया जावेगा।

परन्तु यह और कि 4 व 5 स्टार होटलों द्वारा यदि औद्योगिक दर से कर चालू वित्तीय वर्ष (2016–17) में जमा करवाया गया है तो उनसे औद्योगिक दर एवं व्यावसायिक दर की अन्तर राशि वसूल की जावेगी। ”

यह जानकारी में आया है कि अनेक 4 व 5 स्टार के होटलों द्वारा अपनी केटेगरी का निर्धारण नहीं कराया है और ऐसे होटल नगरीय विकास कर निर्धारित व्यावसायिक दर के स्थान पर औद्योगिक दर से जमा कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो नियम विरुद्ध है।

नगरीय विकास कर निकायों की आय का मुख्य स्रोत है, इसलिये यह आवश्यक है कि किसी सम्पत्ति पर उक्त कर निर्धारित अधिसूचित दर से ही वसूल किया जावे।

इस क्रम में ऐसे 4 व 5 स्टार होटल जिनके द्वारा अपनी केटेगरी का निर्धारण नहीं कराया है, के संबंध में निकायों को निर्देश दिये जाते हैं कि ट्रेवल ऐजेन्सी, वैबसाईट/होटल ऐसोशियन वैबसाईट अथवा निजी होटल वैबसाईट पर ऐसी होटलों की जो केटेगरी प्रदर्शित कर रखी है, उस केटेगरी को आधार मानकर ऐसी होटलों से निर्धारित दर के अनुसार ही नगरीय विकास कर वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

ह0/-
(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्रीमहोदय, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर।
3. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राज0।
4. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
5. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशासीअधिकारी, नगरनिगम/परिषद/पालिका राज0।
6. सुरक्षित पत्रावली।

ह0/-
(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

प.8(ग)(3)नियम / डीएलबी / 10 / 8884

जयपुर दिनांक 24.05.2016

अधिसूचना

स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना संख्या प.8(ग)(327)नियम / स्वा.शा./ 1995 / 5944 दिनांक 29.08.2007 को अतिक्रमित करते हुए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का राजस्थान अधिनियम संख्या 18) की धारा 107 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह मत रखते हुए कि ऐसा करने के लिए समुचित कारण विद्यमान है, एतद्वारा राजस्थान राज्य के समस्त नगर निगम, नगर परिषदों एवम् नगर पालिकाओं क्षेत्रों में स्थित निम्न प्रकार की भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र/तल क्षेत्रों को तुरन्त प्रभाव से उक्त अधिनियम की धारा 102 उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात :—

1. 300 वर्गगज तक के समस्त स्वतन्त्र आवास एवम् उस पर बने फ्लेट,
2. 300 वर्गगज तक के संरथानिक व औद्योगिक परिसर,
3. 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्र की भूमि पर निर्मित 1500 वर्गफीट (Built up Area) तक के आवासीय फ्लेट।
4. राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107 में छूट प्राप्त सम्पत्तियां,
5. केवल धार्मिक (पूजा, अर्चना एवं प्रार्थना आदि के) उपयोग की समस्त सार्वजनिक सम्पत्तियां (वाणिज्यिक उपयोग सहित)।
6. निम्नलिखित प्रयोजन हेतु उपयोग में आ रही भूमि/भवन :—
 - (i) अनाथ सेवा आश्रम, वृद्ध आश्रम, पेंशनर्स रेस्ट हाउस, महिला आश्रम।
 - (ii) अपाहिज, अपंग, मूक-बधिर, अंध विधालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र व ऐसे व्यक्तियों द्वारा संचालित रोजगार केन्द्र।
 - (iii) गोशाला, कुष्ठ आश्रम, प्राकृतिक चिकित्सालय एवं योग साधना केन्द्र रैन बसेरा आदि
 - (iv) सार्वजनिक जल केन्द्र, (प्याउ) सार्वजनिक मूत्रालय एवं शौचालय
 - (v) प्रेसक्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, रिडिंग रूम (सार्वजनिक वाचनालय)
7. राज्य सरकार के विशेष आदेश द्वारा कर मुक्त की गई शैक्षणिक संस्थाए

8. 100 वर्गगज तक व्यावसायिक भू-खण्ड जिनमें 900 वर्गफीट तक (Built up Area) निर्माण हो, परन्तु 900 वर्गफीट से अधिक निर्मित क्षेत्र होने पर समस्त क्षेत्र पर कर देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0/-
(पुरुषोत्तम बियानी)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

प. 8(ग)(3)नियम / डीएलबी / 10 / 8885—9355

जयपुर दिनांक 24.08.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर
02. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
04. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
05. महापौर / सभापति / अध्यक्ष नगर निगम / परिषद / पालिकायें समस्त राजस्थान
06. आयुक्त / उपायुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिकायें समस्त राजस्थान।
07. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर
09. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
10. सीएमएआर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु
11. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु
12. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
13. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली

ह0/-
(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

अधिसूचना

स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना संख्या प.8(ग)(327)नियम / स्वा.शा. / 1995 / 5513 दिनांक 29.08.2007 एवं नगरीय विकास कर के संबंध में समय—समय पर जारी समस्त आदेशों/परिपत्रों को अतिक्रमित करते हुए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का राजस्थान अधिनियम संख्या 18) की धारा 102 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान राज्य की समस्त नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगरपालिकाओं द्वारा अपने क्षेत्रों में स्थित भूमि (कृषि भूमि के अतिरिक्त except agriculture land) या निर्मित क्षेत्र/तल क्षेत्रों पर तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार कर उद्गृहीत किया जावेगा:—

1. कर का निर्धारण सम्पत्ति के वर्गीकरण के अनुसार निम्न सूत्रों के आधार पर किया जावेगा:—

(अ)—आवासीय इकाई पर कर निर्धारण:—

भूमि का क्षेत्रफल (वर्गगज में)	X	क्षेत्र की आवासीय डीएलसी दर (प्रति वर्गमीटर)
-----------------------------------	---	--

2000

(ब)—बहुमंजिला भवनों में फ्लेट हेतु कर की गणना निर्मित तलक्षेत्र (**Built up floor Area**) के आधार पर निम्नानुसार की जावेगी:—

तल क्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्गगज में)	X	क्षेत्र की आवासीय डीएलसी दर (प्रति वर्गमीटर)
---	---	--

2000

(स)— संस्थानिक / औद्योगिक इकाई पर कर की गणना:—

भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र (जो भी अधिक हो) का क्षेत्रफल (वर्गगज में)	X	क्षेत्र की संस्थानिक / औद्योगिक डीएलसी दर (प्रति वर्गमीटर)
---	---	---

2000

(द)– व्यावसायिक इकाई पर कर निर्धारण :—

भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र (जो भी अधिक हो) का क्षेत्रफल (वर्गगज में)	X	क्षेत्र की व्यावसायिक डीएलसी दर (प्रति वर्गमीटर)
---	---	--

2000

2. नगरीय विकास कर भूमि /निर्मित भवन के क्षेत्र पर, वार्षिक आधार पर एवं इकाई आधार पर निम्नानुसार देय होगा:—

- i. कर का निर्धारण सम्बन्धित क्षेत्र की 1 अप्रैल को प्रभावी डीएलसी दरों के आधार पर किया जावेगा।
- ii. जिस क्षेत्र की औद्योगिक डीएलसी दरें तय नहीं है, उन क्षेत्रों के लिए निकटतम क्षेत्र की औद्योगिक दरें प्रभावी रहेंगी।
- iii. करदाता द्वारा स्वयं कर का स्व निर्धारण किया जा सकेगा।
- iv. कर का निर्धारण सम्पत्ति के वास्तविक उपयोग के आधार पर किया जावेगा। आवंटन चाहे किसी भी उपयोग के लिये हो।
- v. कर का दायित्व स्वामित्व एवम् अधिवास के आधार पर होगा।
- vi. स्वतन्त्र आवास में कर का निर्धारण भूमि के क्षेत्र के आधार पर किया जावेगा।
- vii. फ्लेट पर कर निर्धारण निर्मित क्षेत्र (Built up Area वर्गगजों में) के आधार पर किया जावेगा।
- viii. विभाजित सम्पत्तियों का कर निर्धारण उनके स्वामित्व के हिस्से को फ्लेट मानकर किया जावेगा।
- ix. वाणिज्यिक/औद्योगिक /संस्थानिक परिसरों में भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र (गजों में) जो भी अधिक हो के आधार पर कर की गणना की जावेगी।
- x. ऐसे आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक परिसर जहां एक से अधिक स्वामित्व की सम्पत्ति हो, उनके पृथक—पृथक निर्मित क्षेत्र (Built up Area वर्गगजों में) के आधार पर कर की गणना की जावेगी।
- xi. 100 वर्गगज से अधिक के व्यावसायिक भूखण्डों पर भिन्न—भिन्न स्वामित्व के निर्मित क्षेत्र (Built up Area), के आधार पर पृथक—पृथक कर निर्धारिण किया जावेगा।

- xii. 300 वर्गगज क्षेत्र से अधिक की औद्योगिक उपयोग की सम्पत्तियों पर भिन्न-भिन्न स्वामित्व के निर्मित क्षेत्र (Built up Area) के आधार पर पृथक-पृथक कर निर्धारण किया जावेगा।
- xiii. केन्द्र सरकार की व्यावसायिक उपयोग में आ रही सम्पत्तियों पर भी कर लागू होगा।
- xiv. यह कर समस्त निजी स्वामित्व की सम्पत्तियों, सार्वजनिक उपकरणों, मण्डलों, निगमों इत्यादि पर लागू होगा।
3. 300 वर्गगज तक के आवासीय/औद्योगिक/संस्थानिक भूखण्ड जिन पर आवासीय/औद्योगिक/संस्थानिक निर्माण के अतिरिक्त 900 वर्गफूट से कम का व्यावसायिक निर्माण है, कर मूक्त रहेगे। परन्तु उक्त श्रेणी के भूखण्डों में 900 वर्गफूट से अधिक का व्यावसायिक उपयोग होने की स्थिति में व्यावसायिक उपयोग में लिये जा रहे सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र पर व्यावसायिक दर से कर देय होगा।
4. 300 वर्गगज से अधिक के आवासीय/औद्योगिक/संस्थानिक उपयोग के भूखण्ड जिन पर व्यावसायिक निर्माण 900 वर्गफीट से कम है, के मामलों में केवल आवासीय/औद्योगिक/संस्थानिक दर से ही कर देय होगा। लेकिन व्यावसायिक निर्माण 900 वर्गफीट से अधिक होने की स्थिति में भूखण्ड के लिये आवासीय/औद्योगिक/संस्थानिक दर से कर वसूल किये जाने के साथ-साथ समस्त व्यावसायिक उपयोग के क्षेत्र पर व्यावसायिक दर से कर देय होगा।
5. राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 120 के अनुरूप भूमि, भवन स्वामी अथवा उस सम्पत्ति के वास्तविक अधिभोगी/किरायेदार भी नगरीय विकास कर जमा कराने का दायी होगा एवं किसी परिसर में एक से अधिक यूनिट होने पर केवल उन्हीं यूनिटों के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिन्होंने कर का भुगतान नहीं किया है।
6. भूखण्ड पर रिहायशी परिसर/कॉर्मिशियल कॉम्प्लेक्स के निर्मित होने के पश्चात् उक्त रिहायशी परिसर/कॉर्मिशियल कॉम्प्लेक्स के संबंधित क्रेताओं से (भिन्न-भिन्न स्वामित्व) के निर्मित क्षेत्र (Built up Area) के आधार पर पृथक-पृथक कर निर्धारण किया जायेगा तथा क्रेता पृथक-पृथक नगरीय विकास कर जमा कराने का दायी होगा।
7. ऐसे भूखण्ड जिन पर आवासीय/व्यावसायिक/औद्योगिक प्रयोजन हेतु अलग-अलग यूनिटों के रूप में निर्माण कर लिया गया है तो ऐसे परिसरों में विक्रय की गई यूनिटों की सूची भू-स्वामी द्वारा संबंधित निकाय को प्रस्तुत करने पर अलग-अलग यूनिट का कर निर्धारण फ्लोर वाईज प्रभावी डीएलसी दर के अनुरूप निकाय द्वारा किया जायेगा।

8. (i) भूमि के स्वामी/अधिवासी द्वारा कर का स्वयं निर्धारण करते हुए नगर पालिका के काउन्टर अथवा ऑन लाईन सीधे ही राशि जमा कराई जाकर जमा राशि का दस्तावेज संबंधित नगर पालिका में प्रस्तुत किया जावेगा।
- (ii) जिन कर देयता सम्पत्तियों का स्वःनिर्धारण से कर जमा नहीं हुआ हो तो उनको चिन्हित करने के लिये सर्वे करवाया जावेगा। संबंधित नगर पालिका का मुख्य नगरपालिका अधिकारी, कर निर्धारक अथवा मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा इस निमित्त अधिकृत अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर प्रतिवर्ष कम से कम 5 प्रतिशत मामलों में जाँच करेगा और जाँच में स्वः कर निर्धारण से अधिक कर देय होना पाये जाने पर सम्पूर्ण देय कर की राशि से अतिरिक्त राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 115 के अन्तर्गत पैनेलटी के रूप में राशि वसूलनीय होगी।
- (iii) बजट होटल व 1,2 व 3 स्टार होटलों पर निर्मित क्षेत्रफल पर औद्योगिक दर प्रभावी होगी जबकि 4 व 5 स्टार होटलों हेतु निर्मित क्षेत्रफल पर कर की दर औद्योगिक कर का दुगना होगी किन्तु सभी श्रेणी के होटलों में खाली भूमि पर औद्योगिक दर का 50 प्रतिशत देय होगा।
- (iv) हेरिटेज होटल/सम्पत्तियों पर कर की गणना निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर औद्योगिक दर के बराबर मान कर, की जायेगी तथा उक्त सम्पत्तियों पर स्थित खाली भूमि पर कोई कर देय नहीं होगा।
- (v) पंजीकृत मनोरंजन क्लब के निर्मित क्षेत्रफल पर संस्थानिक दर प्रभावी होगी, किन्तु खाली भूमि पर संस्थानिक दर का 50 प्रतिशत कर देय होगा।
पंजीकृत क्लब से आशय ऐसे क्लबों से हैं जो अपने सदस्यों के सामाजिक कार्यक्रमों एवं क्लब के उद्देश्य अनुसार क्लब की सम्पत्ति को उपयोग में लेते हैं तथा ऐसे क्लब व्यावसायिक उपयोग नहीं करते हैं।
- (vi) समस्त शैक्षणिक संस्थान एवं समस्त अस्पताल (चिकित्सालय), डाइग्नोस्टिक सेन्टर एवं रोग निदान केन्द्र के केवल निर्मित क्षेत्रफल पर ही कर की गणना संस्थानिक दर के आधार पर की जावेगी।
- (vii) धर्मशाला/सराय/मुसाफिरखाना पर आवासीय दर का (बीस) 20 प्रतिशत नगरीय विकास कर देय होगा।

- (viii) रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित समस्त प्रकार की इकाईयां पर नगरीय विकास कर देय नहीं होगा। परन्तु ऐसे भूखण्ड जिन पर व्यावसायिक परिसर, शौरूम, दुकान, सिनेमा, मल्टिप्लेक्स, शैक्षणिक, आवासीय परिसर, निर्मित कर लिये गये हैं तो उन पर उपयोग के अनुसार नगरीय विकास कर देय होगा।
- (ix) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में 1 अप्रैल को प्रभावी डी.एल.सी दर के आधार पर ही पूरे वर्ष का कर निर्धारण किया जायेगा। डीएलसी दर में 1 अप्रैल के पश्चात् परिवर्तन होने पर भी 1 अप्रैल को प्रभावी दर ही लागू रहेगी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु वर्ष के प्रारम्भ में 1 अप्रैल को नगरीय विकास कर देय हो जायेगा। उक्त कर नगरीय निकाय में जमा कराने की प्रक्रिया निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैः—
- (क) 1 अप्रैल से 30 जून तक कर जमा करवाने पर देय कर में 10 प्रतिशत एवं 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। करदाता स्वयं के स्तर से देय कर में से उपरोक्त छूट राशि कम करते हुए जमा करा सकेंगे। 30 सितम्बर के पश्चात् कोई छूट देय नहीं होगी।
- (ख) ऐसी सम्पत्तियां जिनका स्वामित्व महिलाओं के नाम पर हैं उन्हे कर में 10 प्रतिशत की विशेष छूट दी जावेगी। यह छूट अवधि पूर्व (30 सितम्बर तक) जमा कराये जाने वाली कर राशि की छूट से अतिरिक्त होगी।
- (ग) 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक कर जमा कराने पर उक्त कर में कोई छूट देय नहीं होगी।
- (घ) 31 मार्च तक उक्त कर की राशि जमा नहीं कराने पर राजस्थान नगरपालिका नगरीय विकास कर नियम, 2016 के अनुसार शास्ती वसूलनीय होगी।
- (ix) नगरीय भूमि व भवनों पर कर के निर्धारण हेतु किसी भी भूमि/भवन के उपयोग (आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत, औद्योगिक) का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा। निम्नांकित सूची केवल भूमि एवं भवन की प्रकृति निर्धारण एवं कर निर्धारण के उपयोग हेतु ही मान्य होगी। विभिन्न गतिविधियों एवं उपयोग के आधार पर भवन एवं भूमि पर कर निर्धारण हेतु भूमि एवं भवनों की प्रकृति निर्धारण हेतु सूचि:-

भवनों की प्रकृति	गतिविधियां एवं उपयोग
आवासीय	फार्म हाऊस, स्वतंत्र आवास/फ्लेट्स/ग्रुप हाउसिंग एवं ऐसे समस्त परिसर जिन्हे केवल आवासीय प्रयोग में लिया जा रहा है तथा गेस्ट हाऊस/पैइंग गैस्ट/होस्टल
व्यावसायिक	ऐसे समस्त परिसर जिनमें व्यावसायिक गतिविधि संचालित है, जिसमें सभी प्रकार की थोक एवं खुदरा दुकाने/शौरूम/गौदाम/वर्कशॉप/सिनेमा/मल्टिप्लेक्स व अन्य व्यापार, व्यावसायिक उपयोग के स्थल एवं रेस्टोरेन्ट, केफेटेरिया, बार एवं बैकवेट हॉल जो होटल परिसर में संचालित नहीं है मैरिजगार्डन,
संस्थानिक भवन	समस्त शैक्षणिक संस्थान, समस्त अस्पताल (चिकित्सालय) एवं रोग निदान केन्द्र, संग्रहालय, कला दीर्घा प्लेनेटोरियम, महिला सदन, विभिन्न समाज/समुदाय द्वारा संचालित एवं राजस्थान आवासन मण्डल, प्राधिकरण, नगर विकास न्यास द्वारा संचालित सामुदायिक केन्द्र, स्थायी व्यापार मेला भूमि, योग एवं साधना केन्द्र, प्राकृतिक चिकित्सालय, सामाजिक सांस्कृतिक केन्द्र, टेलीफोन एक्सचेंज, डाकघर, तारघर, निजी कोरियर सेवा, दूरदर्शन केन्द्र, आकाशवाणी, दूरसंचार टावर एवं स्टेशन, गैस बुकिंग/सप्लाई स्थान, मनोरजनं वलब, धर्मशाला, कोचिंग सेन्टर, भारत सरकार/राज्य सरकार की परिसम्पत्तियां एवं इनके अधीन समस्त सार्वजनिक उपकरण/कम्पनीयां/निगम/बोर्ड के कार्यालय/आवास/गौदाम एवं अन्य परिसम्पत्तियां
औद्योगिक	समस्त प्रकार के उद्योग जो औद्योगिक प्रक्रिया से जुड़े हुये हैं एवं राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग में औद्योगिक इकाई के रूप में रजिस्टर्ड है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के होटल एवं होटल परिसर में संचालित रेस्टोरेन्ट, केफेटेरिया, बैकवेट-हॉल भी शामिल हैं।

- (xi) नगरीय निकाय उक्त कर की वसूली स्वयं अपने संसाधनों से कर सकेंगे अथवा किसी ऐजेन्सी को रिकॉर्ड संधारित करने, प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर संशोधित करने, रिकॉर्ड कम्प्यूटराईज करने, मांग पत्र जारी करने, सर्वे करने एवं अन्य संबंधित कार्य नगर पालिका के अधीन रहते हुए किये जाने के लिये अधिकृत कर सकेगी।
- (xii) करदाता सीधे ही नगरीय निकायों को उक्त कर अदा कर सकेगा तथा कर की अदायगी को सुविधाजनक बनाये जाने के लिये नगरीय निकाय यथा सम्भव क्रेडिट कार्ड, इन्टरनेट, बैंक खाता ऑन लाईन जमा कराने की प्रक्रिया इत्यादि साधनों से राशि अदा किये जाने के संबंध में प्रावधित करेगी। नगरीय विकास कर सभी नगरीय निकायों द्वारा वसूल किया जाना अनिवार्य होगा।

- (xiii) नगरीय विकास कर की देयता भूमि का स्वामित्व अथवा भू—उपयोग निर्धारित नहीं करती है। यह कर मौके पर भूमि के वास्तविक उपयोग के आधार पर देय है।
- (xiv) नगरीय विकास कर की गणना भूमि/भवन के उपयोग के आधार पर की जाती है। यदि भूमि/भवनों के प्रकृति एवं उपयोग की श्रेणी के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उक्त विवाद का अन्तिम विनिश्चय स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया जायेगा।

उक्त अधिसूचना 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0/-
(पुरुषोत्तम बियानी)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

प. 8(ग)(3)नियम /डीएलबी / 10 / 9357—9826

जयपुर दिनांक 24.08.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

01. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर
02. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
04. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान
06. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राज0
07. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर
09. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
10. सीएमएआर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु
11. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु
12. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
13. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली

ह0/-
(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.8 (ग)(15)नियम /डीएलबी/ 17/

जयपुर दिनांक 27.04.2017

अधिसूचना

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना (दिनांक 10.05.17 से 10.07.17) के दौरान विभिन्न प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की दृष्टि से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 49 की उपधारा (6) सप्तित धारा 337 की उपधारा (1) व (2) के खण्ड (ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अभियान अवधि के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 71, 73, 118, 131, 182, 194, 202, 207, 242, 243, 244, 245, 254, 258, 259, 269, 282, 287, 288, 299, 306 के अंतर्गत मण्डल को प्रदत्त शक्तियां एम्पावर्ड कमेटी को प्रत्यायोजित करती है।

योजना की अवधि के दौरान उपरोक्त वर्णित धाराओं के अन्तर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग करने तथा मानचित्र अनुमोदन, भू-पट्टी आवंटन एवं निर्माणों के नियमन आदि कार्यों तथा राजस्थान नगरपालिका (सामान क्रय एवं संविदा) नियम, 1974 में मण्डल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए त्वरित निस्तारण हेतु नगरीय निकायों के लिए एम्पावर्ड कमेटी का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

नगर निगम हेतु—

- | | |
|--|------------------|
| i उपायुक्त (संबंधित) | — अध्यक्ष/संयोजक |
| ii अधिशासी/सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता | — सदस्य |
| iii उप/सहायक नगर नियोजक | — सदस्य |
| vi लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार | — सदस्य |
| v विधि शाखा का संबंधित अधिकारी | — सदस्य |

नगर निगम के अतिरिक्त अन्य निकायो हेतु—

- | | |
|---|------------------|
| i आयुक्त/अधिशासी अधिकारी | — अध्यक्ष/संयोजक |
| ii अधिशासी/सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता | — सदस्य |
| iii उप/सहायक नगर नियोजक/नगर नियोजन सहायक/ | — सदस्य |

वरिष्ठ प्रारूपकार

- | | |
|--|---------|
| iv लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार | — सदस्य |
| v विधि शाखा का संबंधित अधिकारी | — सदस्य |

कृषि भूमि पर बसी योजनाओं के ले-आउट प्लान नगर नियोजन विभाग के संबंधित क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदन किये जाने के पश्चात एम्पावर्ड कमेटी में उप/सहायक

नगर नियोजक की उपस्थिति आवश्यक नहीं रहेगी। एम्पार्वड कमटी द्वारा निर्णय बहुमत के आधार पर लिये जायेंगे। दिनांक 10.07.17 के पश्चात भी इस योजना में दी गई सुविधाएं एवं रियायतें यथावत रहेगी जिसके अन्तर्गत अग्रिम आदेश तक कार्यवाही की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0/-
(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: प.8(ग)(15)नियम / डीएलबी / 17 /

जयपुर, दिनांक: 27.04.2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर
02. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
04. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान
06. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
07. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राज
09. स्थान जयपुर
10. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
11. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु
12. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
13. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज0जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली

ह0/-
(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT**

No. F.8 (G) (Rules)/ DLB/ 15/

Jaipur, dated 27.04.2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 337 read with section 73 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Municipalities (Purchase of Materials and Contracts) Rules, 1974, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Municipalities (Purchase of Materials and Contracts) (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 14.- The existing item (1) of clause (A) of sub-rule (1) of rule 14 of the Rajasthan Municipalities (Purchase of Materials and Contracts) Rules, 1974, shall be substituted by the following, namely:-

"(1) Expenditure upto Rs. 25.00 Lacs - Additional Commissioner or Deputy Commissioner"

By Order of the Governor,

Sd/-
(Pawan Arora)
Joint Secretary to the Government

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प. 2 (30) नविवि/3/2016 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 28.4.2017

स्पष्टीकरण

शहरी क्षेत्रों में आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना बाबत् समसंख्यक आदेश दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु नं. 1 (ii) में 17.06.1999 से पूर्व अस्तित्व में आयी योजनाओं में सड़कों की चौड़ाई के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि यदि मौके पर सड़क की चौड़ाई 30 फीट से कम पायी जाती है तो भूखण्ड का पट्टा जारी करते समय न्यूनतम 30 फीट चौड़ाई रखते हुए भूखण्ड के शेष क्षेत्रफल का पट्टा जारी किया जावे।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी योजना में सड़क की चौड़ाई 20 फीट मौके पर उपलब्ध है तथा भूखण्ड सड़क के दोनों ओर 20 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है तो ऐसी स्थिति में सड़क के दोनों ओर के भूखण्डों में से 5 फीट गहराई कम करते हुये पट्टे जारी किये जायेंगे, जिससे भविष्य में 30 फीट चौड़ी सड़क कायम की जा सके। यदि भूखण्ड सड़क के एक ओर है तो सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 30 फीट कायम करने हेतु मार्गाधिकार की शेष भूमि उस ओर के भूखण्डों की गहराई में करते हुये पट्टे जारी किये जावे।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 17.06.1999 से पूर्व अथवा पश्चात् अस्तित्व में आयी योजनाओं के भूखण्डों पर यदि निर्माण किया हुआ है तो भी भूखण्ड का पट्टा दिया जायेगा और उस पर यह अंकित किया जायेगा कि भूखण्ड पर निर्मित भवन का नियमितिकरण नहीं किया गया है, केवल भूखण्ड के स्वामित्व हेतु पट्टा जारी किया गया है। पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व हेतु जारी किया जा है, अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं होती है।

ह0/-

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त सचिव शासन-प्रथम

नगरीय विकास विभाग

ह0/-

(पवन अरोड़ा)

संयुक्त शासन सचिव

स्वायत्त शासन विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- विशेष सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर।

3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग/जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग/वित्त विभाग/राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.), राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय एवं अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
12. उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग (समस्त)।
13. आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका (समस्त)।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

ह0/-

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त सचिव शासन-प्रथम
नगरीय विकास विभाग

ह0/-

(पवन अरोड़ा)

संयुक्त शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईंस फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफौक्स :— 0141-2222403, ईमेल:—dlbrajasthan@gmail.com वेबसाइट:— www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :— एफ 55()Engg./CE/DLB/17/23675

दिनांक : 27.04.2017

परिपत्र

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा शहरी जनता की विभाग से सम्बधित समस्याओं व शिकायतों के निवारण हेतु राज्य की समस्त नगरीय निकायों में शहरी जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जन कल्याण शिविरों के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन की क्रियान्विति एंव नगरीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किये जाने के लिये जन कल्याण शिविरों में आम नागरिकों को शौचालय के निर्माण एंव उनके उपयोग हेतु जन जागरण के माध्यम से कार्य करवाया जाना है।

स्वच्छ भारत मिशन पृष्ठभूमि:— भारत की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान की नगर निकायों की जनसंख्या 1.47 करोड़ निवासरत है जिसमें 2886752 परिवार है। नगर निकायों द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार 5.00 लाख परिवारों के पास स्वच्छ जलबन्ध शौचालय नहीं होने से मानव मल का सुरक्षित निपटान नहीं हो रहा है। जिन घरों में शौचालय नहीं है, वे खुले में शौच जाते हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अशोधित सिवरेज (Untreated Sewage) जल संसाधनों (Water Bodies) के प्रदूषण का एक बड़ा स्त्रोत है। सीवरेज शोधन एंव प्रत्येक घर को स्वच्छ जलबन्ध शौचालय उपलब्ध करवाया जाना एक बड़ी चुनौती है। इस कार्य को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से वर्ष 2019 तक देश को खुले में शौच मुक्त करवाये जाने हेतु राज्य सरकारों को स्वच्छ भारत मिशन के दिशा निर्देश जारी किये हैं। प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा प्रदेश को मार्च 2018 तक खुले में शौच मुक्त घोषित किये जाने का लक्ष्य रखा है।

स्वच्छ भारत मिशन के मुख्य उद्देश्य:—

1. खुले में मल त्याग की प्रथा को समाप्त करना।
2. मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना।
3. नगरीय ठोस अपशिष्ट का आधुनिक और वैज्ञानिक प्रबंधन।
4. स्वास्थ्य एंव स्वच्छता संबंधी आदतों के संबंध में लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना।
5. स्वच्छता और जन स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता लाना।
6. शहरी स्थानीय निकायों हेतु क्षमता संवर्धन।

स्वच्छ भारत मिशन के मुख्य घटक:-

1	खुले में शौच मुक्त	<ol style="list-style-type: none"> अस्वच्छकर शौचालय को जलवाही शौचालय में बदलने सहित पारिवारिक शौचालय (IHHLs) का निर्माण सामुदायिक शौचालय (CTs) का निर्माण सार्वजनिक शौचालय (PTs) का निर्माण मूत्रालय का निर्माण (Urinals) का निर्माण
2	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन।	<ol style="list-style-type: none"> घर—घर कचरा संग्रहण एवं परिवहन परिसंस्करण (Processing) निस्तारण (Disposal)
3	आई.ई.सी. एवं जन जागरूकता	<ol style="list-style-type: none"> सामुदायिक सहभागिता स्वच्छता और जन स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता लाना व्यवहार परिवर्तन निजी क्षेत्र की भागीदारी
4	क्षमता निर्माण तथा प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	<ol style="list-style-type: none"> शहरी स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशालाओं का आयोजन कर किया जा रहा है। प्रशासनिक एवं कार्यालय संबंधी व्यय

शिविरों में किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :-

शिविर में किये जाने वाले कार्य	विवरण
शहर को खुले में शौच मुक्त किये जाने हेतु व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिये लाभार्थियों का चिन्हिकरण कर स्वीकृति जारी करना।	<p>स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अन्तर्गत नगरीय निकाय द्वारा शौचालय विहीन परिवारों का सर्वे करवाकर घरेलू शौचालय निर्माण कर शहर को खुले में शौच से मुक्त किये जाना है। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु लाभार्थियों को रूपये 12,000 प्रति शौचालय प्रोत्साहन राशि दी जानी हैं।</p> <p><u>घरेलू शौचालय के निर्माण की प्रक्रिया :-</u></p> <ol style="list-style-type: none"> आवेदक द्वारा शौचालय निर्माण हेतु नगर निकाय में निर्धारित फार्म मे आवेदन करना है। (आवेदन फार्म अनुलग्न—अ पर संलग्न है) आवेदक द्वारा फार्म के साथ नवीनतम फोटो, स्थायी पता, फोन नम्बर, बैंक खाते का विवरण (पासबुक के प्रथम दो पेज की फोटो प्रति), आधार कार्ड की प्रति इत्यादि आवश्यक दस्तावेज सलग्न किये जाने हैं।

	<p>3. लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का स्वच्छ भारत मिशन के पोर्टल पर अपलोड कर सत्यापित किया जाता है। सत्यापन के पश्चात् शौचालय निर्माण की स्वीकृति जारी की जाती है। (स्वीकृति हेतु परफोर्मा अनुलग्नक—“ब” पर संलग्न है)</p> <p>4. स्वीकृति उपरान्त आवेदक को प्रथम किस्त राशि रूपये 4,000 उनके बैंक खाते में सीधे ही हस्तान्तरित की जाती हैं।</p> <p>5. लाभार्थी द्वारा शौचालय निर्माण प्रारम्भ करने के पश्चात नगर निकाय के अधिकारी द्वारा उसकी फोटो स्वच्छ भारत मिशन के पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।</p> <p>6. लाभार्थी द्वारा शौचालय का निर्माण पूर्ण करने पर नियुक्त नोडल अधिकारी निर्मित शौचालय के भौतिक सत्यापन किया जाकर शेष प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है तथा निर्मित शौचालय की फोटो नगर निकाय के अधिकारी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के पोर्टल पर अपलोड की जाती है।</p> <p>लाभार्थी द्वारा शौचालय का निर्माण स्वयं के स्तर से भी करवाया जाता है। घरेलू शौचालय के निर्माण की गति बढ़ाये जाने हेतु नगर निकाय द्वारा संवेदक (कॉन्ट्रैक्टर) के माध्यम से शौचालय का निर्माण किया जाता है। इस कार्य का भुगतान नगरीय निकायों द्वारा कार्य के सत्यापन के उपरान्त सम्बधित संवेदक को किया जाता है।</p> <p>स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के विस्तृत दिशा-निर्देश स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट—www.swachhbharaturban.gov.in पर देखे जा सकते हैं।</p>
<p>सीवर कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना, स्वीकृति जारी करना एंव कनेक्शन किया जाना ।</p>	<p>नगरीय निकायों में सीवर लाइन डालने का कार्य तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाये जा रहे हैं, सीवर लाइन से घरेलू सीवर कनेक्शन कर घरों को सीवर लाइन से जोड़ा जाता है। नये सीवर कनेक्शन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र आवेदक द्वारा भर कर सम्बधित नगर निकाय में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत आवेदन पत्र पर साइट रिपोर्ट सम्बधित कनिष्ठ अभियन्ता, लेखाकार, सहायक अभियन्ता, द्वारा की जा कर आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा सीवर</p>

	<p>कनेक्शन की स्वीकृति जारी की जाती है।</p> <ol style="list-style-type: none"> सीवर कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र (अनुलग्नक-'स' पर संलग्न है) आवेदन पत्र के साथ पानी के बिल की प्रति संलग्न करनी होती है। घर का समस्त पानी निकास जैसे: रसोई, स्नानघर, लेट्रिन का गन्दा पानी, निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप फिटिंग कराके मास्टर ट्रैप लगे निजी सीवर चैम्बर में लाया जाकर सरकारी मेन होल से मिलान कर डिस्पोजल किया जाना है। घरेलू, कॉमर्शियल, होटल, हॉस्पिटल, सिनेमा हाल, औद्योगिक इकाई, वैवाहिक स्थल, चेरिटेबल ट्रस्ट, सरकारी संस्थान आदि के आवेदन पत्र का शुल्क एंव सीवर कनेक्शन की राशि आवेदन कर्ता से जमा करायी जाती है। रोड कटिंग शुल्क निर्धारित क्षेत्रफल के आधार पर लागू होगा, जिसकी गणना सम्बन्धित कनिष्ठ/सहायक अभियन्ता द्वारा की जाती है। आवेदन प्रपत्र में क्रम संख्या 1-7 के नियम पालन तथा भविष्य में कनेक्शन चार्ज व सीवरेज टैक्स के सम्बन्ध में नियम/निर्देश की पालन किये जाने का घोषणा पत्र आवेदक से लिया जाता है। सीवर कनेक्शन का कार्य प्रशिक्षित प्लम्बर के माध्यम से करवाया जाना है। <p>विशेष परिस्थिति में सम्बन्धित निकाय के अभियन्ता द्वारा तकनीकि मार्गदर्शन दिया जाता है।</p>
सामुदायिक शौचालय स्थल का चिन्हिकरण एंव स्वीकृति जारी करना।	<p>स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अन्तर्गत जिन घरों में व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण हेतु जगह उपलब्ध नहीं है, ऐसे सभी परिवारों के लिये नगरीय निकाय द्वारा सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाना है।</p> <p><u>सामुदायिक शौचालय के निर्माण की प्रक्रिया :-</u></p> <ol style="list-style-type: none"> नगर निकाय को सर्वे द्वारा सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिये स्थल का चिन्हिकरण किया जाना है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की गाइड लाइन के

	<p>अनुसार सामुदायिक शौचालय 35 पुरुषों तथा 25 महिलाओं के लिये एक—एक टॉयलेट सीट के निर्माण का मानदण्ड (Norms) है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के साथ 5 वर्ष का रख—रखाव एवं संधारण का प्रावधान किया जाता है। 4. प्रत्येक नगर निकाय को सामुदायिक शौचालय निर्माण की डी.पी.आर. स्वीकृत करायी जाती है, जिसके आधार पर भारत सरकार से राशि की मांग की जाती है। 5. वर्ष 2011 के बाद किसी भी योजना में बने सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) में लेकर 5 वर्ष का रख—रखाव एवं संधारण का प्रावधान लिया जाता है। 6. भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की गाईड लाइन के अनुसार सामुदायिक शौचालय की प्रत्येक टॉयलेट सीट के निर्माण के लिये भारत सरकार द्वारा 40 प्रतिशत (रूपये 39,200 प्रति सीट) अनुदान राशि दी जा रही है तथा राज्य सरकार द्वारा 13.33 प्रतिशत राज्यांश (रूपये 13,067 प्रति सीट) अनुदान राशि प्रदान की जाती है एवं शेष राशि नगरीय निकायों द्वारा वहन की जाती है।
--	---

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव



Swachh Bharat Mission
Format I: For data on Toilet

[This form to be downloaded/printed and duly filled in and signed copy to be scanned and submitted on the website]

(A) Geographical Particulars																			
1.	State: <input type="text"/> ← In Drop Down List Format																		
2.	Distt.: <input type="text"/> ← In Drop Down List Format																		
3.	Block: <input type="text"/> ← In Drop Down List Format																		
4.	Tehsil: <input type="text"/> ← In Drop Down List Format																		
5.	Town/City: <input type="text"/> ← In Drop Down List Format																		
6.	Ward: <input type="text"/> ← In Drop Down List Format																		
(B) Toilet Owners Particulars																			
1.	Name of the Applicant: <input type="text"/>																		
2.	Profession: <input type="text"/>																		
3.	Fathers' Name: <input type="text"/>																		
4.	Mothers Name: <input type="text"/>																		
5.	Address: <input type="text"/>																		
6.	Contact No.: Landline <input type="text"/> Mobile <input type="text"/>																		
7.	Aadhar Card No.: <input type="text"/>																		
8.	Bank A/c details: A/c No. <input type="text"/> Name of Bank: <input type="text"/> ← In Drop Down List Format Bank Branch: <input type="text"/> ← In Drop Down List Format <i>Note: The funds will be transferred through Electronic Transfer</i>																		
9.	Status of the Existing Toilet: i) Not Existing <input type="checkbox"/> ii) Dry Latrine <input type="checkbox"/> iii) Bahao type Latrine <input type="checkbox"/> iv) Unsanitary latrine based on single pit latrine <input type="checkbox"/>																		
(C) Undertaking																			
I undertake that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief and in case of any information is found to be false/ suppressed, State Government/ Government of India will initiate suitable action against me.																			
Signature of Applicant																			
(D) Reference of Two Persons vouching for the Toilet Owner																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding-bottom: 10px;">(I)</td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding-bottom: 10px;">(II)</td> </tr> <tr> <td>Name: <input type="text"/></td> <td>Name: <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Fathers Name: <input type="text"/></td> <td>Fathers Name: <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Contact Address: <input type="text"/></td> <td>Contact Address: <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>City: <input type="text"/> ← In Drop Down List Format</td> <td>City: <input type="text"/> ← In Drop Down List Format</td> </tr> <tr> <td>State: <input type="text"/> ← In Drop Down List Format</td> <td>State: <input type="text"/> ← In Drop Down List Format</td> </tr> <tr> <td>Contact No.: Landline: <input type="text"/> Mobile: <input type="text"/></td> <td>Contact No.: Landline: <input type="text"/> Mobile: <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Date: <input type="text"/></td> <td>Date: <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Signature</td> </tr> </table>		(I)	(II)	Name: <input type="text"/>	Name: <input type="text"/>	Fathers Name: <input type="text"/>	Fathers Name: <input type="text"/>	Contact Address: <input type="text"/>	Contact Address: <input type="text"/>	City: <input type="text"/> ← In Drop Down List Format	City: <input type="text"/> ← In Drop Down List Format	State: <input type="text"/> ← In Drop Down List Format	State: <input type="text"/> ← In Drop Down List Format	Contact No.: Landline: <input type="text"/> Mobile: <input type="text"/>	Contact No.: Landline: <input type="text"/> Mobile: <input type="text"/>	Date: <input type="text"/>	Date: <input type="text"/>	Signature	
(I)	(II)																		
Name: <input type="text"/>	Name: <input type="text"/>																		
Fathers Name: <input type="text"/>	Fathers Name: <input type="text"/>																		
Contact Address: <input type="text"/>	Contact Address: <input type="text"/>																		
City: <input type="text"/> ← In Drop Down List Format	City: <input type="text"/> ← In Drop Down List Format																		
State: <input type="text"/> ← In Drop Down List Format	State: <input type="text"/> ← In Drop Down List Format																		
Contact No.: Landline: <input type="text"/> Mobile: <input type="text"/>	Contact No.: Landline: <input type="text"/> Mobile: <input type="text"/>																		
Date: <input type="text"/>	Date: <input type="text"/>																		
Signature																			

Open Defecation is the Shame on the Nation

नये सीवर सम्बन्ध हेतु आवेदन पत्र
(आवेदक द्वारा भरने हेतु)

1. आवेदक का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. भवन/स्थान का पूर्ण पता जहां सीवर सम्बन्ध लेना है
-
-
4. भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल..... वर्गमीटर
5. भवन का निर्मित क्षेत्रफल..... वर्गमीटर
6. भवन/स्थान की श्रेणी निजी आवास/राजकीय आवासगृह/कार्यालय/दुकान/अन्य
-
7. आवेदक की स्थिति : मालिक/किरायेदार/कब्जेदार
8. क. आवेदक का स्थायी पता.....
.....
-
-
- ख. आवेदक का व्यवसाय एवं प्रतिष्ठान का पता
-
-
9. सीवर सम्बन्ध का प्रयोजन : घरेलु/व्यावसायिक/औद्योगिक जगह
10. प्रकार— स्थाई/अस्थाई
11. सीवर सम्बन्ध की साइज 100/150/200 एम. एम.
12. जल सम्बन्ध की खाता संख्या में सीवरेज नियमों
के सम्बन्ध में समय समय पर प्रभावशाली समस्त नियमों तथा विनियमों का पालन करने के लिए
सहमत हूँ।

निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियां संलग्न की जा रही हैं—

(1) जल सम्बन्ध का गत माह का बिल:-

(2) अन्य:-

यह प्रमाणित किया जाता है कि जहां पर सीवर सम्बन्ध लिया जा रहा है। उस परिसर का जल
सम्बन्ध स्वयं के ना ही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

सीवर सम्बन्ध होने के बाद उपभोक्ता के लिए सूचना :

1. आपका सीवर सम्बन्ध जारी होने से तीन माह के अन्दर यदि पानी के बिल में सीवर टैक्स वसूली की राशि अंकित ना हो तो सीवर सम्बन्ध की सूचना की पर्ची लेकर, सम्बन्धित सहायक अभियंता से सम्पर्क करें।
2. आपके यहां लगे मेनहोल की पूर्ण सुरक्षा रखें।
3. यदि आपका बिल निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होता है तो आप संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में सम्पर्क कर बिल की राशि प्राप्त करें।
4. बिल सम्बन्धी शिकायत होने पर सहायक अभियन्ता के कार्यालय में सम्पर्क करें। वहां पर शिकायत पुस्तिका उपलब्ध है।
5. सीवर लाइन में सीवर कनेक्शन के दौरान यदि मैन हॉल अथवा सीवर लाइन की टूट फूट होगी तो उसको सही अपने खर्चे पर कराऊंगा अन्यथा निगम द्वारा सही करने पर निगम द्वारा जारी किये गये डिमांड के अनुसार निगम कोष में जमा कराऊंगा।
6. सीवर कनेक्शन का स्टॉपलाइन पर रोकना उचित होगा। घर का समस्त पानी निकासी जैसे रसोई, बाथरूम व लैट्रिन का कनेक्शन सीवर में करें।
7. सीवर कनेक्शन रजिस्टर्ड एवं अधिकृत ठेकेदार द्वारा ही कराया जावे।

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पत्नि श्री

निवासी

का हूँ शपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त निवास स्थान का मैं स्वयं मालिक हूँ।

यह कि मैं आपके कार्यालय द्वारा एक सीवर कनेक्शन उक्त प्लॉट मे करवाना चाहता/चाहती हूँ।
इस आवेदन को प्रस्तुत किया जा रहा है—

1. यह कि सीवर कनेक्शन के तहत यदि मेनहोल अथवा सीवर लाईन में टूट-फूट होगी तो, उसको अपने स्वयं के खर्चे से सही करवाऊंगा/करवाऊंगी, या निकाय द्वारा सही करने पर नियमानुसार जारी किये गये डिमाण्ड के अनुसार निकाय के कोष में राशि जमा कराऊंगा/कराऊंगी।
2. यह कि घर का समस्त पानी निकास, जैसे रसोई, स्नानघर,, लेट्रिन का गन्दा पानी, निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप फिटिंग कराके मास्टर ट्रैप लगे निजी सीवर चैम्बर में लाया जाकर सरकारी मेन होल से मिलान कर डिस्पोजल किया जायेगा।
3. यह कि आवेदन प्रपत्र में क्र.म. संख्या 1-7 के नियम का पालन करूंगा/करूंगी इसके अतिरिक्त भविष्य में कनेक्शन चार्ज व सीवरेज टैक्स सम्बन्ध में जो भी नियम/निर्देश होंगे मेरे द्वारा पालन किये जायेगे।
4. यह कि सीवर कनेक्शन की राशि जमा करने के उपरान्त 15 दिवस में रजिस्टर्ड प्लम्बर द्वारा सीवर कनेक्शन फिटिंग पूर्ण कराने का विहित प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं, उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी में सही है व इसमें मेरे द्वारा अण्डरटेकिंग की पालना की जायेगी।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(नगर निकाय के लेटरहैड पर)

क्रमांक :

दिनांक :

मांग पत्र

मैसर्स
.....
.....

विषय :— आप द्वारा आवेदित ग्रुप हाउसिंग/बहुमंजिला ईमारत/मल्टीप्लेक्स भवन/होटल/
हॉस्पिटल/अन्य की सीवर कनेक्शन पत्रावली स्वीकृत किये जाने बाबत्।

सन्दर्भ :— पत्रावली संख्या दिनांक

विषयान्तर्गत सन्दर्भित क्रम में सूचित किया जाता है कि आवेदित भवन, पता

..... के लिए सीवर कनेक्शन की स्वीकृति हेतु कृपया
पत्र प्राप्ति के सात दिवस में निम्नानुसार नगर निगम के अधिकृत ठेकेदार से **C: FORM** एवं जोन कार्यालय के
मांग पत्र के अनुसार राशि जमा करावें :—

1. सीवर कनेक्शन हेतु अन्य राशि के अलावा 10 वर्षों का सीवरेज टैक्स एक साथ जमा कराके (निजी
स्त्रोत से निस्तारण हेतु प्रतिवर्ष सीवरेज टैक्स जमा कराने की छूट का लाभ हमेशा के लिए लेने पर)
जमा कराई जाने वाली राशि :— (शब्दों में)

रु
.....

आयुक्त/अधिशासी अधिकारी
.....

कार्यालय उपयोग हेतु
आवेदन पत्र का इन्द्राज किया । पंजिका क्रमांक दिनांक

सम्बन्धित लिपिक के हस्ताक्षर

साइट रिपोर्ट

1. सीवर लाइन की भवन/स्थान से दूरी मीटर
2. जल सम्बन्ध है तो बिल खाता सं. 1..... 2.....
3. रोड कटिंग का विवरण माप मीटर माप
मीटर मीटर प्रकार : पेवर/साधारण डामर/डब्ल्यू बी.एम./पत्थर
के चौके/सीमेंट कंकरीट राशि
(1) रोडकट
(2) सीवर कनैक्शन

योग :-----

दिनांक कनिष्ठ अभियन्ता, लेखाकार, सहायक अभियन्ता

स्वीकृति जारी करें/स्वीकृति जारी नहीं करें।

आयुक्त / अधिशासी अधिकारी

सीवर सम्बन्ध प्रतिवेदन

1. सीवर सम्बन्ध चालू करने की दिनांक
2. सीवर सम्बन्ध के पाइप की साईज
3. पंजिका क्र.सं.
4. आवंटित खाता सं. जिससे सीवर टैक्स वसूल किया जाना है ..
सर्विस सं.
5. विशेष विवरण

सम्बन्धित लिपिक के हस्ताक्षर

लेखाकार

(यहाँ से कॉटे)

रसीद(Acknowledgement)

श्री/श्रीमती/सुश्री से (स्थान)
..... पर सीवर संबंध हेतु आवेदन प्राप्त हुआ।
दिनांक

सीवर संबंध लिपिक
(कार्यालय मोहर)

Guidelines for Swachh Bharat Mission (SBM)

1. Introduction

- 1.1. According to Census 2011, India's urban population is 377 million or 31% of the total population. These numbers are expected to increase to 600 million by 2031. The Census 2011 also showed that in 4,041 statutory towns, close to eight million households do not have access to toilets and defecate in the open (7.90 million). Weak sanitation has significant health costs and untreated sewage from cities is the single biggest source of water resource pollution in India. This indicates both the scale of the challenge ahead of the Indian cities and the huge costs incurred from not addressing them.
- 1.2. The Swachh Bharat Mission (SBM) emanates from the vision of the Government articulated in the address of The President of India in his address to the Joint Session of Parliament on 9th June 2014:

“We must not tolerate the indignity of homes without toilets and public spaces littered with garbage. For ensuring hygiene, waste management and sanitation across the nation, a “*Swachh Bharat Mission*” will be launched. This will be our tribute to Mahatma Gandhi on his 150th birth anniversary to be celebrated in the year 2019”

SBM is being implemented by the Ministry of Urban Development (M/o UD) and by the Ministry of Drinking Water and Sanitation (M/o DWS) for urban and rural areas respectively. These guidelines are for the implementation of Swachh Bharat Mission (Urban).

2. Swachh Bharat Mission (SBM) Urban Overview

2.1. Mission Objectives

- 2.1.1. Elimination of open defecation
- 2.1.2. Eradication of Manual Scavenging
- 2.1.3. Modern and Scientific Municipal Solid Waste Management
- 2.1.4. To effect behavioral change regarding healthy sanitation practices
- 2.1.5. Generate awareness about sanitation and its linkage with public health
- 2.1.6. Capacity Augmentation for ULB's
- 2.1.7. To create an enabling environment for private sector participation in Capex (capital expenditure) and Opex (operation and maintenance)

2.2. Duration of the mission

The Mission will be in force till 2nd October 2019

2.3. Mission components

The Mission has the following components:

- 2.3.1. Household toilets, including conversion of insanitary latrines into pour-flush latrines;
- 2.3.2. Community toilets
- 2.3.3. Public toilets
- 2.3.4. Solid waste management

2.3.5. IEC & Public Awareness

2.3.6. Capacity building and Administrative & Office Expenses (A&OE)

By Public Toilets, it is implied that these are to be provided for the floating population / general public in places such as markets, train stations, tourist places, near office complexes, or other public areas where there are considerable number of people passing by.

By Community toilets, it is implied that a shared facility provided by and for a group of residents or an entire settlement. Community toilet blocks are used primarily in low-income and/or informal settlements / slums, where space and/or land are constraints in providing a household toilet. These are for a more or less fixed user group.

2.4. Mission Coverage: Cities and target population

2.4.1. All Statutory towns will be covered under the Mission. Definition of statutory towns is at ***Annexure I***.

2.5. Mission Strategy

2.5.1. Comprehensive Sanitation Planning, which includes

- (a) City Level Sanitation Plans
- (b) State Sanitation Concept As per ***Annexure IV***
- (c) State Sanitation Strategy

2.5.2. Behavioral Change Strategy and IEC

2.5.3. Enabling Environment for Private sector participation

2.5.4. Capacity Building

2.5.5. Special focus groups : The State Governments shall pursue the following:

- i. All manual scavengers in urban areas are identified, insanitary toilets linked to their employment are upgraded to sanitary toilets, and that the manual scavengers are adequately rehabilitated.
- ii. In their efforts to streamline and formalize SWM systems it shall be the endeavor of ULBs that the informal sector workers in waste management (rag pickers) are given priority to upgrade their work conditions and are enumerated and integrated into the formal system of SWM in cities.
- iii. All temporary accommodation for migrants and the homeless in urban areas have adequate provision for toilets either on the premises or linked to a public / community toilet.
- iv. Mandating that construction labour in urban areas have access to temporary toilets at all sites in urban areas, buildings, parks and roads where construction/maintenance work is taking place or where construction labour is temporarily housed.
- v. Priority shall be accorded pro-actively to cover households with vulnerable sections such as pensioners, girl children, pregnant and lactating mothers.

2.6. Mission Outlay

The estimated cost of implementation of SBM (Urban) based on unit and per capita costs for its various components is Rs. 62,009 Crore. The Government of India share as per approved funding pattern

amounts to Rs. 14,623 Crore. In addition, a minimum additional amount equivalent to 25% of GoI funding, amounting to Rs. 4,874 Crore shall be contributed by the States as State/ULB share. The balance funds is proposed to be generated through various other sources of fund which are, but not limited to:

- a. Private Sector Participation
- b. Additional Resources from State Government/ULB
- c. Beneficiary Share
- d. User Charges
- e. Land Leveraging
- f. Innovative revenue streams
- g. Swachh Bharat Kosh
- h. Corporate Social Responsibility
- i. Market Borrowing
- j. External Assistance

3. Concept Sanitation Strategy:

It is understood that without a proper **city sanitation plan** and resulting **state sanitation strategy**, as indicated in National Urban sanitation policy-2008, comprehensive planning cannot be achieved to attain the objectives of Swachh Bharat Mission. However, both the activities require time and wide consultation at various levels including citizen engagements. It is also understood that although many states and cities have prepared these plans and strategy, many more have not done so.

In order to give a quick start to the Swachh Bharat Mission, it is, therefore proposed that all states may submit a **brief concept Note on state sanitation strategy**, as given in the **AnnexureIV** of these guidelines as a part of their initial proposal, in order to claim their first installment for individual household toilets, IEC and Capacity Building as well as the revolving fund for other components. The concept note and proposal shall be submitted online to MoUD by state governments by 30 January 2015. The states should however, simultaneously start preparing City sanitation plans for each city and State Sanitation strategy as per National Urban sanitation Policy 2008 as these will be required before any further release can be made to the states.

4. SBM (Urban) Component -I: Household toilets

4.1. SBM (Urban) aims to ensure that

- a) No households engage in the practice of open defecation,
- b) No new insanitary toilets are constructed during the mission period and
- c) Pit latrines are converted to sanitary latrines.

The Target Group for construction of household units of Toilets, thus, is:

- (i) 80% of urban households engaging in open defecation
- (ii) All households with insanitary latrines
- (iii) All households with single-pit latrines

These will be targeted under this component for the construction of household toilets or individual household latrines during the mission period. The remaining 20% of households practicing open defecation are assumed to be catered by community toilets due to constraints of space.

- 4.2. **Household toilets** constructed under SBM (Urban) will have two main structures – the toilet *superstructure* (including the pan and water closet), and the *substructure* (either an on-site treatment system, or a connection to existing underground sewerage system).
- 4.2.1. Whenever a sewerage system is available within 30 metres from the proposed household toilet, only the toilet superstructure may be constructed and connected to the existing sewerage system. ULBs must facilitate these connections for household toilets under SBM (Urban), wherever applicable and economical.
- 4.2.2. In the event that a sewerage system is not available within 30 meters from the proposed household toilet, in addition to the construction of the toilet superstructure, an on-site treatment system (such as twin pits, septic tanks, bio-digesters, or bio-tanks) should also be constructed for the collection, treatment and/or disposal off sewage at, or near the point of generation.
- 4.2.3. ULBs should ensure that all household toilets being constructed under SBM are built in tandem with water supply arrangements in ULBs. Beneficiary households will be responsible for the operation and maintenance of the household toilets. Suggested technical specifications, technologies and tentative cost of household toilets are available at **Annexure II**
- 4.3. For this component, **beneficiary** shall mean any household that does not have access to an individual household toilet or has an insanitary toilet (dry/ *bahou* and single pit latrine). No other criteria is to be applied.
- 4.3.1. Selection of Beneficiary Household shall be as per the strategy adopted by ULB under the guidance of state government. However, the following guiding principals may be followed:
- (i) Initially, a campaign to create awareness may motivate beneficiaries to come forward on their own. This should be taken at the ULB level and followed up by accepting a simple application and undertaking, to be verified within 7 days and approved at ULB level.
 - (ii) ULBs are expected to carry out a house-to-house survey. In so doing they shall also take into consideration Census 2011 data or any recent survey available to them. This baseline data shall be put in public domain by 15.02.2015.
 - (iii) Any Claims and objections received shall be addressed in a transparent manner and continuous modifications can made in the baseline data.
 - (iv) Based on this house to house survey, all households practicing open defecation shall be identified and ULB's need to approve either a Household toilet or plan for community toilets for each of such identified household/group of household.
- 4.3.2. Beneficiary households will be targeted under this scheme irrespective of whether they live in authorized/unauthorized colonies or notified/non-notified slums. Under SBM (Urban), tenure security issues are to be de-linked with benefits.
- 4.3.3. The states and ULB's must ensure that the maximum number of beneficiaries from individual households toilets will be normally limited to the numbers indicated in the Census of India 2011 for each town.
- 4.4. Central government incentive for the construction of household toilets will be Rs. 4,000 per household toilet for each identified beneficiary household.
- 4.4.1. 50% of the Central Government incentive (Rs. 2,000/-) will be released to the identified beneficiary household by the ULB as 1st installment on approval by the ULB along with share of the state

government. There is no bar on releasing any extra funds at any stage using additional resources generated/provided by state government/ ULB.

- 4.4.2. The ULB shall verify each application before releasing any incentive. Verification of the application should be completed within 7 working days of its submission of application by the beneficiary.
- 4.4.3. The remaining 50% of Central Government incentive as 2nd installment should be released to the identified beneficiary household along with the State Government's incentives upon verification of physical progress of construction of the household toilet. The actual process of verification will be as per the directions of the respective State Government.
- 4.4.4. Final Verification of the construction of the household toilet should be supported by location-based technologies, wherein self-attested geo-tagged photographs of the construction, along with the applicant are taken out. These photographs must be uploaded to the SBM (Urban) MIS and be monitored by the ULBs and the States.
- 4.4.5. All financial incentives (government and /or private) for this component will be deposited directly (by electronic clearing service) into the bank accounts of the beneficiary households (including accounts opened under the *Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana*). No cash/cheque disbursals shall take place. The ULBs should ensure that financial incentives to beneficiary households are transferred in a timely and hassle-free manner. The State government should evolve standard norms for this throughout the state and ensure the monitoring of its implementation.

5. SBM (Urban) Component II: Community toilets

- 5.1. Under SBM (Urban), it is estimated that about 20% of the urban households in cities, who are currently practicing open defecation are likely to use community toilets as a solution due to land and space constraints in constructing individual household latrine.
- 5.2. Community toilet blocks will consist of a given number of toilet seats, as per requirements, toilet superstructure including the pan and water closet, and a substructure (either an on-site treatment system, or a connection to underground sewerage/septage system) shared by all the toilet seats and facilities for hand wash.
 - 5.2.1. Care should be taken to ensure that these facilities have adequate provision for separate toilets and bathing facilities for men, women and facilities for the disabled (e.g. ramp provision, braille signage, etc.).
 - 5.2.2. The norms for connection of the superstructure to an on-site system or connection to an underground sewerage system as defined in paragraphs 4.2.1 and 4.2.2 above will apply here.
 - 5.2.3. ULBs should ensure that all community toilets being constructed under SBM (Urban) are built in tandem with water supply arrangements in ULBs. Suggested technical specifications, technologies and tentative cost of community toilets are available at **Annexure II**.
- 5.3. For this component, **beneficiaries** shall be groups of households ("beneficiary household group") in urban areas whose members practice open defecation and who do not have access to household toilet, and for whom the construction of individual household toilets is not feasible. Beneficiary household groups under this component of SBM (Urban) shall be identified by the procedure as designed by the ULB. This may be application based or survey based, with or without participation of community based organisations. Involvement of civil society organisations is to be encouraged. NGO's, Area, Ward

or Mohalla Sabha's may be used for this purpose. Beneficiary household groups will be targeted under this scheme irrespective of whether they live in authorized/unauthorized colonies or notified / non-notified slums. Under SBM (Urban), tenure security issues are to be de-linked with benefits.

- 5.4. Once a sufficient number of households are identified as a group, the ULB shall identify suitable piece of land adjoining their houses/dwelling and design the toilet block. Efforts should be made to look into all possible sources of revenue generation by leveraging land, use of rooftop or any other means.
- 5.5. Central government incentive for the construction of community toilets will be in the form of 40% Grant/VGF, for each community toilet block constructed. The remaining funds have to be generated as indicated in para 2.6 above.
- 5.6. Projects will be prepared and sanctioned by ULBs. In the entire project approval and procurement process, all provisions and procedures as prescribed by respective State Governments for ULBs must be followed in their entirety. The entire approval procedure except for release of Central funds will end at the ULB level. To this end the States are required to empower the ULBs if not already done so. This includes the delegation of powers to allot land (for this purpose) to ULB's and mechanisms to leverage this land to make the Community Toilet a viable project.
- 5.7. All community toilets constructed under SBM must have a minimum 5 year maintenance contract.
- 5.8. States will contribute a minimum of 25% funds towards community toilet projects to match 75% Central Share. (10% in the case of North East States and special category states).

6. SBM (Urban) Component -III: Public Toilets

- 6.1. Under SBM (Urban), States and ULBs will ensure that a sufficient number of public toilets are constructed in each city. All prominent places within the city attracting floating population should be covered.
- 6.2. Care should be taken to ensure that these facilities have adequate provision for men, women and facilities for the disabled (e.g. ramp provision, braille signage, etc.) wherever necessary. Suggested technical specifications, technologies and tentative cost of public toilets are available at **Annexure II**.
- 6.3. ULBs should ensure that all Public Toilets being constructed under SBM (Urban) are built in tandem with water supply arrangements in ULBs.
- 6.4. There will be no Central Government incentive support for the construction of public toilets under SBM (Urban). States and ULBs are encouraged to identify land for public toilets, and leverage this land and advertisements to encourage the private sector to construct and manage public toilets through a PPP agreement. Additional funding support by any means other than Gol grant can be used for public toilets.
- 6.5. The Projects will be prepared, sanctioned and implemented by ULBs. In the entire project approval and procurement process, all provisions and procedures as prescribed by respective State Governments for ULBs must be followed in their entirety. The entire approval procedure should end at the ULB level. To this end the States are required to empower the ULBs if not already done so. This includes the delegation of powers to allot land (for this purpose) to ULB's and mechanisms to leverage this land to make the Public Toilet a viable project.
- 6.6. All Public Toilets constructed under SBM must have a minimum 5 year maintenance contract.

7. SBM (Urban) Component IV: Solid Waste Management

- 7.1. Municipal Solid Waste Management (MSWM) refers to a systematic process that comprises of waste segregation and storage at source, primary collection, secondary storage, transportation, secondary

segregation, resource recovery, processing, treatment, and final disposal of solid waste. The Manual on Municipal Solid Waste Management, 2000 published by M/o UD and revised from time-to-time, may be referenced for DPR formulation and implementation.

- 7.2. ULB's are to prepare DPR for Solid waste management of their city in consultation with state governments. Smaller cities can form clusters to become viable entities to attract private investment. 100% Cost reimbursement for preparing the DPR shall be done by GoI as per unit cost and norms set up by NARC.
- 7.3. State governments may handhold ULB's in quickly preparing DPR's for SWM by empanelling /shortlisting /identifying private or government agencies for the same.
- 7.4. The DPR's should be bankable, having a viable financial model. These will be prepared emanating from the needs identified in the City Sanitation Plan. DPRs should be aligned with Govt. of India's goals outlined in the NUSP 2008, SWM rules, advisories, CPHEEO manuals (including cost-recovery mechanisms), O&M practices and Service-level Benchmark advisories released by M/o UD from time to time. Street Sweeping and litter control interventions will be part of DPR which is essential for a clean city.
- 7.5. In order to promote projects of waste to energy, it is clarified that the central government Grant / VGF may also be used for such projects, either upfront or as generation based incentive for power generated for a given period of time.
- 7.6. The State High Powered Committee (HPC) will authorize institutes of national repute for appraisal of DPRs for the technical and economic appraisal of DPRs for projects recommended by ULBs. No appraisal will be done by MoUD. The cost of DPR appraisal by these institutes shall be an admissible component under administrative costs, subject to norms as approved by MoUD.
- 7.7. The performance and quality of appraisal by these identified and authorized institutes will be evaluated and monitored by HPEC as well as NARC and corrective actions taken wherever necessary.
- 7.8. The State Level high power committee will approve the DPR as well as the financial model of solid waste management.
- 7.9. The implementation of SWM projects will be as per directions of State Level High Power Committee.
- 7.10. Central government incentive for the SWM projects will be in the form of a maximum of 20% Grant / VGF for each project. The remaining funds have to be generated as indicated in para 2.6 above.
 - 7.10.1. While considering projects under MSWM it will be ensured that there is no duplication in terms of funding under any other scheme or programme.
 - 7.10.2. Detailed technical and financial appraisal of the DPRs will be carried out in the manner prescribed in paragraph 10.5.4. O&M arrangements for the project shall necessarily be an integral part of the project in the DPR.
 - 7.10.3. SWM projects will be sanctioned by the State level HPC which shall include a representative of the MoUD. In the entire project approval and procurement process, all provisions and procedures as prescribed by respective State Governments must be followed in their entirety. The entire approval procedure for MSW projects except for release of Central funds will end at the State Level.

7.10.4. The States shall be free to choose the technology for SWM projects, toilets and street sweeping.

The Ministry of Urban Development shall, from time to time, bring to the notice of the States, through advisories and manuals, and other consultative mechanisms, various options available in these fields.

7.10.5. States will contribute a minimum of 25% funds for SWM projects to match 75% Central Share. (10% in the case of North East States and special category states).

8. SBM (Urban) Component -V: IEC & Public Awareness

- 8.1. A key strategy under SBM (Urban) is behavior change communication to ensure that sanitation as an issue is mainstreamed with the general public at large and should cover issues of open defecation, prevention of manual scavenging, hygiene practices, proper use and maintenance of toilet facilities (household, community or otherwise), etc., and its related health and environmental consequences. Communication material for behavior change shall be designed in consultation with the M/o Information and Broadcasting, M/o Health & Family Welfare, and should be in sync with the material being used under SBM (Rural).
- 8.2. A total of **15%** of the total central allocation will be earmarked for this component. Of this, **12%** will be earmarked for States to undertake massive public awareness campaigns on sanitation and establishing its link to public health, hygiene and the environment through various means including - radio, social media, documentaries, plays, workshops, etc. The remaining **3%** will be earmarked for the MoUD to draw a national media campaign and developing standard campaign tools for effective awareness and communication on sanitation.
- 8.3. Expenditure on Newspaper and TV is not an admissible item under this component for the state government or for the ULB's as this is taken care by government of India ministries and organisations.
- 8.4. States shall prepare an annual action plan, with details of State funding commitment, for Public Awareness & IEC and State HPC shall approve it. At least 50% of the IEC fund in each annual plan, as approved by State HPC, must go to the ULB's for IEC activities at the grass root level.
- 8.5. HPEC at State level shall be the competent authority to authorize and delegate administrative powers for use of the state level funds within the approved plan. ULB's shall be competent to spend the minimum 50% part of the ULB level funds, as per approved plan.
- 8.6. Under no circumstance shall this fund be utilized for purchase of vehicles, construction and maintenance of buildings, creation of posts and payment of salary, and purchase of furniture and fixtures.
States will contribute a minimum of 25% funds towards IEC & Public awareness to match 75% Central Share (10% in the case of North East States and special category states) in each annual plan.

9. SBM (Urban) Component VI : Capacity Building and Administrative & Office Expenses (A&OE)

- 9.1. **3%** of the total Central Government allocation under the mission will be earmarked for capacity building, administrative and office expenses of States and ULBs.
- 9.2. **2%** of the total Central Government allocation under the mission will be utilized at MoUD level for capacity building, convening national and regional workshops, various awards and best practice recognition,

programme research, studies, international cooperation for capacity building and technology development, A&OE and various eligible purposes in consultation with the Integrated Finance Division (IFD) of the M/o UD.

- 9.3. States shall propose extensive capacity building activities to be implemented in a mission-mode manner, which will enable the progressive achievement of objectives of SBM (Urban) in a time-bound manner. These will be specified in the comprehensive annual action plan prepared by each state. This will be approved by State Level High Power Committee after sharing and considering suggestions from MoUD. At least 50% of this fund, in each annual plan, as approved by State HPC, must go to the ULB's for activities at the ULB level.
- 9.4. HPEC at State level shall be the competent authority to authorize and delegate administrative powers for use of these funds. ULB's shall be competent to use the minimum 50% fund, as per approved plan, passed on to them.
- 9.5. States will be encouraged to use other available capacity building funds to dovetail or integrate capacity building activities of ULB's.
- 9.6. States and ULBs should identify relevant officials (both senior level officials and field-level functionaries) for training and draw up a calendar of training for them. It will be the responsibility of the State Mission Director to ensure that identified officials undergo adequate capacity building / training to ensure the success of SBM (Urban) in the state. Additionally, states should also identify relevant officials / persons capable of spreading the training on sanitation under SBM (Urban) as "master trainers" who can attend central government training on SBM (Urban) and then organize subsequent training to diffuse the message of SBM (Urban) in the states.
- 9.7. All support structures for implementing the mission at the state and ULB levels defined in the Mission Management Structure (section 11 of the SBM (Urban) guidelines), i.e., the Programme Management Units (PMUs) at the State level, the Programme Implementation Units (PIUs) at the city level, and Independent Project Review & Monitoring Agencies (IPRMA) etc., engaged on an outsourced basis, shall be funded under this head.
- 9.8. Under no circumstance shall this fund be utilized for purchase of vehicles, construction and maintenance of buildings, creation of posts and payment of salary, and purchase of furniture and fixtures.
- 9.9. States will contribute a minimum of 25% funds towards Capacity Building and Administrative & Office Expenses (A&OE) to match 75% Central Share.(10% in the case of North East States and special category states) in each annual plan.

10. Funding pattern and financial process

10.1. *Funding pattern: Guiding Principals:*

- a) First installment will be released to states on receipt and acceptance of proposal containing the brief concept state sanitation strategy as given in **Annexure IV**.
- b) For House Hold Toilets, Funds in the first installment will be released as per number of beneficiary household identified, in the concept sanitation plan, at the rate of Rs. 2000/- Central assistance.

- c) For Community Toilets and Solid Waste Management Projects, Adequate funds will be released on the proposal of the State Government for SWM and Community toilet projects. It will be ensured that funds do not remain parked with the state governments Gol share of grant / VGF may be drawn from this pool fund maintained at state level. This will be replenished on demand by states based on progress.
- d) For IEC, Capacity Building and Administrative expenditure, appropriate percentages of (a) and (b) above shall be added to the first installment.
- e) States will contribute a minimum of 25% funds towards all components to match 75% Central Share. This will be 10% in the case of North East and special category States.
- f) Subsequent installments shall be released based on utilization certificates of previous grants, physical and financial progress and other indicators as approved and desired by the National Advisory & Review Committee (NARC).

10.2. Clarification on Grant v/s VGF

- 10.2.1. Under Swachh Bharat Mission, projects under PPP mode are encouraged, to invite private capital in urban infrastructure as well as to bring in private sector efficiency in delivery of urban services and O & M. It is also understood that in the current scenario, there may be a requirement for viability gap funding. For solid waste management, revenue streams such as Compost from organic waste, recycled construction material from C & D waste, Power from waste to energy plants can be leveraged.
- 10.2.2. All ULB's must first explore possibility to take up the projects in a PPP mode for the above reasons. Government of India funds as per prescribed funding pattern will be available for claiming VGF.
- 10.2.3. State governments can also add or generate funds for ULB's as additional incentives over and above minimum 25% share required to make the projects viable.
- 10.2.4. Release of VGF grants will be as per contractual arrangement with the private partner and as approved by state government. However, it will be ensured that funds do not remain parked with the state governments.
- 10.2.5. Adequate funds will be released on acceptance of the proposal of the State Government for SWM and Community toilet projects. ULBs will initiate project preparation and bidding as per the guidelines for community toilets and SWM.
- 10.2.6. States will release the Central Government share of VGF adding their share in conformity with the contractual requirements of the project taken up on PPP mode.
- 10.2.7. In case state government feels that a project is not suitable to be taken under PPP methodology, it may then consider the Gol share (as per funding pattern) to be treated as Grant from Gol to the ULB. It will be up to the state government and ULB to arrange for the balance resources for the project, which must be ensured at the time of approving a project.
- 10.2.8. For PPP Projects, state governments to follow their own policy and rules. No project shall be referred to Government of India.

10.3. Allocation of funds to States / UTs

10.3.1. The mission will be implemented with the following classification of funding to states:

S. No.	Classification	Percentage Allocation (Central Govt. funding)	Total Amount for Mission Period Rs. Crore
i.	Project Fund based on Normative Criteria	60%	8773.80
ii.	Performance Fund based on Performance Matrix	20%	2924.60
iii.	Public Awareness & IEC Activities	15%*	2193.45
iv.	Capacity Building & A &OE	3%	438.69
v.	Research, Capacity Building & A&OE (M/o UD)	2%	292.46

*3% of which to be retained by M/o UD

10.3.2. The **Project Fund** specified in 10.3.1(i) above shall be allocated as follows:

- i. The distribution of the Project fund will be as under: (Rs. in Crore.)

a.	Project Funds for States other than the North-East	80%	7019.04
b.	Project Funds to North-East States	10%	877.38
c.	Flexi Funds*	10%	877.38

*Flexi Funds in terms of the Department of Expenditure OM No. F.No.55(5)/PF.II/2011 dated 06.01.2014) will be available to states

- ii. Where ever it is required for fund allocation to be divided among States / UTs it will be done by giving :

- A) 50% weightage to the ratio of urban population in each State / UT to the total urban population, and
- B) 50% weightage to the ratio of number of statutory towns in each State / UT to the total number of statutory towns.

*Both ratios shall use Census 2011 data. Details of distribution of Project Fund across States / UTs are at **Annexure III**.*

10.3.3. The **Performance Grant** specified in 10.3.1(ii) above shall be kept with the SBM National Mission Directorate as Performance Grant and released as per the criteria mentioned below for rewarding performing states. The release of the performance grant shall be based on a Performance Matrix and Third Party Evaluation by the Independent Project Review & Monitoring Agency (IPRMA) on the following outcomes:

- a. Elimination of open defecation
- b. Conversion of insanitary latrines into pour-flush latrines
- c. Eradication of manual scavenging
- d. Prevention of pollution of water sources

- e. Ensuring cleanliness and hygiene in public places
- f. Awareness creation
- g. Capacity building

The National Advisory & Review Committee (NARC) at the M/o UD may also design other relevant criteria for the release of these funds and shall take a final view regarding the release of this grant keeping in view the progress made and circumstances of each State. This will not be applicable in the first installment. No withholding of 20% shall be done while releasing the first installment to the states.

10.4. Disbursal of funds to States / UTs and ULBs

10.4.1. States / UTs will submit a proposal for release of grant to the Central Government based on projections and authenticated targets with a Concept Note on State Urban Sanitation strategy in the format given in **Annexure IV**. This shall be submitted online to the SBM National Mission Directorate.

10.4.2. On acceptance of the State Government's proposal by the ministry, first installment of funds shall be disbursed to States / UTs in the following manner:

- i. 50% of the project fund shall be divided among states as per the formula mentioned at 10.3.2 (see also **Annexure III**).
- ii. 12% of Project funds released above shall be released as IEC and the Public Awareness component and,
- iii. 3% of the Project funds released above shall be released or the Capacity Building and A&OE funds.
- iv. No withholding of 20% shall be done on account of performance grant, while releasing the first installment to the states.

10.4.3. Subsequent installments (including for Capacity Building & IEC, and the Public Awareness and A&OE) shall be released on

- (i) Submission of the Utilization Certificate for 75% of the fund released as 1st installments and,
- (ii) Satisfactory physical and financial progress as per NARC criteria.

The quantum of subsequent installments will be based on actual demands and projections of expenditure for admissible components as per funding pattern of SBM.

10.4.4. Release of central contribution towards Grants / VGF by States/UTs for projects shall be in a manner described in paragraph 10.1 and 10.2 above.

10.4.5. At the end of the 2nd and 3rd quarters of each Financial Year, the use of allocated funds by States / UTs under the mission shall be reviewed by NARC, and NARC may reallocated funds from non-performing states to performing states based on the potential to utilize funds in a given financial year.

10.4.6. State governments shall evolve a suitable mechanism to release funds along with state share to ULBs within 30 days of release of the central share by M/o UD. Interest at the rate specified by the M/o Finance from timeto- time shall be levied on the State for any delay in release of funds to

ULBs beyond 30 days. This will be implemented by appropriate deductions from the state's next installment of fund release under the mission.

10.5. Sanction of projects (DPRs)

- 10.5.1. Projects will be sanctioned by state government (HPEC) or ULBs as prescribed in these guidelines. This is specified for each for each component of SBM in these guidelines.
- 10.5.2. Only new projects will be considered under the Mission and it will be ensured that there is no duplication. Projects will be considered as "new" if they are not projects already sanctioned and ongoing under state and central schemes and externally-aided programmes.
- 10.5.3. Wherever Detailed Project Reports (DPRs) are to be prepared for project sanction, fund release and monitoring, the cost of DPRs for the projects under the Mission shall be reimbursed subject to norms set-up by the NARC.
- 10.5.4. The State High Powered Committee (HPC) will authorize institutes of national repute for appraisal of DPRs for the technical and economic appraisal of DPRs for projects recommended by ULBs. The cost of DPR appraisal by these institutes shall be an admissible component under administrative costs, subject to norms as approved by MoUD.

11. Mission Management Structure Swachh Bharat Mission (SBM) Urban will have a three-tier mission management structure as follows:

11.1 National Level

- 11.1.1. A **National Advisory and Review Committee (NARC)** headed by the Secretary, M/o UD, and comprising representatives of relevant line ministries will be notified by the M/o UD. NARC will meet as per the requirements, but will meet at least once in three months. The functions of NARC will be:
 - i. Overall monitoring and supervision of SBM (Urban)
 - ii. Advise the States / UTs to explore avenues for innovative resource mobilization of private financing and leveraging land for PPP in sanitation projects.
 - iii. Approve installments and release of installment of funds for states / UTs by Central Government under the mission.
 - iv. Develop and modify performance matrix and criteria for the release of performance grants to States / UTs as specified in paragraph 10.3.3. v. Monitor outcomes and performance of projects sanctioned under SBM (Urban)
 - vi. NARC may delegate, as it considers appropriate, some of the functions within prescribed limits, to the National Mission Director (NMD) of the SBM National Mission Directorate to ensure speedy implementation of the mission vii. Any other issue which may be referred to it by the Government
- 11.1.2. The **SBM National Mission Directorate** will be headed by a National Mission Director (NMD) who will not be below the rank of Joint Secretary to the Government of India.
 - i. The NMD will be the overall in-charge of all activities related to SBM (Urban). NMD will be supported by a suitable team of officers at the National Mission Directorate and will be Member-Secretary of NARC for all matters.

- ii. The Mission Directorate shall be supported by a dedicated Project Management Unit (PMU) with 10-12 experts and support staff mainly on an outsourced basis. The PMU shall cover 4 verticals—Programme management, IEC & Media, Information Technology, and Monitoring & Evaluation.
- iii. The SBM National Mission Directorate will formulate a framework for support structure for the State Mission Directorates and issue appropriate guidelines / advisories to states from time-to-time.

11.2. State level

- 11.2.1. A **High Powered Committee (HPC)** under the chairpersonship of the State's Chief Secretary, and with members drawn from concerned departments (including a MoUD representative) shall be responsible for the management of SBM (Urban) at the State / UT level. The functions of the SLMRC will include:
 - i. Preparation, approval, and online publishing of the State Sanitation Strategy (SSS) for the respective state and City Sanitation Plan (CSP) for all cities covered under SBM (Urban), if not already done.
 - ii. Finalisation of the Concept Note on the Urban Sanitation Situation before submission to the SBM National Mission Directorate
 - iii. Empanel consultants of repute and experience for: a. Preparation of DPRs under SBM b. Conducting independent review and monitoring during execution of projects
 - iv. Empanel reputed Institutes like IITs, NIT's, State Technical Universities etc. for appraisal of DPRs.
 - v. Sanction projects relating to Solid Waste Management recommended by the ULBs.
 - vi. Plan for additional resource mobilization.
 - vii. Plan for fund flow in the short, medium and long term
 - viii. Recommend proposals for release of installments of funds for projects under the mission
 - ix. Monitor outcome and O&M arrangements of projects sanctioned and completed under the mission
 - x. Review the progress of Capacity Building, IEC, and Public Awareness activities under the mission and approve their annual action plan.
 - xi. Address violation of norms and conditions
 - xii. Ensure convergence of action for sanitation in the state and bring about inter-departmental coordination for this purpose as and when required.
 - xiii. Ensure timely audits of funds released and review the “Action Taken Reports” on various Audit reports of the mission and other similar reports
 - xiv. Review legal issues, if any
 - xv. Take up any other matter relevant for the efficient implementation of the mission, or matters referred to it by the SBM National Mission Directorate

11.2.2. The **SBM State Mission Directorate** will be located within the Urban Development Department (UDD) in the State / UT.

- i. The SBM State Mission Directorate will be headed by a State Mission Director (SMD) of appropriate seniority. The SMD will also function as Member-Secretary to the State Level HPC.
- ii. The SMD will create / notify a uniform structure across the state for the planning, designing, project preparation, appraisal, sanction and implementation of sanctioned projects under the mission at the ULB level. This shall be done keeping in mind the advisories issued by the National Mission Directorate from time-to-time.
- iii. The Mission Directorate shall be supported by a dedicated Project Management Unit (PMU) on an outsourced basis.

11.3. ULB level

The SBM is envisaged as People's movement (Jana Andolan) for ensuring hygiene, waste management and sanitation across the country. It is therefore essential that in its implementation the ULBs elicit the active participation of the Ward Committees, Area Sabhas, Resident Welfare Associations, NGOs and Civil Society Groups.

12. Monitoring & Evaluation (M&E)

- 12.1. States / UTs will be required to send in Monthly Progress Reports (MPRs) / Quarterly Progress Reports (QPRs) in prescribed formats with regard to targets and achievements. Apart from these, the Mission Directorate may prescribe other reports that may be considered appropriate from time to time. Given the scale of the mission, a comprehensive and robust IT enabled MIS will be established for tracking of targets and achievements. States / UTs will be required to submit progress reports online once this MIS is operational.
- 12.2. Monitoring activities will include, but not be limited to, third party evaluation, impact evaluation studies, etc. The evaluation of the mission will be undertaken during the course of its implementation to effect mid-term correction and align the mission to achieve its objectives
- 12.3. A **District Level Review and Monitoring Committee (DLRMC)** will be constituted with a view to fulfill the objective of ensuring satisfactory monitoring of projects under the Chairpersonship of a Member of Parliament. Detailed guidelines for this purpose will be issued separately by the SBM National Mission Directorate.

13. Logo and Tag line

The Logo and Tagline for the SBM (Urban) is given in **Annexure V**. This shall be displayed prominently on all projects and literature/publications under the mission.

Annexure I: Targets and definitions under SBM (Urban)

(Definitions reproduced from "House & Household Series Tables, Census of India 2011)

Targets under SBM (Urban)

For the purpose of SBM (Urban), the following action will have to be taken:

S. No.	Objective	Action under SBM (Urban) (Targets)	Census 2011 definition
i.	Elimination of open defecation	<ul style="list-style-type: none"> 80% urban households defecating in the open to be targeted for construction of household toilets 	No latrine within premises – open
ii.		<ul style="list-style-type: none"> 20% urban households defecating in the open to be targeted for construction of community toilets 	No latrine within premises – open
iii.		<ul style="list-style-type: none"> Construction of public toilets for floating population (presumed at 5% of total urban population) 	Total urban population
iv.	Conversion of insanitary latrines into sanitary latrines	<ul style="list-style-type: none"> 100% of urban households having insanitary latrines to be targeted for construction of household toilets 	<ul style="list-style-type: none"> Night soil disposed into open drain Service latrine with night soil removed by humans Service latrine with night soil serviced by animals
v.	Conversion of single pit latrines	<ul style="list-style-type: none"> 60% of urban households having 	<ul style="list-style-type: none"> Pit latrines with slab Pit latrines with pit latrines ventilated improved pit Pit latrines without slab/ open pit
vi.	Solid Waste management	80% of the urban population to be covered by SWM services (allowing for a 2% increase year on year)	<ul style="list-style-type: none"> Total urban population

Definition of Types of latrines under Census 2011

As per the Census of India 2011, the following various types of latrine facilities were surveyed:

1. Flush / pour flush latrine connected to piped sewer system: If a pour flush latrine is connected to a system of sewer pipes that collect both human excreta and waste water and removed them from the household environment
2. Flush / pour flush latrine connected septic tank: If a pour flush latrine is connected to a septic tank that collects both human excreta and wastewater and removes them from the household environment
3. Flush / pour flush latrine connected other system: If the pour or pour-flush latrine is connected to any system other than a piped sewer system or septic tank e.g. excreta and waste water gets flushed into the street, yard / plot, drainage ditch or any other location

4. Pit latrines*: defecation into pits dug into the ground for reception of night soil directly without flushing.
 - a. Pit latrine with slab: A pit latrine with a squatting slab or platform or set firmly supported on all sides, and raised above the surrounding ground level to prevent surface water from entering the pit, and easy to clean.
 - b. Pit latrine with ventilated improved pit: Pit latrines with slabs that are ventilated by a pipe extending above the latrine roof and the open end of the vent pipe is covered with mesh or fly-proof net
 - c. Pit latrine without slab / open pit: Pit latrines without a squatting slab or platform or seat
- *Census 2011 does not distinguish between single pit and twin pit latrines. However for SBM single pit latrines will be considered insanitary and shall be converted. Definition of twin pit latrine see Annexure II.
5. Night soil disposed into open drain: Where a latrine facility may exist, but the excreta and waste water is disposed directly into an open drain
 6. Service latrine: where human excreta is collected in a bucket, or other container, or even allowed to collect in the open
 - a. With night soil removed by humans: where the human excreta is removed physically by human beings
 - b. With night soil serviced by animals: where the human excreta is removed physically by animals
 7. No latrine within premises – public latrine: Households have no latrines within the premises of the dwelling unit and use an available public latrine
 8. No latrine within premises – open: Households have no latrine within the premises of the dwelling unit and defecate in the open in areas such as open fields, bushes, rivers, streams, railway tracks, etc.
 9. Insanitary latrine means a latrine which requires human excreta to be cleaned or otherwise handled manually, either in situ or an open drain or pit into which the excreta is discharged or flushed out, before the excreta fully decomposes in such manner as may be prescribed.(Chapter I Section 2(i)(e) The Prohibition of employment as manual scavengers & their Rehabilitation Act, 2013)

The Census of India 2011 defines **two broad kinds of urban areas** as follows:

- i. **Statutory towns** are urban areas defined by administrative units that have been defined by 'statute' as urban such as municipal corporations, municipalities, cantonment boards, notified town area committees, town panchayats, or nagar palikas; and
- ii. **Census Towns**: All administrative units satisfying the following criteria: (i) it should have a minimum population of 5,000 persons; (ii) at least 75% of the male main working population should have been engaged in non-agricultural pursuits; and (iii) it should have a density of population of at least 400 persons per km² (1,000 per mile²)

Annexure II: Technical options for toilets under SBM (Urban)

This note explains the technical options for toilets that are recommended under the Swachh Bharat Mission (SBM) Urban.

On-Site Sanitation (OSS) vs. Underground Sewerage

Wherever a sewerage system is available within 30m from the proposed individual household, community or public toilets only the superstructure (i.e. toilets) may be constructed under SBM and connected to the existing sewerage system. No construction of treatment units such as twin pits, septic tank, bio-digester or bio-tank shall be allowed.

Features of OSS Systems

When sewage is collected, treated and/or disposed off at, or near the point of generation, without the use of an underground sewerage system, the system is called “on-site sanitation” (OSS) system. OSS systems are sanitation facilities provided for the use of individual households, community and the floating population. There are a number of situations when an underground sewerage system may not be feasible or desirable. For example, for smaller cities where construction of sewerage infrastructure may be expensive, or those cities that are in hilly areas or in undulating terrain where it may not be practical to construct a sewer network, or even in many cities that have grown organically and where not all households are connected to the existing sewerage network.

OSS systems consists of two main structures, the toilet (superstructure, including the pan and water closet) and the treatment unit. OSS retains waste in the vicinity of the toilet either in a pit, tank or vault. The treatment ranges from a basic sanitary facility such as twin-pit latrines, to a simple type of treatment system by combining a septic tank and a soak pit, or a bio-digester toilet (aerobic and anaerobic).

The following technological options for OSS are recommended under Swachh Bharat Mission (SBM) Urban for construction of Individual Household Latrines (IHL) / household toilets, group / shared latrines, and, community and public toilets

S. No.	OSS Option	Kind of Latrines				Application
		IHL	Share Latrines	Community Toilets	Public Toilets	
1.	Twin-pit latrines / Leach Pits	✓				<ul style="list-style-type: none">• In low- to mediumdensity areas, particularly peri-urban areas, where there is space to install pits and where the digested sludge can be applied to local fields and/or gardens as a fertilizer and soil conditioner• Where water use is in the range 30–50 liters per capita per day depending upon the characteristics of the soil or groundwater level

2.	Septic System soak pit	Tank with	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Septic tanks are widely used to provide partial treatment of wastewater from individual homes, household clusters or institutional buildings where there is no sewerage network. For soak pits to function, soil conditions must be suitable for infiltration of effluent from septic tanks
3.	Biodigester toilets (Anaerobic-developed by DRDO)		✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Widely used to provide 80% treatment of wastewater from IHL, household clusters or institutional buildings where there is no sewerage network. The effluent should be passed through a reed bed or soak pit before discharge. For soak pits to function, soil conditions must be suitable for infiltration of effluent from septic tanks
4.	Aerobic Bio Tank		✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Widely used to provide 100% treatment of wastewater from IHL, clusters of houses or institutional building where there is no sewerage networks. The effluent can be directly discharged since it is completely safe; Chlorination is followed after treatment

Technical features and specification for toilets under SBM (Urban)

The details of technical features and specifications for toilets are given as under. The costs are simply estimates at this point of time and should be verified at the time of selection and installation of the technology.

I. Twin-Pit Latrine

Description	It consists of superstructure (Toilet) and treatment units (two chambers). The two underground chambers (pits) are provided to hold fecal sludge. These are normally offset from the toilet and should be at least 1 meter apart. A single pipe leads from the toilet to a small diversion chamber, from which separate pipes lead to the two underground chambers. The pits should be lined with openjointed brickwork. Each pit should be designed to hold at least 12 months accumulation of fecal sludge. Wastewater is discharged to one chamber until it is full of fecal sludge. Discharge is then switched to the second chamber. Just before the second chamber is full of fecal sludge, the contents of the first pit are dug out. During the time of storage, digestion should ensure that it is
--------------------	---

	odorless and free of pathogens.																					
O&M Requirements	The pits must be used alternately and the diversion chamber must be accessible so that flow can be diverted between chambers. Wastewater should never be diverted back to the first chamber before digested sludge has been removed from it. Responsibility for O&M of the twin-pit latrine rests primarily with the householder, who needs to ensure that the pits are used in the correct sequence and are emptied at the appropriate time. However, ULB utility or private contractors are required for emptying and to ensure safe disposal of septage at a treatment plant.																					
Additional Infrastructure / treatment requirements	If digested material cannot be used in local fields and gardens, provision will have to be made for transportation to areas outside the city for reuse on agricultural land.																					
Limitations	<ul style="list-style-type: none"> Households may not understand the system and as a result may not use the pits alternately, or may omit to rest the filled pit at least for one year so that the contents degrade and become harmless. Explanation of the operation and maintenance requirements is therefore essential at the time of installation. Water may percolate through the soil surrounding the pit and pollute groundwater, which is a potential problem if water is used for drinking. 																					
Specifications	<p>(a) Size options for Toilet/ Super Structure (as shown in Fig.1):</p> <p>a. 750 mm x 900 mm x 1900mm; or b. 800 mm x 1000 mm x 1900 mm</p> <p>(b) Material – Brick work (as per Fig. 1) / FRP/ Pre-cast Cylindrical Unit</p> <p>(c) Minimum Land Requirement – 40 Sq. ft. - 60 Sq. ft. (depending upon the location of superstructure and distance between two pits)</p> <p>(d) Size of Pits is shown in Table -1 below</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">5 users*</th> <th colspan="2">10 users**</th> <th colspan="2">15 users***</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Dia</th> <th>Depth (A)</th> <th>Dia</th> <th>Depth (A)</th> <th>Dia</th> <th>Depth (A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pit size</td> <td>900</td> <td>1000</td> <td>1100</td> <td>1300</td> <td>1300</td> <td>1400</td> </tr> </tbody> </table> <p>*- only for IHL</p> <p>**- Group household toilets</p> <p>The specification for pits given at Fig 2 may be referred to.</p>		5 users*		10 users**		15 users***			Dia	Depth (A)	Dia	Depth (A)	Dia	Depth (A)	Pit size	900	1000	1100	1300	1300	1400
	5 users*		10 users**		15 users***																	
	Dia	Depth (A)	Dia	Depth (A)	Dia	Depth (A)																
Pit size	900	1000	1100	1300	1300	1400																
Cost (for 5 users)	Tentative cost varies from Rs. 15,000/- to Rs. 20,000/- depending upon the construction material.																					

DESIGN OF PITS UNDER DIFFERENT CONDITIONS	
Normal conditions	A typical pour flush latrine with circular pits for normal conditions is shown in Figure 2 . In rocky strata with a soil layer in between, the leach pits can be designed on the same principle as those for low subsoil water level and taking the long-term infiltrative capacity as 20 l/m ² /d. However, in rocks with fissures, chalk formations, or old root channels, pollution can flow for very long distances; hence these conditions demand careful investigation and adoption of adequate pollution safeguards. Pits in 31 black cotton soil should be designed taking infiltrative rate of 10 l/m ² /d. A vertical fill (envelope) of 300 mm in width with sand, gravel or ballast of small sizes should be provided all round the pit outside the pit lining in rocky strata with fissures and in black cotton soil.
In waterlogged areas	The pit top should be raised by 300 mm above the likely level of water above ground level at the time of water logging. Earth should then be filled well compacted allround the pits up to 1.0 m distance from the pit and up to its top. The raising of the pit will necessitate the raising of latrine floor also. A typical pour flush latrine in water-logged areas is shown in Figure 3 .
In high subsoil water level	Where the subsoil water level rises to less than 300 mm below ground level, the top of the pits should be raised by 300 mm above the likely subsoil water level and earth should be filled all round the pits and latrine floor raised as stated above. A typical pour flush latrine with leach pits in high subsoil water level is shown in Figure 4.
Where space is constraint	a Where circular pits of standard sizes cannot be constructed due to space constraints, deeper pit with small diameter (not less than 750 mm), or combined oval, square or rectangular pits divided into two equal compartments by a partition wall may be provided. In case of combined pits and the partition wall should not have holes. The partition wall should go 225 mm deeper than the pit lining and plastered on both sides with cement mortar. A typical pour flush latrine with combined pits is shown in Figure 5.

II. Septic Tank

Description	A septic tank is a buried chamber that collects, stores and treats the wastewater under anaerobic conditions. Effluent from septic tanks should be discharged into a soak pit. A well-managed septic tank will remove about 50 to 60 % of the biological load in the wastewater
Mode of operation	Solids settle in the tank and digest anaerobically. This reduces sludge volume and enables wastewater to infiltrate into the ground without clogging the leaching system. Sludge settles in the tank and digests anaerobically over time, releasing methane and other gases.

O&M Requirements	Septage must be removed from septic tanks at least once every 2 or 3 years and transported off-site for treatment prior to disposal. Municipal utility or private contractors are required for desludging of septic tanks and to ensure safe disposal of septage at a treatment plant. However the responsibility for O&M of the septic tank itself lies with the owner of the property																											
Limitations	<ul style="list-style-type: none"> Cost and space requirements for the soak pit. Though septic tanks are designed for receiving black water, they often receive both black and grey water. As a result, the retention time in the septic tank is insufficient and the soak pit becomes hydraulically overloaded. This means that the septic tanks need to be de-sludged regularly 																											
Specifications	<p>(a) Size options for toilet / super structure as shown in Fig. 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • 750 mm x 900 mm x 1900mm or • 800 mm x 1000 mm x 1900 mm <p>(b) Material – Brick work (as per Fig. 1) / FRP / Pre-cast Cylindrical Unit</p> <p>(c) Minimum Land requirement - 40 Sq. ft. to 50 Sq. ft. (depending upon the location of superstructure)</p> <p>(d) Soak-pit size - The seepage pit may be of any suitable shape with the least crosssectional dimension of 0.90 m and not less than 1 m in depth below the invert level of the inlet pipe. The construction shall be of perforated brickwork</p> <p>(e) Recommended sizes of septic tanks for households (up to 20 users – group / shared toilets) is given in Table 2 below:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No. of users</th> <th rowspan="2">Length (m)</th> <th rowspan="2">Breadth (m)</th> <th colspan="2">Liquid depth (m) (Cleaning interval of)</th> </tr> <tr> <th>2 years</th> <th>3 years</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5*</td> <td>1.5</td> <td>0.75</td> <td>1.0</td> <td>1.05</td> </tr> <tr> <td>10**</td> <td>2.0</td> <td>0.90</td> <td>1.0</td> <td>1.4</td> </tr> <tr> <td>15**</td> <td>2.0</td> <td>0.90</td> <td>1.3</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>20**</td> <td>2.3</td> <td>1.10</td> <td>1.3</td> <td>1.80</td> </tr> </tbody> </table> <p>*- only for IHL</p> <p>**- Group household toilets</p> <p><i>Note 1: The capacities are recommended on the assumption that discharge from only WC will be treated in the septic tank</i></p> <p><i>Note 2: A provision of 300 mm should be made for free board.</i></p> <p><i>Note 3: The sizes of septic tank are based on certain assumption on peak discharges, as estimated in IS: 2470 (part 1) and while choosing the size of septic tank exact calculations shall be made.</i></p>	No. of users	Length (m)	Breadth (m)	Liquid depth (m) (Cleaning interval of)		2 years	3 years	5*	1.5	0.75	1.0	1.05	10**	2.0	0.90	1.0	1.4	15**	2.0	0.90	1.3	2.00	20**	2.3	1.10	1.3	1.80
No. of users	Length (m)				Breadth (m)	Liquid depth (m) (Cleaning interval of)																						
		2 years	3 years																									
5*	1.5	0.75	1.0	1.05																								
10**	2.0	0.90	1.0	1.4																								
15**	2.0	0.90	1.3	2.00																								
20**	2.3	1.10	1.3	1.80																								

Cost (for 5 users)	<ul style="list-style-type: none"> Tentative cost varies from Rs. 25,000/- to Rs. 30,000/- depending upon the construction material (toilet and septic tank). Pre fabricated septic tanks are available at lower cost in the market, which also may be explored to speed up the implementation.
---------------------------	---

III. Biogester Toilet (Developed by DRDO)

Description	<p>A bio-digester toilet is an anaerobic multi-compartment tank with inoculum (anaerobic bacteria) which digests organic material biologically. The details of biodigester toilets are shown in Figure 7. This system converts faecal waste into usable water and gases in an eco-friendly manner.</p> <p>It can be connected to the toilet or a series of toilets. The toilet can be a superstructure fixed on the bio-digester or a separate unit. Bio-digester has an inlet, an outlet and a gas pipe.</p> <p>The tank has two components, namely, anaerobic microbial inoculum (seed bacteria) and specially designed fermentation tank. The tank can be made out of Stainless steel, Mild steel, FRP or concrete. Semi-treated water from bio-digester tank is needed to be further disposed into a soak pit or a reed bed arrangement for its treatment to acceptable levels of discharge.</p>
Advantages	<ul style="list-style-type: none"> As there is no sludge formation, there is no need for de-sludging and treatment. It is therefore more economical in the long-term as it conserves water and has minimum O&M Night soil degradation, occurs through microbial reaction which converts it into bio gas and odorless water. Technology is environmental friendly, maintenance free and efficient without depending on conventional energy sources. Permits use of toilet cleansing agents. Suitable for mobile and stationary platforms. Lifelong usage bio-digester tank does not need recharging, re-shifting or maintenance. Costs lesser than the conventional toilets. Easy to transport and install. 33 One-third to one-fourth capacity of septic tank Space requirement is less.
Limitations	<ul style="list-style-type: none"> •
Specifications	<p>Toilet Superstructure</p> <p>(a)Size of Toilet / super structure – as shown in Fig. 1</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • 750 mm x 900 mm x 1900mm or • 800 mm x 1000 mm x 1900 mm <p>(b)Material – Brick work (as per Fig. 1) / FRP/ Pre cast Cylindrical Unit</p> <p>Bio tank</p> <p>(a)Land requirement – 25 sq. ft.</p> <p>(b)Tank internal dimensions – 1336 mm x1036 mm x 900 mm</p> <p>(c)Diagonal partition wall of 8mm thickness (adequately stiffened by ribs)</p> <p>(d)Tank is buried 600mm deep and anchored by 300mm long stainless steel (SS316) anchor bolts at corners</p> <p>(e)FRP tanks of 8mm thickness</p> <p>(f) Provision of water sealed outlet from the tank</p> <p>(g)For 5-6 users:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Total capacity: 700 litres (1000 mmX700 mm and 1000 mm depth). Where space is a constraint the depth of the tank can be increased to 1.5 m b. Volume of anaerobic Compartment (30% of total capacity): 210 litres c. Tank may be constructed with masonry also. 																
Cost Estimates	<ul style="list-style-type: none"> • Toilet cost between Rs. 12,000 and Rs. 15,000 depending on material of construction; • Bio-digester tank as per Table 4 below: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bio-digester tank -></th><th colspan="3">Material of construction</th></tr> <tr> <th>No. of users / Capacity</th><th>Masonry</th><th>Precast Cylindrical Unit</th><th>Fiber reinforced plastic</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 to 7 users (700 Litre)</td><td>17,100</td><td>11,600</td><td>22,000</td></tr> <tr> <td>10 to 12 users (1000 Litre)*</td><td>19,000</td><td>13,600</td><td>24,000</td></tr> </tbody> </table>	Bio-digester tank ->	Material of construction			No. of users / Capacity	Masonry	Precast Cylindrical Unit	Fiber reinforced plastic	5 to 7 users (700 Litre)	17,100	11,600	22,000	10 to 12 users (1000 Litre)*	19,000	13,600	24,000
Bio-digester tank ->	Material of construction																
No. of users / Capacity	Masonry	Precast Cylindrical Unit	Fiber reinforced plastic														
5 to 7 users (700 Litre)	17,100	11,600	22,000														
10 to 12 users (1000 Litre)*	19,000	13,600	24,000														

	*Group / Shared toilets
--	-------------------------

IV. Bio Tank / Bio Toilets (Patented by private operators and approved by the Department of Science and Technology)

Description	<p>This technology differs from that of the bio-digester toilets developed by DRDO since the process adopted is aerobic - which involves a different multi-strain of bacteria which breaks down the waste matter through oxidization. Bio-toilets consist of a purpose built multi-chambered bio-tank in which the waste is stored as shown in Figure 8. The movement of the waste is slowed down as the waste flows from one chamber to another by a special process in the Bio-tank such that the multi-strain bio-media present in the tank can digest the waste and convert it fully into non-toxic neutral water. This water then passes through the last chamber for disinfection. Here water is treated with Chlorine where the majority of the germs are killed. The resultant water is free from all sorts of E-coli and fecal coliforms.</p> <p>The bricks and mortar Bio-tank is described in the last diagramme of Figure 8. The superstructure is made of bricks and mortar. These are available in both flush and non-flush models.</p>
Advantages	<ul style="list-style-type: none"> • Aerobic bacteria are very efficient in breaking down organic waste and the waste is decomposed into water by the bacteria within 24 hours. The end products of aerobic degradation are carbon dioxide (CO₂) and water (H₂O). • The aerobic pathway also releases a substantial amount of energy. • The Bio-toilet is available in both, portable as well as fixed models. The advantage of the portable model is that it can be shifted from one location to another as and when required, and the module can be assembled and disassembled easily. • The Bio-toilet eliminates the need for any periodic sludge removal.
Limitations	<ul style="list-style-type: none"> • The bacteria functions best in temperatures between 4 and 55 degrees centigrade • Bio-toilets need proper bacteria inoculation periodically depending on the usage at particular sites. An in-depth understanding of the operation and use of toilets in a given area must be undertaken BEFORE choosing bio-toilets as a solution. Attention must be given to O&M, especially in dense urban settlements where chances of blockage of bio-toilets increase, making it dysfunctional over a period of time if the inoculation is not done in time. • Phenyl/ Harpic or any strong detergent/acid and bleaching powder should not be used to clean the pan. Only herbal / ayurvedic cleaning agents should be used. • Chlorine dose is necessary for disinfection.
O&M	Responsibility of cleaning the toilet / superstructure is with the owner of the

	household in the case of IHLs / shared latrines and with the ULB in the case of community / public toilets.
Specifications	<p>(a) Size of Toilet/ Super Structure as shown in Fig. 1 –</p> <ul style="list-style-type: none"> • 750 mm x 900 mm x 1900mm or • 800 mm x 1000 mm x 1900 mm 35 <p>(b) Material – Bricks and Mortar walls of Bio Digester tank and Superstructure, PCC tank floor, RCC toilet floor, PVC Door and Frame, RCC/PVC/GI sheet Toilet Roof.</p> <p>(c) The Bio-toilet system consists of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bio digester Tank(Bricks & Mortar/FRP/Steel), • Superstructure(Bricks & Mortar/FRP) • Indian Pan/WC • Size: 4 feet x 4 feet tank base, 4 feet tank height, 6 feet superstructure height. • Maximum usage recommended: 30 defecations/ day/ bio-toilet (no limit on urination) <p>(d) Land requirement - 16 Sq. ft.</p>
Cost Estimates	The tentative cost of bio-toilet including super structure is approximately Rs.20,000/- depending upon material of construction. The bio-toilets should be supplied by the manufacturers, and the O&M for at least 5 years (including the feeding of inoculum in the periodicity needed) along with IEC (to train users for O&M) by the manufacturer / supplier also should be built into the undertaking.

Norms & Specifications for Community and Public Toilets

Description	A community toilet block is a shared facility provided for a group of residents or an entire settlement. Community toilet blocks are used primarily in low-income informal settlements where space and/or land are constraints. Pour flush option is generally used in this kind of OSS systems. It is also advisable to provide facilities like washing, bathing, and a small incinerator in this block for the use of the community A Public toilets are provided for the floating population / general public in places such as markets, train stations or other public areas, where there is a considerable number of people passing by.
Septic tanks for public/ community toilets	Recommended sizes of septic tanks for community/ public toilets (up to 300 users) is given below in Table 5.

No. of users	Length (m)	Breadth (m)	Liquid depth (cleaning interval of)	
			2 years	3 years
50	5.0	2.00	1.0	1.24
100	7.5	2.65	1.0	1.24
150	10.0	3.00	1.0	1.24
200	12.0	3.30	1.0	1.24
300	15.0	4.00	1.0	1.24

	<p><i>Source: Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013 Part A Engineering</i></p> <p><i>Note 1: A provision of 300 mm should be made for free board.</i></p> <p><i>Note 2: The sizes of septic tanks are based on certain assumptions on peak discharges, as estimated in IS: 2470 (Part 1) and while choosing the size of septic tank exact calculations shall be made.</i></p> <p><i>Note 3: For population over 100, the tank may be divided into independent parallel chambers of maintenance and cleaning</i></p>																				
Community Toilet Norms for toilet seats	<ul style="list-style-type: none"> - • One seat for 35 men; • One seat for 25 women • Adequate bathing facilities 																				
Public Toilets - Norms for toilet seats	<p>Norms for toilet sets for public toilets are given in Table 6 below:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>S. No.</th> <th>Sanitary Unit</th> <th>For Male</th> <th>For Female (A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>i.</td> <td>Water Closet</td> <td>One per 100 persons up to 400 persons; For over 400 persons, add at the rate of one per 250 persons or part thereof</td> <td>Two for 100 persons up to 200 persons; over 200 persons, add at the rate of one per 100 persons or part thereof</td> </tr> <tr> <td>ii.</td> <td>Ablution Taps</td> <td>One in each W.C.</td> <td>One in each W.C.</td> </tr> <tr> <td>iii.</td> <td>Urinals</td> <td>One for 50 persons or part thereof</td> <td>Nil</td> </tr> <tr> <td>iv.</td> <td>Wash basins</td> <td>One per W. C. and urinal provided</td> <td>One per W. C. provided</td> </tr> </tbody> </table>	S. No.	Sanitary Unit	For Male	For Female (A)	i.	Water Closet	One per 100 persons up to 400 persons; For over 400 persons, add at the rate of one per 250 persons or part thereof	Two for 100 persons up to 200 persons; over 200 persons, add at the rate of one per 100 persons or part thereof	ii.	Ablution Taps	One in each W.C.	One in each W.C.	iii.	Urinals	One for 50 persons or part thereof	Nil	iv.	Wash basins	One per W. C. and urinal provided	One per W. C. provided
S. No.	Sanitary Unit	For Male	For Female (A)																		
i.	Water Closet	One per 100 persons up to 400 persons; For over 400 persons, add at the rate of one per 250 persons or part thereof	Two for 100 persons up to 200 persons; over 200 persons, add at the rate of one per 100 persons or part thereof																		
ii.	Ablution Taps	One in each W.C.	One in each W.C.																		
iii.	Urinals	One for 50 persons or part thereof	Nil																		
iv.	Wash basins	One per W. C. and urinal provided	One per W. C. provided																		
	<p><i>Source: Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013 Part A Engineering Note:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> i) It may be assumed that two-thirds of the number are males and one-third females ii) One water tap with drainage arrangements shall be provided for every 50 persons or part thereof in the vicinity of water closet and urinals. * At least 50% of female WCs may be Indian pan and 50% EWC iii) Separate seat may also be provided for trans-genders iv) Special arrangements may be made for physically challenged. 																				
Treatment units	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bio Digester with reed bed systems/ soak pits 2. Bio Tank 3. Septic Tank with Soak Pits 																				
Cost	Tentative basic cost for community toilets is Rs. 65,000/- per seat and public toilets is Rs. 75,000/- per seat. However, the cost per seat would vary depending upon the construction material, quality of construction, type of treatment																				

	technology adopted and O&M for specified period etc. However the cost of toilet in bio-digester given by NBCC are as under.		
	Superstructure 5 Cubicle for 200 users		
	Pre Painted galvanized Sheets	Masonry	Cement Board
	Rs. 1,63,000.00/-	Rs.95,000.00/-	Rs. 80,000.00/-
	Superstructure 10 Cubicle for 400 users		
	Pre Painted galvanized Sheets	Masonry	Cement Board
	Rs.3,26,000.00/-	Rs. 1,80,000.00/-	Rs. 1,60,000.00/-
	Bio Digester Tank 10 KLD for every 200 users		
	Masonry		
	Rs. 1,74,000.00/- per 200 user		
Additional Infrastructure	It must be ensured that adequate water supply arrangement shall be made for proper functioning and upkeep of toilets. Wherever possible, ULBs should ensure that public and community toilets are outfitted with solar panels for the generation of electricity to ensure uninterrupted power supply and bring down O&M costs.		
Implementation Mode	All toilets shall be constructed through PPP mode with inbuilt provision of O&M for at least a period of 5 years.		

For additional details the guidelines developed by NBCC can be downloaded. (www.nbccindia.gov.in)

Figures Figure 1: Detailed layout of toilet




Figure 2: Pour-flush latrine with circular pits

(Source: Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013, Part A: Engineering)




Figure 3: Pour-flush latrine in water-logged areas

(Source: Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013, Part A: Engineering)




Figure 4: Leach pits in high subsoil water level

(Source: Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013, Part A: Engineering)





Figure 5: Pour-flush latrine with combined pits

(Source: Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013, Part A: Engineering)




Figure 6: Typical sketch of two-compartment septic tank for 5 users
(Source: Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013, Part A: Engineering)

(Dimensions in mm)







Figure 7: Details of bio-digester with reed bed
(Source: DRDO)



Figure 8: Details of Bio-Toilet

(Source: Private Agency)





Annexure III: Distribution of the Project Fund across States / UTs under SBM (Urban)

States/UTs	POPULATION OF STATUTORY TOWNS		STATUTORY TOWNS		OPEN DEFECATION		Fund Share*
	Pop. (minus OG)	Population Share (%)	No.	ST Share %	HHs	HH Share %	(%)
ALL India	31,85,49,793		4,041		79,02,614		
NON-NE STATES	31,20,08,498		3,823		78,59,648		
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1,08,058	0.03%	1	0.03%	1,209	0.02%	0.03%
ANDHRA PRADESH	2,30,04,396	7.37%	125	3.27%	5,81,673	7.40%	5.32%
BIHAR	1,12,41,824	3.60%	139	3.64%	5,46,409	6.95%	3.62%
CHANDIGARH	9,61,587	0.31%	1	0.03%	6,397	0.08%	0.17%
CHHATTISGARH	56,87,885	1.82%	168	4.39%	4,15,147	5.28%	3.11%
DADRA & NAGAR HAVELI	98,265	0.03%	1	0.03%	1,992	0.03%	0.03%
DAMAN & DIU	68,273	0.02%	2	0.05%	678	0.01%	0.04%
GOA	4,01,929	0.13%	14	0.37%	5,788	0.07%	0.25%
GUJARAT	2,31,88,334	7.43%	195	5.10%	3,88,836	4.95%	6.27%
HARYANA	78,61,917	2.52%	80	2.09%	1,28,059	1.63%	2.31%
HIMACHAL PRADESH	6,58,036	0.21%	56	1.46%	10,911	0.14%	0.84%
JAMMU & KASHMIR	29,40,098	0.94%	86	2.25%	44,501	0.57%	1.60%
JHARKHAND	53,05,359	1.70%	40	1.05%	2,54,374	3.24%	1.37%
KARNATAKA	2,21,63,498	7.10%	220	5.75%	5,34,829	6.80%	6.43%
KERALA	52,47,614	1.68%	59	1.54%	18,429	0.23%	1.61%
MADHYA PRADESH	1,87,83, 104	6.02%	364	9.52%	7,89,555	10.05%	7.77%
MAHARASHTRA	4,67,83,521	14.99%	256	6.70%	6,94,830	8.84%	10.85%

NCT OF DELHI	1,14,02,709	3.65%	3		62,210	0.79%	1.87%
ODISHA	59,69,842	1.91%	107	2.80%	4,08,170	5.19%	2.36%
PUDUCHERRY	7,48,267	0.24%	6	0.16%	18,941	0.24%	0.20%
PUNJAB	95,55,705	3.06%	143	3.74%	1,02,026	1.30%	3.40%
RAJASTHAN	1,57,17,489	5.04%	185	4.84%	4,31,290	5.49%	4.94%
TAMIL NADU	2,98,32,766	9.56%	721	18.86%	11,28,692	14.36%	14.21%
UTTAR PRADESH	4,06,94,476	13.04%	648	16.95%	9,65,922	12.29%	15.00%
UTTARAKHAND	24,89,380	0.80%	74	1.94%	19,206	0.24%	1.37%
WEST BENGAL	2,10,94,166	6.76%	129	3.37%	2,99,574	3.81%	5.07%
NE STATES	65,41,295		218		42,966		
ARUNACHAL PRADESH	3,13,557	4.79%	26	11.93%	4,241	9.87%	8.36%
ASSAM	33,19,375	50.74%	88	40.37%	27,900	64.94%	45.56%
MANIPUR	6,36,625	9.73%	28	12.84%	3,427	7.98%	11.29%
MEGHALAYA	3,75,930	5.75%	10	4.59%	1,887	4.39%	5.17%
MIZORAM	5,71,771	8.74%	23	10.55%	1,019	2.37%	9.65%
NAGALAND	5,05,440	7.73%	19	8.72%	2,279	5.30%	8.22%
SIKKIM	1,47,695	2.26%	8	3.67%	719	1.67%	2.96%
TRIPURA	6,70,902	10.26%	16	7.34%	1,494	3.48%	8.80%

Concept Note on State Urban Sanitation Strategy for the State of _____

PART A: Parameters determining the existing urban sanitation situation

1	State Profile	
1.1	Name of the state	
1.2	Total Urban Population as per 2011 Census	
1.3	Number of Statutory towns 1 as per Census 2011	
1.4	Number of Census towns 2 as per Census 2011	
1.5	Population of statutory towns (as per Census 2011)	
1.6	Population of census towns (as per Census 2011)	
1.7	Total number of urban households	

2	Status of Sanitation Situation as per Census 2011 [FOR STATUTORY TOWNS ONLY]	Total nos. as per Annexure 1 (State)*
2.1	Number of urban households resorting to open defecation (not in premises – open)	
2.2	Number of urban households having pit latrines	
2.3	Number of urban households having insanitary latrines	

3	Solid waste management (tentative quantity based on per capita waste generation) [FOR STATUTORY TOWNS ONLY]	Total (State)*
3.1	Total Solid waste generated (in MT)	
3.2	Total Waste collected (in MT)	
3.3	Total Waste Transported (in MT)	
3.4	No. of cities with SWM Disposal Facility	
3.5	Total Waste treated (in MT)	

*City-wise information may also be added wherever available.

PART B: Institutional Mechanism for Swachh Bharat Mission (SBM) - Urban

Provide Details			
Name of the Nodal Agency for SBM	[Provide name of Nodal Agency; else if not designated, provide details of process by which nodal agency will be appointed]		
Name and Designation of Nodal Officer with contact no.	[Provide name of Nodal Officer; else if not designated, provide details of process by which nodal officer will be appointed]		
Institutional Mechanism		Start date (Month / Year)	End date (Month / Year)
a. Constitution of the State-level High Powered Committee (S- HPC)	[Provide details of S- HPC; else if not constituted, provide details of process by which S- HPC will be constituted; timeline should be max. within 1 month of submission of concept note]		
b. Setting up of State Mission Directorate	[Provide details of Mission Directorate; else if not constituted, provide details of process by which Mission Directorate will be constituted; timeline should be max. within 1 month of submission of concept note]		
c. Setting up of PMU at the state-level under SBM	[Provide details of PMU set-up; else if not set-up, provide details of process by which PMU will be put in place; timeline should be max. within 3 months of submission of concept note]		
Submission of State Sanitation Strategy as per the National Urban Sanitation Policy, 2008 (please refer Ministry's website www.moud.gov.in)		Start date (Month / Year)	Date of submission (Month / Year)

PART C: Component-wise action plan for Swachh Bharat Mission (SBM) – Urban

Physical Targets

1	Targets	Baseline 2014	Cumulative Estimated Projection upto 2019	Reasons/Justification based on 2001-2011 data and other factors	Target 2014-15	Target 2015-16	Target 2016-17	Target 2017-18	Target 2018-19 (upto Oct, 2019)	Cumulative Target (2014-19)
A*	a Construction of new individual household latrines (IHL)	[80% of Part A, 2.4]							[100% of 2014 baseline]	
	b Conversion of pit latrines into sanitary latrines									
	c Conversion of insanitary latrines into sanitary latrines									
B*	Construction of Community toilets [NORM: 1 seat / 25 women and 1 seat / 35 men]	[20% of Part A, 2.4]								[100% of 2014 baseline]
C*	Construction of Public Toilets [NORM: 1 seat / 50 women and 1 seat / 100 men up to specified numbers**]	[Part A, 1.2]								[5% of 2014 baseline]
D	Solid waste Management	[No. of cities proposed to be covered]								[100% excluding the on-going project]
E	Capacity Building	[Part A, 1.3]								[100% of cities]
F	Public Awareness & IEC	[Part A, 1.3]								[100% of cities]

*Efforts shall be made to construct the toilets within two years i.e. upto 2016-17.

**Please also refer Manual on Sewerage & Sewerage Systems, Part A for more details (page No. 8-16)

Financial Targets

(Rs in Crores)

2	Funding [As per the funding pattern in the SBM Urban Guidelines]	2014-2019 (TOTAL)		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19 (upto Oct. 2019)		Remarks
		Tentative / estimated	Central Share	Tentative / estimated	Central Share									
A	a. Construction of new individual household latrines (IHL)(Based on the cost													

	per household toilets)										
	b. Conversion of pit latrines into sanitary latrines (based on the cost per household toilets)										
	c. Conversion of insanitary latrines into sanitary latrines (based on the cost per household toilets)										
B	Construction of Community toilets [NORM: 1 seat / 25 women and 1 seat / 35 men] (based on cost per seat)										
C	Construction of Public Toilets [NORM: 1 seat / 50 women and 1 seat / 100 men up to specified numbers](Based on cost per seat)		-	-	-	-	-	-	-	-	
D	Solid Waste Management (based on per capita cost of Rs.1500/ capita may be considered less or more with proper justification in a separate sheet)										
E	Capacity Building & A&OE (5% on Central share)										
F	Public Awareness & IEC (15% on Central share)										
	Total										



दीनदयाल अन्त्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार



Ministry of Urban Development
Government of India

परिचय

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा शहरी जनता की विभाग से सम्बन्धी समस्याओं एवं शिकायतों के निवारण हेतु राज्य के सभी शहरी निकायों में “शहरी जन—कल्याण शिविर” का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर सभी नगरीय निकायों में वार्ड स्तर पर योजनाबद्ध तीन चरणों में आयोजित किया जाना है। जिसका प्रथम चरण दिनांक 2, मई 2017 से प्रारम्भ किया जा रहा है। शिविर शहरी निकाय क्षेत्रों में स्थित निजी, व्यवसायिक, संस्थानिक भूखण्डों से सम्बन्धित कार्यों, जन्म—मृत्यु पंजीकरण, नगरीय विकास कर, आधार पंजीयन आदि कार्यों के साथ—साथ महत्वपूर्ण विभागीय योजनाओं यथा: स्वच्छ भारत मिशन, दीनदयाल अन्त्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री जन—आवास योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना, आदि से आमजन को अवगत कराकर अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

Deenadayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihood Mission (DAY-NULM)

इस शिविर में जनता को विभाग द्वारा संचालित दीनदयाल अन्त्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने हेतु शिविर में प्रयास किये जाने हैं।

योजना का उद्देश्य व इसके लाभ

दीनदयाल अन्त्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) का उद्देश्य बहुआयामी पहुँच के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए सतत आजीविका के अवसर सृजित करना है। मिशन का अब राज्य की सभी 191 नगर निकायों में विस्तार किया जा चुका है। DAY-NULM का उद्देश्य सक्षिप्ती युक्त ब्याज दर पर बैंक ऋण का प्रावधान करना और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से शहरी गरीबों को स्व—रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। यह गरीबों को आजीविका के अवसर प्रदान करने हेतु समुदाय, सामुदायिक संगठनों और संस्थाओं की भूमिका को मुख्य धारा में लाने पर जोर देता है। यह नगरीय निकायों को शहरी बेघरों के लिये आश्रय स्थल के निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण करने हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान कराता है। इसके अतिरिक्त, यह शहरी पथ विक्रेताओं की आजीविका की समस्याओं का समाधान भी करता है।

पात्रता

राज्य में DAY-NULM अन्तर्गत निम्न परिवारों को लाभान्वित किया जाना है। :-

1. बीपीएल सूची-2003 में चयनित परिवार।
2. स्टेट बीपीएल सूची में सम्मिलित परिवार।
3. अंत्योदय सूची में सम्मिलित परिवार।
4. आस्था कार्ड धारी परिवार।
5. ऐसे अन्य शहरी गरीब परिवार, जिनकी वार्षिक आय रु. 3.00 लाख तक है।

योजना के प्रमुख घटक

कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार

(Employment through Skill Training & Placement –EST&P)

DAY-NULM के इस घटक के तहत शहरी गरीबों के कौशल विकास हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण तथा सफल प्रशिक्षण पश्चात् संबंधित क्षेत्र में प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। सामान्य प्रशिक्षण हेतु कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है, परन्तु तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनिवार्य हैं। इस घटक के तहत प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण व प्लेसमेन्ट आदि समस्त कार्यवाही मुख्यतः राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) के माध्यम से कराई जा रही है। इस घटक के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को लाभान्वित करने हेतु अन्य प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं (Skill Training Provider- STP) जैसे ATDC तथा CIPET द्वारा भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत निम्न तीन प्रकार के कौशल प्रशिक्षण सम्पादित किये जा सकते हैं:-

- रोजगार के क्षेत्र में नवीन प्रवेश करने वाले (Fresh Entrants) व्यक्ति के लिए।
- जो व्यक्ति किसी क्षेत्र/व्यवसाय में पहले से कार्य कर रहा है, उसका पुनः प्रशिक्षण कौशल उन्नयन (Re-Skilling or Skill Upgradation)।
- जो व्यक्ति अनौपचारिक/गैर अनौपचारिक (Informal/Non-Formal) या अनुभव से किसी भी व्यावसायिक ट्रेड या शिल्प में पहले से ही कौशल प्राप्त किये हुए है, उसे ब्रिज कोर्स कराकर औपचारिक मान्यता व प्रमाण-पत्र प्रदान करना।

प्रशिक्षण के पात्र व इच्छुक युवाओं से आवेदन प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप परिशिष्ठ-'अ' पर संलग्न है।

सोशियल मोबीलाइजेशन एवं संस्थागत विकास

(Social Mobilisation & Institutional Development—SM&ID)

इस योजना के तहत शहरी गरीब परिवारों की महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से संबल प्रदान करने के लिये शहरी गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups- SHGs) के माध्यम से संगठित किया जाता है। ये समूह नियमित मीटिंग/सभा कर समूह की मासिक बचत को कोष के रूप में एकत्रित करते हैं, जिसका उपयोग सदस्यों को छोटी – छोटी घरेलू जरूरतों के लिये तुरन्त ही अल्प-आवधिक ऋण न्यूनतम ब्याज दर पर देने के लिये किया जाता है। मासिक या पाक्षिक बैठकों में सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान कर उसका लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाती है। इन स्वयं सहायता समूहों सक्रिय रूप से क्रियान्वित रहने पर गठन के तीन माह बाद रिवाल्विंग फंड के रूप में 10000/- रुपये का अनुदान योजनांतर्गत प्रदान किया जाता है। कुछ समय बाद जब सदस्यों की ऋण आवश्यकता बढ़ने लगती है, तो यह स्वयं सहायता समूह, बैंकों से सम्पर्क कर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। जिसके अन्तर्गत समूह को बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत समूह की बचत के आधार पर आन्तरिक लेन-देन के लिये 7% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, शेष ब्याज राशि का भुगतान नगर निकाय द्वारा अनुदान के रूप में बैंकों को किया जाता है। इसके अतिरिक्त सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सशक्तिकरण के लिये सामूहिक रूप से कुटीर उद्योग/व्यवसाय हेतु बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण (Activity Loan) की व्यवस्था करवाई जाती है। इन समूहों के 70 प्रतिशत सदस्य शहरी गरीब परिवार से होने अनिवार्य हैं।

इन महिला समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये संस्थागत रूप में सुसंगठित कर क्षेत्र स्तरीय संघों व नगर स्तरीय संघ के रूप में स्थापित किया जाता है तथा स्वयं सहायता समूह के दीर्घ कालिक विकास हेतु रोजगार के अन्य अवसरों तथा सरकार द्वारा संचालित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाता है।

पात्रता

शहरी गरीब परिवार जिनमें बी. पी. एल., स्टेट बी. पी. एल., अन्त्योदय आस्था कार्ड धारक तथा तीन लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलायें स्वयं सहायता समूह से जुड़कर इस योजना से लाभान्वित हो सकती हैं।

स्वयं सहायता समूह से कैसे जुड़े

नगर निकायों द्वारा रिसोर्स आर्गनाइजेशन्स (एन.जी.ओ./सी.आर.पी./सामुदायिक संगठक इत्यादि) के सहयोग से महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाये जाते हैं। इस योजना से जुड़ने के लिये सम्बन्धित नगर निकाय में जेएनयूएलएम शाखा में सम्पर्क कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

स्व-रोजगार कार्यक्रम

(Self Employment Programme –SEP)

स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत शहरी गरीबों को उनको कौशल, प्रशिक्षण, योग्यता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना हेतु आसानी से ऋण प्रदान करने पर जोर दिया जाता है ताकि उन्हे संपत्ति सृजन, आय में वृद्धि करने और अपने वित्तीय संकट को कम करने में सक्षम बनाया जा सकें। लाभार्थियों के चयन हेतु इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की अधिकतम या न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। वरन् आवेदक को बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत होने के उपरान्त 7 दिवसीय उद्यम विकास प्रशिक्षण (EDP) लेना अनिवार्य है।

DAY-NULM के इस घटक के तहत शहरी गरीबों को व्यक्तिगत रूप से तथा समूह में बैंको से वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है, जिससे शहरी गरीब परिवारों के सदस्यों द्वारा लाभकारी स्वरोजगार/उद्यम स्थापित किये जा सकें। शहरी गरीब व्यक्ति (व्यक्तिगत) को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु परियोजना लागत रूपये 2.00 लाख (अधिकतम) के लिए तथा समूह में परियोजना लागत रूपये 10.00 लाख (अधिकतम) के लिए बैंक ऋण दिया जाता है तथा इस ऋण पर 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज की राशि अनुदान के रूप में DAY-NULM परियोजना से उपलब्ध करायी जाती है।

इस घटक के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूह, जो बैंको से ऋण लेने के पात्र/इच्छुक है, को समय पर ऋण अदा करने पर 3 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी (अनुदान) प्रदान की जा रही है।

मुद्रा योजना के लाभार्थी भी DAY-NULM योजना से जुड़कर आवंटित ऋण पर ब्याज अनुदान पर अतिरिक्त छुट का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत राशि रूपये 50,000/- तक के ऋण पर मार्जिन—मनी देय नहीं है तथा ऋण राशि रूपये 50,001/- से 10,00,000/- तक की राशि पर बैंक द्वारा न्यूनतम 5 प्रतिशत या अधिकतम 10 प्रतिशत मार्जिन—मनी ही लिए जाने का प्रावधान है।

स्व-रोजगार ऋण हेतु आवेदन प्रक्रिया

निदेशालय द्वारा सभी नगर निकायों में डेएनयूएलएम शाखा में सम्पर्क कर तकनीकी विशेषज्ञों एवं सामुदायिक संगठकों से सम्पर्क कर योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र मय दस्तावेज जमा कराकर पंजीकरण करवाया जाता है। डेएनयूएलएम शाखा द्वारा सभी आवेदन पत्रों की जांच कर उपयुक्त आवेदनों को टास्क फोर्स कमेटी (TFC) के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है तथा TFC के अनुमोदन उपरान्त स्वीकृत राशि के वितरण हेतु संबंधित बैंक को प्रेषित किया जाता है। ऋण वितरण के उपरान्त ब्याज अनुदान की राशि सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानान्तरित कर दी जाती है।

ऋण आवेदन हेतु आवेदन—पत्र का प्रारूप परिशिष्ठ—‘ब’ पर संलग्न है।

शहरी बेघरो हेतु आश्रय योजना

(Shelter for Urban Homeless- SUH)

DAY-NULM के इस घटक के तहत शहरी समाज के निर्धनतम वर्ग को मूलभूत सुविधाओं/सेवाओं युक्त रथायी आश्रयस्थल उपलब्ध कराये जाते हैं। यह आश्रय स्थल हर मौसम में अर्थात् वर्ष पर्यन्त 24 घण्टे सभी 7 दिवस संचालित किये जा रहे हैं। इन आश्रयस्थलों में सम्मानजनक मानववास हेतु मूलभूत सुविधाएँ (जैसे शुद्ध पेयजल, शौचालय/स्नानघर, बिस्तर, सफाई व्यवस्था, बिजली, रसोईघर, मनोरंजन के साधन) उपलब्ध करायी जा रही हैं।

राज्य के शहरी निकायों में स्थानीय जरूरतों के अनुरूप प्रति 1 लाख की आबादी पर न्यूनतम 100 व्यक्तियों हेतु रथाई सामुदायिक आश्रयस्थल संचालित किया जायेगा।

योजनान्तर्गत वर्तमान में सभी प्रमुख नगर-निकायों में आश्रयस्थलों का संचालन किया जा रहा है। जिसकी सूची परिशिष्ठ 'द' पर संलग्न है।

जनकल्याणकारी शिविरों में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों के दायित्व

जिला परियोजना अधिकारी/शहरी परियोजना अधिकारी (आयुक्त/अधिशासी अधिकारी)

1. शिविर में योजना से सम्बन्धित सभी कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन प्रदान करना।
2. आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3. निकाय क्षेत्र में शिविर के आयोजन एवं प्रचार-प्रसार की सम्बन्धी सामग्री व्यवस्था सुनिश्चित करना।

जिला मिशन प्रबन्धक/सामुदायिक संगठक (DMMs/COs – DAY-NULM)

1. नगर निकाय की DAY-NULM शाखा में पदस्थापित तकनीकी विशेषज्ञों/सामुदायिक संगठकों द्वारा इच्छुक व्यक्तियों को योजना के विभिन्न घटकों की जानकारी प्रदान करना।
2. योजना से सम्बन्धित दस्तावेजों तथा लाभार्थियों द्वारा वांछित आवेदन-पत्रों (विभिन्न घटकों से सम्बन्धित) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3. प्राप्त आवेदन-पत्रों का संग्रहण व आवश्यक दस्तावेजों की जांच उपरान्त सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करना।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) व अन्य प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान

1. RSLDC के जिला कार्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों को शिविर में Mobilisation तथा Counselling हेतु निर्धारित अवधि तक अपेक्षित सेवाएं प्रदान करना।

- जिले में स्थित समस्त सूचीबद्ध कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को कौशल प्रशिक्षण हेतु कम से कम एक प्रतिनिधि द्वारा शिविर में Mobilisation/Counselling सम्बन्धी कार्य के लिए सेवाएं देने हेतु पाबन्द करना।

अग्रणी जिला प्रबन्धक / बैंक प्रतिनिधि / बैंक संवाददाता (Bank Correspondent)

- इनके द्वारा शिविर में आये इच्छुक व्यक्तियों के ऋण सम्बन्धी जानकारी व आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में DAY-NULM के प्रतिनिधियों का सहयोग करना तथा आवेदकों की Counselling व मार्गदर्शन करना।
- अग्रणी जिला प्रबन्धक द्वारा शिविर अवधि में बैंक प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- शिविर के दौरान आवेदकों से प्राप्त समस्त आवेदनों पर संबंधित बैंक प्रतिनिधियों द्वारा समयबद्ध अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करना।

राज्य मिशन प्रबन्धक / राज्य मिशन प्रबन्धन ईकाई (SMM/SMMU)

- राज्य मिशन प्रबन्धन ईकाई में पदस्थापित तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा शिविरों में सहयोग तथा प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान किया जाना।
- शिविर के दौरान योजना से सम्बन्धित नीतिगत निर्णयों पर विचार-विमर्श उपरान्त आवश्यक कार्यवाही तथा विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना।

परियोजना निदेशक (Project Director)

- शिविर के दौरान विभिन्न जिला मुख्यालयों में भ्रमण कर शिविर की निगरानी एवं सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करना।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

आय उद्घोषणा पत्र

आवश्यक सूचना (वैकल्पिक बिन्दु को √ से चयन करें)

- | | | |
|---|---|--------------|
| प्रार्थी का नाम | प्राथी का फोटो | |
| पिता का नाम | उत्तरदायी व्यक्ति से फोटो सत्यापित करावें | |
| निवास स्थान का पूर्ण पता :-
(क) वर्तमान पता | | |
| (ख) स्थाई पता | | |
| गांव/शहर | तहसील | जिला |
| जन्म दिनांक | जन्म स्थान | उम्र |
| लिंग :- पुरुष/महिला/अन्य | वैवाहिक स्थिति :- विवाहित/अविवाहित/विधवा/अन्य | |
| धर्म | जाति | उपजाति |
| क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है ? | हॉ/नहीं | |
| क्या आप आयकर दाता है :- | हॉ/नहीं | |
| मोबाइल नम्बर | | |
| पेन कार्ड होने की दशा में पेन कार्ड नम्बर | | |
| एवं आयकर विभाग की रिटर्न की अद्यतन प्रति संलग्न करें। | | |
| टिन नम्बर होने की दशा में टिन नम्बर | | |
| एवं वाणिज्यिक कर विभाग की रिटर्न की अद्यतन प्रति संलग्न करें। | | |
| परिवार के सदस्य व उनकी वार्षिक आय का विवरण :- | | |

प्रार्थी का फोटो

उत्तरदायी व्यक्ति
से फोटो सत्यापित
करावें

क्र. स.	सदस्य का नाम	उम्र	मुखिया से सम्बंध	कार्य / व्यवसाय व उसकी प्रकृति	वार्षिक आय (रु. में)
1					
2					
3					
4					
5					
अन्य स्रोत से आय (यथा मकान किराया, ब्याज, पेंशन, शेयर म्यूचूअल फण्ड आदि)					
योग					

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि उक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सही है तथा मेरे द्वारा कोई जानकारी छुपाई नहीं गई है। उक्त तथ्यों के सत्यापन स्वरूप दो उत्तरदायी व्यक्तियों की ओर से प्रमाण पत्र एवं स्वयं का शपथ पत्र संलग्न है।

दिनांक :

स्थानः

प्रार्थी के हस्ताक्षर

प्रार्थी का फोटो
उत्तरदायी व्यक्ति
से फोटो सत्यापित
करावें

शपथ पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री उम्र निवासी
..... तहसील जिला राजस्थान शपथ पूर्वक
बयान करता/करती हूँ :—

1. यह कि मेरे व मेरे परिवार की वार्षिक आय (वर्ष) के प्रमाण स्वरूप उद्घोषणा करनी है।
2. यह कि मेरे व मेरे परिवार की वार्षिक आय (वर्ष) के सम्बंध में तथ्यात्मक जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र. स.	परिवार के सदस्य का नाम	व्यवसाय	प्रार्थी से सम्बंध	वार्षिक आय रु. में
1	2	3	4	5

योग
.....

3. यह कि मेरे परिवार के सदस्यों द्वारा धारित भूमि व नोशनल शेयर के धारित कुल भूमि का विवरण इस प्रकार है :—

गांव का नाम	तहसील	खसरा नम्बर	रकबा	सिंचित/असिंचित	वार्षिक आय
1	2	3	4	5	6

4. यह कि मेरे परिवार में अन्य स्त्रोतों से आय निम्न प्रकार है :—

क्र. स.	आय के अन्य स्त्रोत (यथा भवन सम्पति, किराया, ब्याज, पेंशन, शेयर, म्यूचुवल फण्ड आदि से आय)	वार्षिक आय
1	2	3
	कुल/समस्त वार्षिक आय (पैरा संख्या 2, 3 व 4 का योग)	

निरन्तर ...

5. यह है कि मैं शपथ पूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि उपरोक्तानुसार मेरे परिवार की कुल/समस्त वार्षिक आय रु. अक्षरे रु. है।
6. मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि मेरे व मेरे परिवार के किसी सदस्य ने विगत में उक्त अंकित वार्षिक आय से भिन्न आय किसी प्रयोजनार्थ नहीं दर्शायी है तथा न ही इस बाबत कोई आय प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।
7. मैं शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि यह तथ्य मेरी जानकारी में है कि इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथ पूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की चरण संख्या 1 से 7 मेरी निजी जानकारी से लिखाया गया है जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

हस्ताक्षर पहचानकर्ता

1.
2.

(नाम, पता, स्थान व दिनांक सहित)

प्रमाणीकरण

उपरोक्त शपथकर्ता नाम पिता का नाम जाति
..... उम्र निवासी ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत किया जाता है। प्रार्थी की पहचान
..... के द्वारा की गई तथा प्रार्थी द्वारा दो उत्तरादायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र (परिशिष्ट अ-1) संलग्न किये हैं।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी (कार्यपालक मजिस्ट्रेट / नोटेरी पब्लिक)
का नाम व पद मय सील

उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र

(1) गवाह :–

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
 निवासी विभाग का नाम पद पर
 कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि प्रार्थी/प्रार्थिया पुत्र/पुत्री श्री
 निवासी को भली प्रकार से जानता हूँ, इनकी
 वार्षिक आय रु. है, इसके अलावा प्रार्थी के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर गवाह

(2) गवाह :–

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी
 विभाग का नाम पद पर कार्यरत हूँ एवं शपथ
 पूर्वक बयान करता हूँ कि प्रार्थी/प्रार्थिया पुत्र/पुत्री श्री
 निवासी को भली प्रकार से जानता हूँ, इनकी वार्षिक आय
 रु. है, इसके अलावा प्रार्थी के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर गवाह

नोट :–

1. आवेदक की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकाएं (स्टेपल नहीं करना है) तथा उसे अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।
2. दो उत्तरदायी व्यक्तियों यथा – संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/जिला प्रमुख/ प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/मेयर/महापौर/नगर पालिका अध्यक्ष/ नगर निकाय सदस्य/ राजकीय अधिकारी/ कर्मचारी के प्रमाण पत्र।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना —राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (**DAY-NULM**) योजना
में कौशल प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र

नगर निगम / परिषद / पालिका का नाम
आवेदन पत्र क्रमांक

पासपोर्ट साइज
का रंगीन फोटो

● व्यक्तिगत विवरण

1. प्रार्थी का नामलिंग : () पुरुष / () स्त्री
2. पिता / पति का नाम
3. माता का नाम.....
4. जन्म तिथि मोबाईल नम्बर
5. स्थाई / वर्तमान पत्राचार का पता (सम्बन्धित वार्ड संख्या सहित).....
संख्या :पिन कोड 6. आधार कार्ड
ई—मेल
7. वर्ग : (अज्ञा / अजजा / अपिव / सामान्य)निशक्तजन : (हॉ / नहीं).....
8. आर्थिक वर्गीकरण (कृपया सही का निशान लगाए)
बीपीएल / स्टेट बीपीएल अंत्योदय / आस्था परिवार 3 लाख से कम पारिवारिक वार्षिक आय परिवार
उपरोक्त वर्ग का क्रमांक :(सम्बन्धित प्रमाण संलग्न करें)
9. शैक्षणिक योग्यता :
तकनीकी योग्यता अन्य योग्यता
10. किस क्षेत्र में प्रशिक्षण चाहते हैं (3 प्राथमिकताए लिखें)
1 2 3
11. प्रार्थी के बैंक का नाम शाखा
- खाता संख्याआई एफ एस सी कोड
12. क्या प्रार्थी बेरोजगार है हॉ / नहीं यदि नहीं तो रोजगार का विवरण

13. यदि गत तीन वर्षों में कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उसका नाम, समयावधि व योजना तथा संस्था का नाम : (यदि कोई—प्रमाण पत्र हो संलग्न करें).....
14. प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार हेतु राज्य के दूसरे जिले अथवा राज्य में जाने के इच्छुक राज्य (हॉ / नहीं) जिला (हॉ / नहीं)

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज़ :

1. राशन कार्ड
2. आधार कार्ड (अनिवार्य)
3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
4. 1 रंगीन फोटो
5. आय प्रमाण पत्र (3 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के प्रार्थीयों के लिए)
6. जन्म तिथि प्रमाण—पत्र
7. वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस

पात्रता :-

1. आयु 18 से 35 वर्ष
2. बी.पी.एल./एन.यू.एल.एम द्वारा परिभाषित गरीब परिवार (3 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार)/स्टेट बी.पी.एल/अंत्योदय/आस्था कार्ड

मैंघोषणा करता हूं/करती हूं कि मेरे द्वारा प्रदत्त उपरोक्त सभी जानकारियां पूर्ण रूप से सही हैं।

स्थान :

दिनांक :

प्रार्थी के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर निगम/परिषद/पालिका

क्रमांक :

दिनांक :

प्रार्थी श्री/श्रीमती का आवेदन—पत्र क्रमांक को दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के कौशल विकास योजना के अन्तर्गत संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु भिजवाया जा रहा है। नगर निकाय स्तर पर आवेदन—पत्र दिनांक को जांच उपरान्त संबंधित प्रशिक्षण संस्थान को प्रेषित करने की सिफारिश की गई है।

प्रायोजित आवेदन पत्र पर नियमानुसार 30 दिवस में प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की कार्यवाही कर इस कार्यालय को सूचित करावें।

आयुक्त/अधिशासी अधिकारी

नगर निकाय

स्वरोजगार हेतु व्यक्तिगत बैंक ऋण आवेदन पत्र का प्रारूप
 दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वरोजगार कार्यक्रम घटक
 अन्तर्गत व्यक्तिगत स्वरोजगार हेतु बैंक से ऋण व वित्तीय सहायता के लिए आवेदन–पत्र
 वर्ष

नगर निगम/परिषद/पालिका का नाम

आवेदन–पत्र क्रमांक : परिवार का बीपीएल क्रमांक :

1. प्रार्थी का नाम

2. पिता/पति का नाम

3. लिंग – पुरुष/स्त्री

4. जन्मतिथि/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक को आयु

5. पूर्ण पता

6. क्या प्रार्थी अनु. जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक/पिछड़ी जाति/महिला मुखिया/विकलांग है यदि हां तो
 विवरण देवें

7. प्रार्थी की योग्यता :–

(अ) शैक्षणिक योग्यता

(ब) तकनीकी

8. आवेदक के वर्तमान बैंक खाते का विवरण (यदि है तो) :–

(अ) बैंक व शाखा का नाम

(ब) खाता संख्या

9. यदि कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो उसका नाम, समयावधि एवं संस्था का नाम (यदि कोई प्रमाण पत्र है तो प्रति संलग्न करें)

10. क्या प्रार्थी बेरोजगार है यदि नहीं तो, वर्तमान व्यवसाय

11. क्या प्रार्थी आर्थिक गतिविधि आरम्भ करना चाहता/चाहती है ? यदि हां तो प्रस्तावित व्यवसाय/
 उद्यम/कार्य का नाम.....

12. (अ) प्रस्तावित व्यवसाय का स्थान व पूर्ण पता
(ब) क्या प्रार्थी प्रस्तावित व्यवसाय के स्थान पर गत 3 वर्ष से लगातार रहा रही है
13. क्या प्रस्तावित कार्य/गतिविधि का प्रार्थी को अनुभव है, यदि हां तो विवरण दें
14. परियोजना की लागत राशि का योग (परियोजना रिपोर्ट प्रपत्र-1 पर संलग्न है)रु.
(अ) मशीन एवं उपकरण की लागत राशि रु.
(ब) अन्य स्थायी सम्पत्ति की लागत राशि रु.
(स) कार्यशील पूँजी रु.
(द) अन्य लागत रु.
15. क्या प्रार्थी द्वारा इसी कार्य हेतु किसी अन्य बैंक/राज्य व केन्द्र की संस्था से पूर्व ऋण ले रखा है ?
(अ) यदि हां तो, बैंक शाखा का नाम व वर्ष
(ब) क्या उसे वापस कर दिया गया है ?
(स) यदि नहीं, तो शेष कितनी राशि बकाया है ?
16. क्या प्रार्थी द्वारा किसी अन्य प्रयोजन/कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य बैंक/संस्था से ऋण प्राप्त किया है?
यदि हां तो उसका विवरण :—
(अ) प्रयोजन/कार्य
(ब) बैंक व शाखा का नाम
(स) वर्तमान बकाया ऋण राशि
17. क्या प्रार्थी द्वारा किसी अन्य सरकारी योजनान्तर्गत पूर्व में अनुदान का लाभ प्राप्त किया गया है? यदि हां तो उसका विवरण :—
(अ) योजना का नाम
(ब) अनुदान राशि
18. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि :
(अ) मेरे द्वारा उक्त जो सूचना दी गई है, वह सत्य है और उक्त प्रस्तावित व्यवसाय/उदास/कार्य के लिए मैंने अन्य बैंक/वित्तीय संस्था से कोई ऋण प्राप्त नहीं किया है तथा अन्य बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण लेने के लिए मैंने कोई आवेदन पत्र भी नहीं दिया है।

- (ब) स्वीकृत परियोजना लागत का नियमानुसार आवश्यक मार्जिन मनी (परियोजना लागत का 5 प्रतिशत) बैंक शाखा में ऋण प्राप्त करने से पूर्व जमा कराने के लिए प्रतिबद्ध हूँ।
- (स) मैं बैंक शाखा में समय पर ऋण अदायगी की किस्त जमा कराउंगा/कराउंगी।
- (द) मैं बैंक शाखा से प्राप्त ऋण का प्रस्तावित परियोजना में ही उपयोग करूंगा/करूंगी एवं परियोजनामाह में प्रारम्भ कर दूंगा/दूंगी।

प्रार्थी के हस्ताक्षर
नाम, पता व मोबाइल न.

नोट :- प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से पूर्ण कर निम्न प्रमाणित कागजातों के साथ सम्बंधित नगर निकाय में प्रस्तुत किया जावें।

1. राशन कार्ड/फोटो पहचान पत्र की फोटो प्रति।
2. तकनीकी/शैक्षणिक योग्यता/व्यवसाय/अनुभव/प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र।
3. प्रस्तावित उद्यम हेतु परियोजना रिपोर्ट (Project Report)

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर निगम/परिषद/पालिका

क्रमांक :

दिनांक :

प्रार्थी श्री/श्रीमती का आवेदन—पत्र (बैंक का नाम) को
दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वरोजगार कार्यक्रम घटक के अन्तर्गत
बैंक ऋण व नियमानुसार ब्याज अनुदान हेतु भिजवाया जा रहा है। नगर निकाय स्तर पर गठित टास्क
फोर्स की बैठक दिनांक में प्रार्थी के आवेदन पत्र की छानबीन (Scrutiny) उपरान्त सम्बंधित बैंक
को प्रेषित करने की सिफारिश की गई है।

प्रायोजित आवेदन पत्र पर नियमानुसार 15 दिवस में ऋण स्वीकृत/वितरण की कार्यवाही कर इस
कार्यालय को सूचित करावें।

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निकाय

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वरोजगार कार्यक्रम घटक
अन्तर्गत व्यक्तिगत स्वरोजगार हेतु बैंक से ऋण व वित्तीय सहायता के लिए आवेदन–पत्र से संबंधित
प्रोजेक्ट रिपोर्ट

नगर निकाय का नाम प्रस्तावित व्यवसाय /उद्यम का नाम

प्रस्तावित कुल लागत राशि रूपये लागत राशि में प्रस्तावित ऋण राशि रूपये

1. आवेदक का नाम
2. आवेदन का पूर्ण स्थायी पता.....
3. कार्य का नाम.....
4. कार्य स्थान का पूरा पता

.....

5. कुल लागत राशि
6. प्रोजेक्ट की व्यय राशि का विवरण
 - (अ) मशीनरी/फर्नीचर/शेड/औजारों की सूची एवं लगभग कीमत रूपये

.....

 - (ब) कच्चा माल की सूची एवं लगभग कीमत रूपये
 - (स) अन्य सामान की सूची एवं लगभग कीमत रूपये
 - (द) कार्यशील पूँजी रूपये
 - (य) कुल लागत राशि रूपये
 - (र) ऋण हेतु प्रस्तावित राशि रूपये

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम.....
बीपीएल चयन क्रमांक.....

स्वरोजगार हेतु सामूहिक बैंक ऋण आवेदन पत्र का प्रारूप
दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वरोजगार कार्यक्रम
घटक अन्तर्गत सामूहिक रूप से स्वरोजगार हेतु बैंक से ऋण व वित्तीय सहायता के लिए
आवेदन–पत्र
वर्ष

नगर निगम/परिषद/पालिका का नाम

आवेदन–पत्र क्रमांक :

हम नगर निगम / परिषद /पालिका क्षेत्र की बीपीएल सूची में चयनित परिवार के सदस्य(प्रस्तावित व्यवसाय का नाम) का व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वरोजगार कार्यक्रम घटक के अन्तर्गत सामूहिक ऋण व वित्तीय सहायता हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। हम सभी(आवेदन करने वाले सदस्यों की संख्या) प्रार्थीयों ने अपना नाम, पिता/पति का नाम, पूरा स्थायी पता, शैक्षणिक योग्यता, आयु, जातिवर्ग, बीपीएल चयनित क्रमांक, वार्ड न., परिवार राशन कार्ड न. एवं परिवार के सदस्यों की संख्या आदि का विवरण मय प्रार्थी के हस्ताक्षर प्रपत्र–1 पर अंकित कर दिये गये हैं।

1. हमने हमारे समूह का मुखिया (नाम) श्री/श्रीमती.....पता.....
.....बीपीएल/स्टेट बीपीएल/अन्योदय /आस्था
चयनित क्रमांक अथवा शहरी गरीब परिवार सं. को बनाया है।
2. हमने हमारे समूह का बैंक खाता खुलवाकर उस खाते से लेन–देन किये जाने हेतु निम्न दो सदस्यों को चुना है एवं बैंक संबंधी समस्त कार्यों के लिए इनको अधिकृत किया हुआ है :-
 - 2.1 श्री/श्रीमती.....पता.....
.....
 - 2.2 श्री/श्रीमती.....पता.....
.....
3. प्रस्तावित व्यवसाय/उद्यम/कार्य का नाम व विवरण.....
.....
4. प्रस्तावित व्यवसाय/उद्यम/कार्य हेतु आवश्यक कुल राशि रूपये.....कुल
लागत राशि में से (अ) प्रस्तावित ऋण राशि रूपये
(ब) मार्जिन मनी की राशि रूपये

5. व्यवसाय से सम्बंधित विवरण परियोजना रिपोर्ट में प्रपत्र-2 पर दिया गया है।
6. हम प्रमाणित करते हैं कि :
 - (अ) हमारे द्वारा उक्त सूचना तथा परिशिष्ठ 1 व 2 में दी गई सूचना सत्य है और उक्त प्रस्तावित व्यवसाय/उद्यम/कार्य के लिए हमनेअन्य किसी बैंक/वित्तीय संस्था सेकोई ऋण प्राप्त नहीं किया है तथा अन्य बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण लेने के लिए हमने कोई आवेदन पत्र भी नहीं दिया है।
 - (ब) हम स्वीकृत परियोजना लागत का नियमानुसार आवश्यक मार्जिन मनी (परियोजना लागत का 5 प्रतिशत) बैंक शाखा में ऋण प्राप्त करने से पूर्व जमा कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
 - (स) हम बैंक शाखा में समय पर ऋण अदायगी की किस्त जमा करायेंगे। ऋण की अदायगी हमारी सामूहिक के साथ—साथ व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी रहेगी।
 - (द) हम बैंक शाखा से प्राप्त ऋण का प्रस्तावित परियोजना में ही उपयोग करेंगे एवं परियोजना माह में प्रारम्भ कर देंगे।

क्र.स.	समूह के सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	बीपीएल/स्टेट बीपीएल/अन्त्योदय/आस्था चयन क्रमांक अथवा आय 3लाख से कम आय वाले परिवार	हस्ताक्षर

नोट :— प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से पूर्ण कर निम्न प्रमाणित कागजातों के साथ सम्बंधित नगर निकाय में प्रस्तुत किया जावें।

1. सभी सदस्यों के राशन कार्ड/फोटो पहचान पत्र की फोटो प्रति।
2. बैंक खाता पास बुक की प्रति।
3. प्रस्तावित उद्यम हेतु परियोजना रिपोर्ट (Project Report) मय उद्घरण दर (Price Quotation)।
4. अन्य.....

नगर स्तरीय फैडरेशन (CLF) का प्रमाण पत्र व सिफारिश

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में वर्णित सभी तथ्यों की जाँच कर ली गई है। समूह के सदस्यों में से 70 प्रतिशत सदस्य शहरी गरीब परिवारों (बीपीएल/स्टेट बीपीएल/अन्त्योदय/आस्था अथवा आय 1 लाख से कम आय वाले परिवार) से संबंधित है एवं सामूहिक रूप से का कार्य करना चाहते हैं, इनका इस विषय में अनुभव भी है। यह समूह कार्य करने में सक्षम है एवं ऋण की अदायगी भी करेगा। समूह हेतु राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वरोजगार घटक के तहत रूपये..... का बैंक ऋण व नियमानुसार ब्याज अनुदान दिये जाने की सिफारिश की जाती है।

(हस्ताक्षर मय मोहर)
सचिव
नगर स्तरीय फैडरेशन(सीएलएफ)

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर निगम/परिषद/पालिका

क्रमांक :

दिनांक :

समूह के सदस्यों द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाया गया कार्य(प्रस्तावित व्यवसाय का नाम) करने में समूह के सदस्य सक्षम है एवं समूह में न्यूनतम 70 प्रतिशत सदस्य शहरी गरीब परिवारों के सदस्य है। इनका आवेदन—पत्र (बैंक का नाम) को दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वरोजगार घटक के अन्तर्गत सामूहिक बैंक ऋण एवं नियमानुसार ब्याज अनुदान हेतु भिजवाया जा रहा है। नगर निकाय स्तर पर गठित टास्क फोर्स की बैठक दिनांक..... में समूह के आवेदन पत्र की छानबीन (Scrutiny) उपरान्त सम्बंधित बैंक को प्रेषित करने की सिफारिश की गई है।

प्रायोजित आवेदन पत्र पर नियमानुसार 15 दिवस में ऋण स्वीकृत/वितरण की कार्यवाही कर इस कार्यालय को सूचित करावें।

आयुक्त
नगर निकाय

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वरोजगार कार्यक्रम घटक अन्तर्गत सामूहिक रूप से व्यवसाय/उद्यम/कार्य हेतु बैंक से ऋण व वित्तीय सहायता के लिए आवेदन-पत्र में वर्णित सदस्यों का विवरण

नगर निकाय का नाम प्रस्तावित व्यवसाय / उद्यम का नाम

प्रस्तावित कुल लागत राशि रूपये.....

लागत राशि में प्रस्तावित ऋण राशि रूपये

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वरोजगार कार्यक्रम घटक अन्तर्गत सामूहिक रूप से
व्यवसाय/उद्यम/कार्य हेतु बैंक से ऋण व वित्तीय सहायता के लिए
आवेदन—पत्र से संबंधित प्रौजेक्ट रिपोर्ट

नगर निकाय का नाम प्रस्तावित व्यवसाय / उद्यम का नाम

प्रस्तावित कुल लागत राशि रूपये.....

लागत राशि में प्रस्तावित ऋण राशि रूपये

1. कार्य का नाम.....

2. कार्य स्थान का पूरा पता

3. कुल लागत राशि

4. ग्रुप के कुल सदस्यों की संख्या

5. ग्रुप लीडर का नाम

6. बैंक में ग्रुप का खाता खोलने वाली सदस्यों के नाम (न्यूनतम—2 सदस्यों के नाम).....

7. प्रोजेक्ट की व्यय राशि का विवरण

(अ) मशीनरी/फर्नीचर/शेड/औजारों की सूची एवं लगभग कीमत (रूपये में)

(ब) कच्चा माल की सूची एवं लगभग कीमत (रूपये में)

(स) अन्य सामान की सूची एवं लगभग कीमत (रूपये में)

(द) कार्यशील पूँजी (रूपये में)

(य) कुल लागत राशि (रूपये में)

(र) ऋण हेतु प्रस्तावित राशि (रूपये में)

ग्रुप मुखिया के हस्ताक्षर

नाम.....